खण्ड-450, अंक-2
शुक्रवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1926
(6 अगस्त, 2004 ई0)

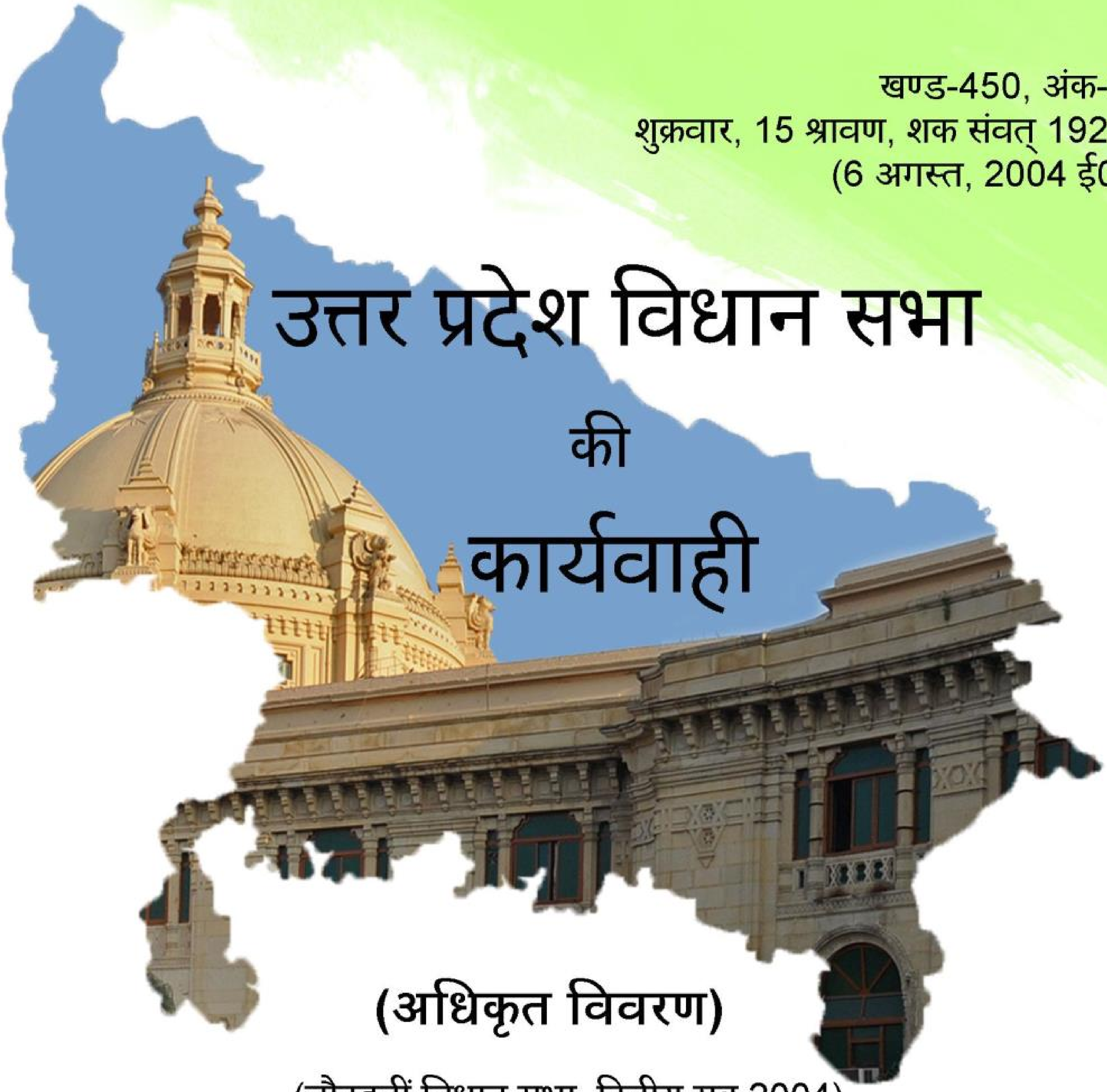

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 450 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं और पंचायतों में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि दिनांक 6-8-2004 से बढ़ाकर दिनांक 10-8-2004 तक किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1
बहुजन समाज पार्टी के महासचिव श्री बाबू सिंह कुशवाहा तथा विधान परिषद् सदस्य श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फर्जी मुकदमों में फंसाने विषयक सूचना ...	1-2
बलिया में घाघरा नदी मे नाव में डूबकर 6 व्यक्तियों के मरने विषयक सूचना को उठाने का प्रयास	2
प्रश्नोत्तर	2-11
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	11
जनपद जौनपुर के तहसील केरावत में खाता संख्या-46 के अन्तर्गत आराजी नं0-127/2/190 पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने तथा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
विधान सभा क्षेत्र 75 मल्लावां जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम रजबहा व माइनरों की सफाई न होने से पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद गोण्डा में मनकापुर-मसकनवां-बभनान मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	12-13
लखनऊ स्थित राजकीय आफिसर्स कालोनी लालबाग के लिफ्टों का प्रतिस्थापन कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
महिला कल्याण विभाग उ0 प्र0 लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं यौन उत्पीड़न आदि की घटनाओं की जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
विश्व बैंक की सहायता से उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं में अधिकारियों की सांठ-गांठ से दवाओं उपकरणों तथा फर्नीचर के क्रय आदि में हो रहे घोटाले की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14-15
जनपद सुल्तानपुर के धमौर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए घोटाले की जांच कराने तथा मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15
प्रदेश में चारों ओर प्लास्टिक (पालीथीन) के प्रयोग से पर्यावरण को खतरा होने तथा लोगों में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15-16

विषय	पृष्ठ-संख्या
पूर्वी यमुना नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने तथा फर्जी जमाबन्दी के आधार पर की जा रही वसूली बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु अस्पतालों में तत्काल इन्सीलेटर लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद श्रावस्ती तथा बलरामपुर के अस्पतालों में आपूर्ति की गयी दवाओं के क्रय में घोटाला एवं अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि फार्मों की वापसी कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17
उत्तर प्रदेश सिविल अभियन्ता (नगर भूमि सीमा रोपण विभाग) सेवा नियमावली, 1993 की विभागीय पदोन्नति के आधार पर वर्ष 1995-96 से सहायक अभियन्ता का वेतन पा रहे राजपत्रित अवर अभियन्ताओं की राजपत्रित पद प्रतिष्ठा विषयक शासनादेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17-18
हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावां, अस्पताल, लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	18
आजमगढ़ जनपद के जनगणना में कार्य कर रहे छटनीशुदा समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
प्रदेश में अहेरिया नाम से जानने वाले लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	19
वाराणसी में जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का "काली फार्म टेस्ट" कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	20
जनपद जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत पेसारा में 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत स्टेशन बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20-21
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि अन्य सुविधायें दिलाए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	21
मेरठ महानगर के पल्लवपुरम, गंगा नगर व लोहिया नगर में अविलम्ब थाने बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर ग्राम अमरसंडा के पास क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
जनपद गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कर्मचारियों के वर्ष 2001 एवं 2002 के बकाया यात्रा भत्ते बिलों के भुगतान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
निचली गंगा नहर फतेहपुर में क्षमतानुसार जल सुलभ कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर तहसील तहरौली में किये गये कतिपय राजकीय भवनों के निर्माण कार्य में हुए घोटाले की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की विभाग के रिक्त पदों पर बिना परीक्षा के उनको समायोजित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों तथा विकास खण्ड गाजीपुर सदर में वर्ष 2003-2004 में क्षेत्र पंचायत द्वारा सु0 रो0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का टी0 ए0 सी0 जांच करने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23-24
ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड बी ब्लाक इन्दिरानगर, लखनऊ के आवासीय भवनों के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत तारों को शीघ्र हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	24
पैक्सफेड, सहकारिता विभाग लखनऊ में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	24-25
जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेडी के अन्तर्गत ग्राम मजलीसपुर के हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाने से किसानों की फसले चौपट होने तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद हरदोई के करनपुर-भतिनी गांव के पास नीलम नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में बाढ़ व आग जैसी देवी आपदाओं से पीड़ित लोगों को आवास एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के थाना मनियर के अन्तर्गत पुलिस स्टाफ कम होने के कारण निरन्तर बढ़ते अपराधों के रोकने हेतु मनियर नगर पंचायत के परशुराम स्थान पर पुलिस चौकी खोले जाने तथा पी0 ए0 सी0 कैम्प लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद लखनऊ के ग्राम छन्दोइया निकट दुबग्गा हरदोई रोड काकोरी में समुचित सफाई व्यवस्था कराये जाने तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26-27
जनपद चित्रकूट में बुन्देल खण्ड विकास निधि (राज्यांश) से वर्ष 2002-03 में स्वीकृत कार्यों को धन देकर कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27
जनपद बहराइच के महसी क्षेत्रान्तर्गत पुल, सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत आदि कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	27-28
जनपद मिर्जापुर के मझंवा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी में स्थित ग्राम बेलवन नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28
विधान सभा क्षेत्र मडंनपुर के अन्तर्गत किशनपुर पम्प कैनाल में पर्याप्त पानी न आने में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	28
बांदा नगर के बाई पास मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	29
विधूना, जनपद औरैया में मुख्य मार्गों के टूटे हुए अनेकों पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बहने वाली गंगा नदी की सफाई कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30
मैलानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखीमपुर खीरी का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र जय सिंहपुर के अन्तर्गत कूड़ेभार ड्रेन की सफाई फूलपुर से अर्वल कीरी कर्वत गांव तक कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30-31
जनपद चित्रकूट में यमुना नदी से निकाली गयी चिल्ली राकस (राजापुर) पम्प कैनाल का जीर्णोद्धार कराकर सिंचाई व्यवस्था ठीक संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के ताल कटोरा स्थित सचिवालय कालोनी में सीवर टैंक भरे रहने तथा गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
लखनऊ के इन्दिरा नगर में जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर 19 स्थित पार्क में अवैध निर्माण को हटाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
नगर निगम लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित कालोनियों को क्रय-विक्रय जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-157 से मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	32-33
उपखण्ड प्रथम वाइफ रकेशन, जनपद पीलीभीत तथा उपखण्ड द्वितीय खटीमा से सम्बन्धित परियोजनाओं का कार्य सुनिश्चित कराने तथा शारदा नदी की बाढ़ से हुए कटान से हजारों एकड़ भूमि को सुरक्षा एवं प्रभावित लोगों की सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सादात के ब्लाक देवकली से जिलायोजनान्तर्गत प्रस्तावित सिरगीथा एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देव चन्द्रपुर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33-34
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोमती नगर लखनऊ में छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या तथा वहां पर निरन्तर बढ़ते अपराध के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद पीलीभीत तथा जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा मित्रों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	34-35
जनपद पीलीभीत के नगर पालिका परिषद पूरनपुर की आर्थिक स्थित जर्जर होने तथा विकास कार्य अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	35
जनपद पीलीभीत के कृषि उत्पादन मण्डी समिति की किसान बाजार में 121 व्यापारियों के विरुद्ध ए0 आई0 जी0 पीलीभीत द्वारा अरोपित कमी स्टाम्प की कार्यवाही समाप्त करने तथा नये अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ उत्तरी के कतिपय गांवों में डकैती का आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
प्रदेश के अनेक जनपदों में विशेष कर जनपद वाराणसी में वन रोजों का आतंक फैलने तथा उसके लिए प्रभावी योजना बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा स्थित प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल तथा कन्या विद्यालय के शेष भागों में चहरदीवारी बनाकर मुख्य गेट लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
लखनऊ में पारा रोड राजाजीपुरम स्थित शिखर क्लीनिक से शान्ति शिक्षा मन्दिर इण्टर कालेज जाने वाली मुख्य सड़क पर सीवर लाइन डाले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर के स्थानान्तरित 5 चिकित्सकों द्वारा नयी तैनाती के स्थान पर कार्य भार ग्रहण न करने तथा शासनादेश की अवहेलना करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37-38
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा या तम्बौर में एक अग्नि शमन केन्द्र तत्काल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा अतिथि प्रवक्ता/याची डा0 के0 के0 सिंह की आमंत्रण बहाली सुनिश्चित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्राचार्य श्री छत्तर सिंह तथा उप मुख्य कार्य पालक अधिकारी श्री एम0 एम0 शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने की शिकायत तथा उसकी जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	40
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में कतिपय सुधार की आवश्कता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	40-43
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सप्ताह का कोई भी एक दिन मा0 विधायकों से मिलने के लिए निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ...	43-44
लखनऊ में इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान का निर्माण उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-46
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सप्ताह का कोई एक दिन मा0 विधायकों से मिलने के लिए निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	47-52
दिनांक 4 अगस्त, 2004 को नेता सदन के कथन "जो मा0 सदस्य बोल नहीं पाये हैं वह लिखकर दे दें। शंका का समाधान कर दिया जायेगा" के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	52-53

विषय	पृष्ठ-संख्या
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53-54
जनपद फतेहपुर में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ...	54-55
क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में स्थानीय विधायकों के प्रस्तावों को न लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55-56
शहरी क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों के समान विकास कार्य कराने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	56-57
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 .... (सदन के पटल पर रखा गया)...	58
उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 उत्तर प्रदेश विनियोग (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	58
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-1985, 1985-1986, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	58
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 तथा उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	58-59
उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	59
जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम परदवा अपवा बरियारी कला में 100 क्यूसेक की लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराकर सिंचाई व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री शिवदास आदि निवासीगण जनपद चित्रकूट द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।)	59
जनपद बहराइच के अन्तर्गत सरजू नदी के बौडी घाट पर पुल तथा बहराइच महसी रोड पर अमर पुल घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम मिलन यादव आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।)	59
जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर क्षेत्र के बुलन्दशहर अनूप शहर मार्ग आदि के उच्चीकरण व सड़क निर्माण विषयक श्री शम्भू शर्मा आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।) ...	59
जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खली पर बिक्री कर समाप्त करने विषयक, श्री प्रदीप गर्ग आदि निवासीगण जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी।)	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 4 अगस्त, 2004 की कार्यवाही में संसदीय कार्य मंत्री एवं सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा श्री उदय भान करवरिया के सम्बन्ध में अपमानजनक टिप्पणी किये जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना	60-63
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव..... (स्वीकृत)	63-64
प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	64-65
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 ... (पुरःस्थापित)	66
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं... (जारी)	66-70
भोजनावकाश हेतु सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्री का श्री उपाध्यक्ष से अनुरोध	70
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	71-87
प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द एवं वृद्धावस्था से ग्रस्त 70 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध-दोष-पुरुष बंदियों तथा 60 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध दोषी महिला बन्दियों की अपंगता, असाध्य रोग एवं शारीरिक अशक्तता के कारण उनकी रिहाई के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की घोषणा	87
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	88
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्राप्त विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	88-89
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) ...	89-90
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	90-91
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) ...	91-92
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 (संशोधन अस्वीकृत, विधेयक पारित)	93-100
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (संशोधन अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	101-106
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित)..	106-110
उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 के विचार एवं पारण से सम्बन्धित मद संख्या 27 एवं 28 को स्थगित किये जाने का प्रस्ताव तथा उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	110-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (संशोधन अस्वीकृत, विधेयक पारित)	112-116
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) ...	116-117
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किये जाने सम्बन्धी संकल्प" (संकल्प पर चर्चा स्थगित)	117
"इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी संकल्प" (संकल्प पर चर्चा स्थगित)	117-118
"इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिये जाने सम्बन्धी संकल्प" (संकल्प पर चर्चा स्थगित) ...	118
"इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने सम्बन्धी संकल्प" (संकल्प पर चर्चा स्थगित)	118
"इस सदन का निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित किये जाने सम्बन्धी संकल्प" (संकल्प पर चर्चा स्थगित)	118
उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के फलस्वरूप प्रदेश में बड़ी मात्रा में अधोमानक दवायें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घन्टे की चर्चा का स्थगन	118-119
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	119-125
श्री रवीन्द्र सिंह सहायक अध्यापक नेहरू इन्टर कालेज, रतनपुरा जनपद मऊ को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवशेष पेमेन्ट न मिलने से उत्पन्न स्थित विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	125-126
जनपद सोनभद्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बालू खनन का पट्टा वन विभाग के पक्ष में गलत ढंग से करने विषयक श्री रमेश चन्द विन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	126-128

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद थानान्तर्गत राजीव नगर कालोनी में कावड़ियों की सेवा के लिये लगाये गये पंडाल में गुण्डों द्वारा की गयी फायरिंग से उत्पन्न स्थित विषयक श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	128-129
जनपद आजमगढ़ के थाना तहबरपुर की पुलिस द्वारा जन विरोधी रवैया अपनाये जाने विषयक श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	129-130
प्रदेश के अनेक जनपदों में मकानों, दुकानों एवं घनी आबादी के ऊपर से गुजरती विद्युत की हाईटेंशन लाइनों को हटाये जाने विषयक, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	130-131
जनपद लखीमपुर खीरी के जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी कार्यालय में व्याप्त घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार विषयक श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य ...	131-132
आजमगढ़ सदर के मझारी बाजार में एक विद्युत सब स्टेशन की स्थापना कराने विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	133
जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत वरौलिया से मोनखारा जाने वाली रोड का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	133
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत हरिबांध पोखरे पर बन रहे तहसील के निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि देने विषयक श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	134
जनपद औरैया के विधूना क्षेत्रान्तर्गत रानी अहिल्याबाई होल्कर राजकीय विद्यालय की समस्याओं का निस्तारण कराने विषयक श्री विनय शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	135-136
जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर के ग्राम धौरूपुर व शरूहना की भूमि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री रमेश चन्द्र विन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	136-137
उत्तर प्रदेश पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) इलाहाबाद द्वारा कांस्टेबिल (एम) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	137-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के थाना बरदह के ग्राम जिबली में आयी बारात से एक बालक का अपहरण हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	138-139
मुस्लिम ईसाई सम्प्रदाय की कतिपय उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य ...	139
जनपद बस्ती में बी0 एड0 एल0 टी0 डिग्री धारकों की नियुक्तियों को बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकरन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ..	140
लखनऊ में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 में चयनित महिलाओं व विकलांगों को प्रशिक्षण हेतु लखनऊ से बाहर न भेजे जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	140-142
जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के ग्राम बडोखर में ग्राम समाज की भूमि को बिना प्रस्ताव पास किये परगनाधिकारी द्वारा आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	142
जनपद जालौन की कालपी तहसील परिसर में स्थित नलकूप संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	142
जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	142-143
जनपद गोण्डा स्थित बन्द पड़ी मैजापुर चीनी मिल को प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत कर चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	143-144
जनपद सीतापुर के ग्राम रतौली एवं अन्य ग्रामों के घाघरा नदी की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	144
जनपद गोरखपुर के ग्राम रिठुआखोर निवासिनी सुमन पुत्री श्री लाल जी के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	144-145

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के छोटे किसानों को एक से पांच हार्स पावर को निजी नलकूपों के लिये विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	145
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	145
जनपद लखीमपुर के ग्राम घोसियाना लखीमपुर देहात स्थित [illegible] नदी के कटान से क्षतिग्रस्त पुलियों व सड़कों की मरम्मत के संबंध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	146
जनपद प्रतापगढ़ की जिला समिति द्वारा विद्यालयों के निर्माण हेतु चयनित स्थलों पर विद्यालयों का निर्माण न कराये जाने से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ "मोती सिंह" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य...	146-147
मेरठ शहर के पटेल नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा सहायता तथा पुनर्वास विभाग की भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	147
जनपद आजमगढ़ स्थित प्रसिद्ध कल्हौरा आजम के पास टोंस नदी पर लकड़ी का पुल तथा निजामपुर के पास मझुई नदी पर लकड़ी का पुल तथा शेरजहांपुर में कुंवर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	147
जून 2001 से 2003 के मध्य सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षिकाओं/शिक्षकों को पेंशन अनुमन्य न किये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	147-148
जनपद पीलीभीत स्थित अवन्तीबाई जिला पंचायत इण्टर कालेज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	148-149
कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा सुश्री मनमोहन कुमारी मल्होत्रा विकलांग व वृद्ध महिला के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	149

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्व घोषित विभिन्न निर्माण कार्य पेयजल एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	149-150
जनपद हरदोई के ढ़कपुरा गांव के पास कुण्डा नाले पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	150
जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के कटान से गांवों को बचाने हेतु बांध बनाये जाने विषयक श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना तथा जनपद फतेहपुर को सूखा ग्रस्त घोषित करने एवं सरकारी देयों की वसूली माफ किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	151
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अप्रेन्टिस शुदा नौजवानों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य	151-152
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से विस्थापित गांव को आवासीय भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	152
कानपुर रोड, इलाहाबाद शहर के मोहल्ला कहार गल्ला के लिए नये विद्युत ट्रान्सफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	152
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में गंगा किनारे शवदाह स्थल के सुधार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	153
प्रदेश की कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	153
जनपद लखीमपुर खीरी में चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य का स्थगन ...	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के मेसर्स त्रिवेणी ग्लास वर्कस प्रा0 लि0 इरादतगंज के प्रबन्ध तंत्र द्वारा मजदूरों के निकाले जाने के उत्पन्न स्थिति पर श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य ...	154
जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत पुरवा मजरा गंगा बेहड़ निवासी अमीन का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने विषयक श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	155
जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पिकीरा का भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	155-156
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कांठ के ग्राम पडरीलाल के प्राथमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	156-157
उत्तर प्रदेश सचिवालय में गृह विभाग के स्थानान्तरित अनुसचिव को गृह विभाग द्वारा कार्य मुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	157-158
प्रदेश के स्थानीय निकायों व नगर निगमों में शासन द्वारा निर्धारित नियमावली का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	158-160
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	160
जनपद गाजियाबाद की गन्ना सहकारी समिति थौलाना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	160
पत्राचार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	161-163
आगरा कैनाल के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि में से राजबाह, फरह, बरारी मथुरा लैफ्ट इत्यादि पर समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	163

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मेरठ के अन्तर्गत सरधना के चन्द्रपाल पुत्र श्री धर्मपाल की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं मृतक परिवार को सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	163-165
जनपद बहराइच के ग्राम कसेहरी बुजुर्ग स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	165
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा डिपो कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में चौधरी मस्त राम एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ...	165-166
जनपद मेरठ स्थित नई बस्ती लल्लापुरा में चिकित्सा सुविधा एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	166
जनपद लखीमपुर के निघासन विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	167
वाराणसी में साड़ी उद्योग में भयंकर मंदी से बुनकरों को उबारने एवं भुखमरी के कारण मृतक तनवीर के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	167-168
जनपद रायबरेली, सीतापुर तथा वाराणसी से सम्बन्धित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम हेत तथा श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की नियम-51 की सूचनाओं पर वक्तव्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य-मंत्री को निर्देश	168
जिला चिकित्सालय सदर आजमगढ़ में सरकारी दवाई न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	168
आगरा शहर में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	168
जौनपुर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था ठीक कराने एवं अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	168-169

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत सिल्ट की सफाई न होने से नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में श्रीमती राजरानी रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	169
जनपद पीलीभीत में श्रीमती धर्मवती की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु की घटना विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री द्वारा सदन को दी गयी जानकारी	169-170
सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव (जारी) ...	170
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद ...	170-177
सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	177-178
राष्ट्रीय गान	178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा
चौदहवीं विधान सभा
शुक्रवार, दिनांक 06 अगस्त, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-339

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप,, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिलदेव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीरनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह, चौहान	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा"	ललितपुर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चदौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-(1)श्री राम प्यारे सिंह, पर्यावरण मंत्री,

(2) राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा

(3) श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और पंचायतों में उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि दिनांक 6-8-2004 से बढ़ाकर दिनांक 10-8-2004 तक किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

एक प्रस्ताव है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आज के दिन प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और पंचायतों के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने की तारीख है। सभी माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं और सभी चाहेंगे कि वह क्षेत्रों में रहें। एक रेजूल्यूशन दो-चार लाईन का है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि- नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषदों के उपाध्यक्ष पद के सामान्य निर्वाचन, 2004 में नामांकन की अंतिम तिथि दिनांक 06-08-04 को पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 02.30 बजे तक घोषित की गयी है। विधान सभा सत्र के चलते विधान सभा सदस्य व उनके सहयोगी लखनऊ में हैं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया जाये कि नामांकन की इस तिथि को दिनांक 10-08-04 तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ? (नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव का समर्थन किया)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

बहुजन समाज पार्टी के महासचिव श्री बाबू सिंह कुशवाहा तथा विधान परिषद् सदस्य श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फर्जी मुकदमों में फंसाने विषयक सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी सदन में विगत दिनों आपके निर्देश पर हमने विधान मण्डल दल के दो माननीय सदस्य जो वर्तमान में विधान परिषद् के सदस्य हैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और श्री बाबू सिंह कुशवाहा जिनमें सिद्दीकी साहब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा श्री कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव हैं उनको गलत मुकदमों में फंसाने और पार्टी की छवि बदनाम करने के लिए कानपुर का प्रशासन तंत्र उनके पीछे पड़ गया है, इस सम्बन्ध में हमने अपनी बात यहां रखी थी और सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन कल और परसों दोनों दिन, रात में उनके घर पर, आवास पर पुलिस गयी और परिवार के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करने के लिए घर वालों को परेशान करते रहे। इस बीच हम नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना लाये हैं कि जो सरकार कमिटमेंट कहती है उसको कार्यान्वित भी कराया जाये। केवल यह कहने से कि ऐसा नहीं होगा, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसको आप नियम 56 में भी उठा चुके हैं। अभी जब नियम 56 आए तो उसमें देखिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह दोनों विधान मण्डल के सदस्य हैं और पुलिस का जो भय है, पुलिस जिस ढंग से उनके घर आने-जाने और धमकाने का काम कर रही है उसी का नतीजा है कि पिछले 15 दिनों से वह पुलिस के भय से परेशान हो रहे हैं और सदन में विधान परिषद् में भी उपस्थित नहीं हुए। उनके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 नहीं है केवल एक अपराधी के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। मान्यवर, जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म उनके साथ एवं उनके परिवार वालों के साथ पुलिस कर रही है उस आतंक के नाते सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वह वंचित हो रहे है। यह प्रश्न इस विधान मण्डल के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। वह राष्ट्रीय महासचिव या प्रदेशीय महासचिव बाद में हैं, पहले वह इस विधान मंडल के सदस्य हैं। मान्यवर, 14, 15 दिन का सत्र काल रहा लेकिन वह एक दिन भी पुलिस के भय के नाते नहीं आये। तो जिस तरीके से आज पुलिसिया जुल्म ज्यादती.....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आपकी बात आ गयी है। मैं तारांकित प्रश्न संख्या-2 ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक और तो यह सरकार गुण्डों माफियाओं को महिमामंडित करने का काम कर रही है वहीं दूसरी ओर बी0एस0पी0 के निर्दोष माननीय सदस्यों को सता रही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मुझे खेद है अगर ऐसा हुआ है। यकीनन ऐसा हुआ होगा जैसा कि नेता, बी0एस0पी0 ने कहा है। शत प्रतिशत हुआ होगा। मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। यह गलती हुई है। मैं देखूंगा कि ऐसा न होने पाये।

बलिया में घाघरा नदी में नाव में डूब कर 6 व्यक्तियों के मरने विषयक सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, एक दुर्घटना हो गयी है। मान्यवर, जिला बलिया में नगरा नदी में नाव पर सवार होकर कुछ गरीब लोग घास काटने उस पार जा रहे थे कि रास्ते में नाव डूब गयी और 6 लोग मर गये। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाय ताकि उन लोगों को राहत मिल सके।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

[दिनांक 27-7-2004 के अ0 सू0 तारां0 प्र0 सं0-1 के द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा सहित प्रदेश में फर्जी स्टाम्प प्रकरण की जांच कराने की मांग

*2-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोण्डा जिले में करोड़ों रुपये के फर्जी स्टैम्प बेचे जाने का प्रकरण इस वर्ष प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना एवं प्रदेश के अन्य जिलों में फर्जी स्टैम्प बेचे जाने की उच्च स्तरीय जांच करा रही है ? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अब तक कुल 375 प्रकरण जाली/फर्जी/टेम्पर्ड स्टाम्पों/चिपकाऊ टिकटों के विभिन्न जनपदों से प्रकाश में आये हैं। जिनमें रु0 2,76,54,765 की धनराशि निहित है। 222 प्रकरणों की जांच हेतु भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड को स्टाम्प भेजे गये जिसमें से 105 प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रु0 26,33,054 के जाली स्टाम्प तथा रु0 2,77,122.40 के असली स्टाम्प पाये गये। 252 प्रकरणों में प्रथम सूचना-रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर नगर के तथा प्रदेश में पकड़े गये अन्य फर्जी/जाली/संदिग्ध स्टाम्पों की जांच सी0बी0आई0 से कराने हेतु गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिख कर अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देवराय चौधरी-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, इस फर्जी स्टाम्प पेपर और अन्य प्रकरण में अब्दुल करीम तेलगी प्रकरण सबके सामने है। यह भी हम लोगों को मालूम है कि कई हजार करोड़ रुपये का मामला प्रकाश में आया। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है उसमें जांच में सिर्फ दो करोड़ 76 लाख 54 हजार 765 रुपये की धनराशि निहित होना, जो पकड़े गये हैं, उसमें निश्चिय रूप से यह जांच सही नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो जांच की गयी है और दो करोड़ 76 लाख की धनराशि निहित पायी गयी है फर्जी स्टैम्प की तो, इस जांच की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी और इस जांच की प्रक्रिया क्या थी और यह जांच रिपोर्ट कब की है ? जो यह सदन को सूचना दी गई है कि इतने पाये गये हैं और बाकी के लिए कहा है कि जो जाली पाए गये हैं उसकी जांच के लिए सी0बी0आई0 को लिखा गया है। मैं अपने अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को देखते हुए यह जो मामले प्रकाश में आए हैं वह अत्यन्त की कम हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि जांच की प्रक्रिया जितनी गम्भीरता से की जानी चाहिए थी उतनी गम्भीरता से नहीं की गई है अन्यथा और बड़े मामले प्रकाश में आते। तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और यह जो रिपोर्ट दी गई है वह कब तक की है ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, तमाम जगहों पर जैसे महाराष्ट्र, कलकत्ता वगैरह में इस तरह के बहुत से प्रकरण सामने आए, तो इन प्रकरणों को देखते हुए सरकार पहले से ही इसके लिए तैयार थी और पूरी सतर्कता बरती गई कि इस तरह के जाली काम न हो सकें इसलिए इतने कम मामले प्रकाश में आए। मान्यवर, हमने इसके लिए टास्कफोर्स बनाया था और उसकी सतर्कता से ही जांच प्रक्रिया यहां पर हुई है, अभी तक जो मामले प्रकाश में आए हैं उसमें 26 लाख के ही प्रकरण आ सके हैं इसमें सरकार की तरफ से कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती गई। मान्यवर, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया,

सरकार ने इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से तत्काल सी0बी0आई0 को रिफर किया और सी0बी0आई0 लखनऊ और कानपुर दो जनपदों का संज्ञान लेते हुए जांच कर रही है और जैसे ही निर्णय आयेगा, सबको सूचित किया जाएगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो रेवेन्यू स्टाम्प का सर्किल रेट तय किया है उसके पीछे कोई नीति सिद्धान्त है या मन-माने ढंग से जैसे कृषि योग्य भूमि का चार लाख प्रति हेक्टेयर या छः लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था तो उसको 24 लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है, इतना बढ़ा दिया गया कि जो गरीब किसान अपनी आवश्यकतावश जमीन बेचना चाहे तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो यह मामला इन्कम टैक्स से भी जुड़ गया है, जहां तक मैं जानता हूं ऐसे-ऐसे विवादास्पद विषय हैं जैसे कोई काम्पलेक्स बना है, एल0डी0ए0 से खरीदा है, पैसा भी एडवान्स मिल गया है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, कारण जो सर्किल रेट तय किए गये हैं वह बहुत ज्यादा है। पता चला उसमें गरीब दुकानदार ने दुकान खरीदी, कोई मामूली आदमी ने फ्लैट खरीदा होगा, लेकिन वह उसकी रजिस्ट्री न करा पाने की वजह से धन्धा नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, कारण अभी उसको इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। मान्यवर, यह विभाग जब हमारे पास था तो यह तय हो गया था कि जितने की जमीन खरीदी जाएगी, उतने का ही स्टाम्प लगेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है मान लीजिए जो सहकारी समितियां हैं वह जमीन बेच रही हैं सौ रुपये फुट और वहां का सर्किल रेट तय किया गया है तीन सौ रुपये फुट, तो उन्हें मिलेगा सौ रुपये और तीन सौ में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो यह जो तरीका अपनाया गया है इसे ठीक करना पड़ेगा नहीं तो लोग कोर्ट में जायेंगे, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पर फिर से विचार करना चाहेंगे ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विचार रखे हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं, जल्द ही इस सम्बन्ध में निर्णय आ जाएगा, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो विसंगतियां है उसको दूर किया जा रहा है। मान्यवर, यह बात अवश्य है कि जो एरिया का सर्किल रेट है। आप सहमत होंगे कि वहां की स्थिति को देखकर किया जाता है। विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत रजिस्ट्री कम हो रही हैं उसको संज्ञान में लेते हुये यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है। जल्द से जल्द हम इस पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जिस भूमि का लैण्ड यूज कृषि है, अगर वह आवासीय कराना चाहेगा तो लैण्ड यूज चेन्ज कराने के लिये उसे अलग धन देना पड़ेगा। आपने वैसे ही 6 लाख रुपये हेक्टेयर से बढ़ाकर 24 लाख रुपये हेक्टेयर कर लिया है तो मान्यवर, मेरा कहना यह है यह कोई तर्क संगत आधार नहीं है। पहले आप देखें 10 परसेन्ट और 15 परसेन्ट बढ़ जाता था, लेकिन यह जो आपने किया है यह तो सारा लूट लेने की स्थिति बन गयी है। इस पर आप फिर से विचार करें। मान्यवर, दूसरी बात यह है जब मल्टी स्टोरीज़ काम्पलेक्स कभी रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप उसमें क्या करेंगे ? क्योंकि जिसने

बिल्डिंग बनायी है उसकी तो रजिस्ट्री हुई नहीं, तो जिनके पजेशन्स हैं वह रजिस्ट्री कैसे करेंगे ? तो मेरा कहना है कि जिसने जितना खरीदा है आप उतना पूरा स्टैम्प लेकर पजेशन दिलाने का काम करें। इसमें उनकी जान भी बचेगी और बराबर की बात हो जायेगी। मान्यवर, आज एक छोटे दुकानदार ने 1 लाख रुपये की दुकान खरीदी आपने वहां का सर्किल रेट 6 लाख कर दिया, तो उसे 60 हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी तो वह रजिस्ट्री नहीं करायेगा। एग्रीमेण्ट टू सेल करा देगा। तो आप कोई सम्यक् नीति बनायें, नहीं तो इससे एक के आस बढ़ जायेगा और आपकी रेवेन्यू कम हो जायेगी, बढ़ेगी नहीं।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, इस पर नीति विचाराधीन है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जा रहा है, जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं कि इससे सरकार को भी हानि है। जो यूजर्स परेशान हैं उनकी परेशानी का संज्ञान लेते हुए यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह प्रकरण सर्वप्रथम इस विधान में 14 नवम्बर, 2003 को नियम-56 में मेरे द्वारा उठाया गया था। दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को रिट संख्या-81/2003 पर मा0 उच्च न्यायालय ने सी0बी0आई0 जांच कराने के आदेश दिये थे जिसके आधार पर सरकार ने सी0बी0आई0 जांच के निर्देश दिये। कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर ट्रेजरी ने इसे शासन को संदर्भित किया था। तत्कालीन आई0जी0 स्टैम्प ने कहा था कि पागल हो और मूर्खतापूर्ण आरोप लगा रहे हो और उन्होंने तीन अधिकारियों को जिसमें लौरिक यादव और वहां के ट्रेजरी आफिसर भी सम्मिलित थे, उनको सस्पेन्ड कर दिया था। तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि सी0बी0आई0 को जांच के कब निर्देश दिये गये और कब उन्होंने टेक अप किया। मान्यवर, इसमें एक जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया था जो यह देखेगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त अन्य कितनी कम्पनियों ने इस स्टाम्प घोटाले के फर्जी स्टैम्पों का उपयोग किया। वह जांच दल कब गठित हुआ और उसने किन-किन कम्पनियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य जो कह रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि जब विभाग को इसकी जानकारी हुई तो विभाग ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ अभियोग दर्ज किया उसके खिलाफ रिलीफ लेने के लिए जीवन बीमा निगम उच्च न्यायालय गया और उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय। उसकी जांच हो रही है। उसकी रिलीफ के लिए एल0आई0सी0 कानपुर माननीय उच्च न्यायालय में गयी और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सी0बी0आई0 जांच चल रही है जिसमें लखनऊ और कानपुर का संज्ञान लेकर कार्रवाई हो रही है। पूरे प्रदेश में जहां इस तरह की बात आई है, उसको संज्ञान में लेकर सी0बी0आई0 को रिफर कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने केवल इतना पूछा था कि 19 दिसम्बर, 2003 को उच्च न्यायालय ने सी0बी0आई0 से जांच कराने का निर्देश सरकार को दिया तो सरकार ने इसको कब संदर्भित किया जांच करने के लिए और सी0बी0आई0 ने इसे कब टेकअप किया ? दूसरा सरकार ने यह भी कह दिया कि जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त जो अन्य कम्पनियों ने इस तरह का घोटाला किया है उसके लिए एक जांच दल गठित किया जायेगा तो अगर वह जांच दल गठित हुआ है तो उसका गठित होने का दिनांक क्या है और उसने कौन-कौन सी कम्पनियों की जांच किया और उसमें प्रथम दृष्टया कौन दोषी पाया गया ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, इसके लिए टास्कफोर्स बनायी गयी है उस टास्कफोर्स में विभागीय अधिकारी भी है, पुलिस अधिकारी भी है। तमाम लोग जो पकड़े गये हैं, वह इस तरह की स्टाम्प टास्कफोर्स के द्वारा ही पकड़े गये है। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से सचेत है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरे द्वारा नियम-56 में दिनांक 14-11-03 को दी गयी सूचना में माननीय मंत्री जी द्वारा पत्र व्यवहार किया गया। इनका यह पत्र अर्द्ध शा0प0 संख्या-क0नि0-5-6756/11-2003 दिनांक 31 मार्च, 2004 का है। मैं इसकी एक प्रति आपके डायस पर भी भेज सकता हूं। उसमें कहा गया है कि जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर एवं अन्य अनधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं का मामला है, इस सम्बन्ध में विभागीय उपमहानिरीक्षक निबन्धन कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा दिनांक 28-11-03 को थाना फीलखाना कानपुर में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। इस मामले में वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय कानपुर, श्री हरि प्रताप सिंह प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या-8103/2003 दायर किया जिसकी सुनवाई करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को यह आदेश दिया कि इस मामले में सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। तद्नुसार मामले में सी0बी0आई0 जांच करने हेतु प्रकरण संदर्भित कर दिया गया है। मान्यवर, यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें आगे है, प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर शाखा ने विगत वर्षों में कानपुर नगर कोषागार से जो स्टाम्प पत्र क्रय किये है, उसका विवरण तथा इस मामले में शासन द्वारा एक जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया जो मण्डल स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के कार्यालयों द्वारा प्रदेश के कोषागारों से भिन्न स्रोत से क्रय किये गये स्टाम्पों से वर्षवार सूची प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया जिसकी प्रति भी एतद्द्वारा संलग्न है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा फर्जी जाली स्टाम्पों को रोकने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश विषयक शासकीय पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 2003 की प्रति भी आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है तो मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह बतायें कि जांच दल गठित हुआ या नहीं और क्या कानपुर के अतिरिक्त कम्पनियों की जांच प्रारम्भ हुई और उसमें कौन-कौन सी कम्पनियां दोषी पायी गयीं ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, जब यह संज्ञान लिया विभाग ने तो जीवन बीमा निगम कानपुर उच्च न्यायालय में गया, मान्यवर, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया उसके निर्देश के अनुसार कानपुर-लखनऊ की सी0बी0आई0 जांच हो रही है। प्रदेश सरकार चाहती है कि अन्य जनपदों में जहां इस तरह की विसंगतियां आई है उसकी भी सी0बी0आई0 जांच करे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब यह मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराई जाय तो आपने सी0बी0आई0 को कब लिखा यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

और जांच दल कब गठित किया गया, यह बता दें ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, जब माननीय न्यायालय का आदेश मिला, तो सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए सी0बी0आई0 को रिफर कर दिया। सी0बी0आई0 कानपुर बीमा निगम की विसंगतियों की जांच कर रही है, इसके अलावा तत्काल ही टास्कफोर्स का गठन किया गया, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह टीम अन्य जनपदों में भी काम कर रही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच दल ने किन-किन कम्पनियों की जांच की है और कौन-कौन दोषी पाये गये। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। इसमें सरकार को कोई लेना-देना नहीं है, इसमें सरकार कठघरे में खड़ा होने नहीं जा रही है। जो फर्जी स्टाम्प बेचने वाले लोग हैं, यह उनके संबंध में है। मान्यवर, चूंकि उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसलिये आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को संदर्भित कर दें, यह महत्वपूर्ण मसला है ताकि इसका उत्तर आ सके।

श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, यह जो फर्जी स्टाम्प का मामला है। इसका मूल उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि फर्जी स्टाम्प के घोटाले न हों, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए ? मेरा सुझाव है कि जो भी रजिस्ट्रियां होती हैं, उन पर जितने का स्टाम्प लगे, उनसे उतने का स्टाम्प न लगवाकर बल्कि उतने की फीस जमा कर रसीद दे दी जाय, इस संबंध में क्या सरकार विचार करेगी ? मतलब सीधे पैसा जमा करके रजिस्ट्री हो सके ताकि घोटाले से बचा जा सके।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो रजिस्ट्री कार्यालय है, वह कम्प्यूटरीकृत किये जा रहे हैं, यह काम कई चरणों में विचाराधीन है। जैसा सम्मानित सदस्य कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में यह प्रक्रिया चलाई जा

रही है। यहां पर भी प्रदेश सरकार विचार कर रही है, सरकार चाहती है कि यह काम चरणबद्ध तरीके से जल्द से जल्द हो।

श्री लाल जी टण्डन-

नगर विकास मंत्री को एक जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार की नगर सुधार योजना के लिये अलग से योजना चल रही है और उन्होंने 4-5 शर्तें रखी हैं। एक शर्त यह भी है कि रजिस्ट्री का स्टाम्प कम किया जाय। मैं एक वर्ष पहले की बात बता सकता हूं, जब मीटिंग हुयी थी तो जो उत्तर प्रदेश का मिलने वाला धन था, वह 65 करोड़ था। अब तो 80 करोड़ तक मिलना चाहिए। रजिस्ट्री में तो आपको 10-20 करोड़ ही बढ़कर मिल पायेंगे ओर इसमें भी तमाम फर्जी स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो जायेगी। जबकि इसमें आपको 80 करोड़ भारत सरकार से मिलेंगे। अगर इसके ऊपर आप ताल मेल बना लें तो प्रदेश का बड़ा हित होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

विचार कर लेंगे।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात बताई है, अच्छी बात है, इसीलिए सरकार ने प्रदेश के जितने भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं, डी0आई0जी0 कार्यालय हैं, को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसका हम अभी निवेदन कर चुके हैं, यह सरकार के विचाराधीन है। यह भी विचाराधीन है कि जो विकास प्राधिकरण हैं, उनके द्वारा निर्धारित सीमा तक ही स्टाम्प लिया जाय। भवन निर्माण के काम रुके हैं, रजिस्ट्री रुकी है, अगर ऐसा होगा, तो इससे सरकार को ही फायदा होगा। निर्माण निगम, विकास प्राधिकरण को भी फायदा होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नियमावली के नियम-269-ख में दिया है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर शासन से समय से प्राप्त न हो अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न हो और अध्यक्ष ऐसा करना समीचीन समझें तो वह उस मामले को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर सकेंगे। अध्यक्ष समीचीन समझें यह तो आपके विवेक पर निर्भर है और आपका निर्णय शिरोधार्य होगा लेकिन इतने महत्वपूर्ण मसले पर जिसमें राजस्व का मसला है, एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं अगर उस पर विचार-विमर्श होकर कुछ अच्छे दिशा-निर्देश निकलने की संभावना हो तो अध्यक्ष का समीचीन होना अनिवार्य है। यह मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि कृपया समीचीन शब्द के प्रयोग को सार्थक करते हुए इस मामले को प्रश्न सन्दर्भ समिति को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि प्रश्न का समुचित उत्तर न आये, जितना आपका प्रश्न है उसका स्पष्ट उत्तर है। आपको नियम-56 में जो उत्तर मिला है जब आप उसका सन्दर्भ लेकर प्रश्न पूछते है तो लगता है कि उत्तर स्पष्ट नहीं है, आप पहले प्रश्न और उत्तर दोनों को पढ़ लीजिए और उसके बाद यदि स्पष्ट न हो तो लिख करके दे दीजिएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय सदस्य खड़े होकर प्रश्न को पूछते हैं और उसके अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका जो उत्तर आता है, ऐसा नहीं है कि उसे हम चरणा अमृत की तरह पान कर लेंगे। आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करूंगा और लिख करके दूंगा कि इस मामले को प्रश्न, सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया जाए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आज एजेण्डे की लाज की रक्षा मैंने ही की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बाजपेयी जी ने जो जानने का प्रयास किया उसका समुचित उत्तर नहीं आया, यह सत्य है और आपके विचाराधीन है कि यह प्रश्न, प्रश्न और सन्दर्भ समिति को सुपुर्द कर दिया जाए या नहीं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो इतना बड़ा प्रकरण है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति से भी सम्बन्धित है, जितना गम्भीर और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सरकार भी इस प्रश्न को उतनी ही गम्भीरता से ले। चूंकि यह मामला सी0बी0आई0 के सुपुर्द हो गया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार का उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के फर्जी स्टाम्प का प्रयोग जिससे कि प्रदेश के राजस्व की क्षति होती है, भविष्य में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी ऐसी प्रक्रिया सरकार ने बनाई है ?

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, इस प्रश्न पर जो गम्भीरता व्यक्त की गई है, इसकी चिन्तनीय स्थिति को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है और इसके लिए कम्प्यूटराइजेशन की व्यवस्था कर रही है। फर्स्ट फेज, सेकेण्ड फेज और थर्ड फेज में यह कार्य पूरा हो जायेगा और जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए गोण्डा में जांच भी कराई गई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आप संरक्षण नहीं देंगे तो हम प्रश्न नहीं पूछ पायेंगे। हम प्रदेश के हित में सवाल कर रहे हैं, यह कोई मेरे हित का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि उत्तर स्पष्ट नहीं है इसलिए इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया जाय। आपसे मैंने कहा कि लिखकर दीजिए, विचार करके जो निर्णय होगा वह बता दिया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं इसे दोहराना चाहता हूं मंत्री जी शायद समझ नहीं पाये। मैंने पूछा कि भविष्य में दुरुपयोग न हो, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आपकी बात आ गयी।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के तहसील रामनगर से सफदरगंज की सड़क पर छायादार वृक्षों को लगाने की मांग

1-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में तहसील रामनगर से सआदतगंज होते हुये सफदरगंज जाने वाली सड़क के दोनों ओर के पेड़ नहीं रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या छायादार पेड़ों को लगवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं, रामनगर-सहादतगंज-सफदरगंज मार्ग पर पेड़ लगे हैं परन्तु इनका घनत्व कम है। वर्तमान में इस मार्ग पर कुल 11237 पौधे एवं वृक्ष जीवित हैं।

वर्ष 2002 में विभिन्न प्रजातियों के 11000 पौधों का रोपण कराया गया है। इनमें अधिकतर छायादार प्रजाति के वृक्ष हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में दशम् वित्त आयोग अन्तर्गत खम्हौरा से चकतकुली सम्पर्क मार्ग को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराने की मांग

2-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में खम्हौरा से चकतकुली तक सम्पर्क मार्ग को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत, बांदा द्वारा मात्र सोलिंग स्तर तक कार्य कराया गया है तथा पेन्टिंग स्तर का कार्य शेष है ? यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी नहीं।

जी हां।

धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी, तहसील मऊरानीपुर के कतिपय ग्रामों में स्थापित सरकारी नलकूपों को समय से चालू कराने के आदेश

3-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मऊरानीपुर जनपद झांसी के अन्तर्गत ग्राम धमना एवं ग्राम धबाकर व ग्राम तिलैरा में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप स्थापित है और समय से नहीं चलाये जाते हैं जिससे किसानों की खेती की बुआई के लिये देरी हो जाने से फसल

बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूपों को समय से चलाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

संबंधित ग्रामों में राजकीय नलकूप स्थापित हैं जो समय से संचालित किये जा रहे हैं।

राजकीय नलकूपों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3304/33-1-03-57/2003, दिनांक 17 नवम्बर, 2003 एवं 821/33-1-04-57/2004, दिनांक 6 मई, 2004 द्वारा विस्तृत निर्देश संबंधित अधिकारियों/विभागों को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 अगस्त, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 76 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना, श्री जगदीश नारायण राय जी की है, लगता है उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना, कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा की है, श्री वर्मा भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है कि एक परम्परा रही है कि सत्र के अन्तिम दिन 301 की जितनी सूचनायें प्राप्त होती हैं सब स्वीकार की जाती है। इसलिए जितनी सूचनायें हैं सभी स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन माननीय सदस्य कितने जागरूक हैं कि सूचना देने के बाद अनुपस्थित हैं।

(नियम-301 में प्राप्त निम्नलिखित सभी 61 सूचनायें स्वीकार की गयीं और पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत में खाता संख्या-46 के अन्तर्गत आराजी सं0-127/2/190 पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने तथा हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[महोदय, जनपद जौनपुर के तहसील केराकत स्थित खाता संख्या-46 अन्तर्गत आने वाले कुल 9 आराजी नं0 मिल्कियत सरकार में सड़क योजना के नाम से दर्ज है। आराजी नं0 127/2/190 पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं।

अतः मा0 राजस्व मंत्री जी का इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुये उपरोक्त खातों में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने तथा हटवाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र 75 मल्लावां जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम रजवाहा व माइनरों की सफाई न होने से पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-75-मल्लावां जनपद हरदोई में बिलग्राम रजवाहा के नाम से नहर है, जिससे पांच माइनरें निकली है। यह रजवाहा शारदा नहर करदोई शाखा से निकलता है, इसकी लम्बाई लगभग 26 कि0मी0 है। यह रजवाहा हमारे क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्षों से इस रजवाहा के मोहाने (हेड) से आगे लगभग दो कि0मी0 में ही पानी गया है। इसका कारण पूरे रजवाहे की सफाई न होना है, रजवाहे के अन्दर जंगल खड़ा है और दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हैं। पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। पानी की समस्या को लेकर कई बार धरना, प्रदर्शन के रूप में जनआन्दोलन हो चुका है, आन्दोलन को समाप्त कराने के लिए जिलाधिकारी, हरदोई तथा नहर के अधिकारियों द्वारा पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन कई बार दिया जा चुका है। परन्तु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज सूखे की स्थिति है, जिससे जनता की परेशानी और भी बढ़ गयी है। पानी की समस्या का कोई हल दिख रहा है।

अतः पानी की इस गम्भीर समस्या के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पानी की गम्भीर समस्या का निदान कराने की कृपा करें।]

जनपद गोण्डा में मनकापुर मसकनवां बभनान मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर मसकनवां बभनान मार्ग जो जिला मार्ग है। वर्तमान समय में यह सड़क निर्माणाधीन है। धनाभाव के कारण सड़क का निर्माण कार्य रुकने के कगार पर है। यह मार्ग जनपद की महत्वपूर्ण मार्ग है। जो बस्ती एवं फैजाबाद को जोड़ती है। इस मार्ग पर स्वामी नारायण सम्प्रदाय का विशाल मन्दिर है इस मार्ग से ही होकर देश विदेश के लोग मन्दिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। परन्तु सड़क की स्थिति ठीक न होने के कारण उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के महत्व को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व सरकारों में विधान सभा की कई नियमों में उठाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस कल्याणकारी सरकार ने इस सड़क के महत्व को देखते हुए धन का आवंटन किया है जिस पर अपेक्षित कार्य होने की सम्भावना नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता है कि मनकापुर, मसकनवां, बभनान मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु धन आवंटन करने की कृपा करें।]

लखनऊ स्थित राजकीय आफिसर्स कालोनी का प्रतिस्थापन कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल मन्नान-

[मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की सूचना देना चाहता हूं :-

मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि लाल बाग की राजकीय आफीसर्स कालोनी का निर्माण वर्ष 1980 में हुआ था। यह एक सात मंजिली इमारत है जिसमें दो ब्लाक "ए" तथा "बी" हैं और प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक फ्लोर पर चार-चार फ्लैट हैं। इस प्रकार 56 फ्लैट की इस बड़ी कालोनी में भूतल से सातवीं मंजिल तक जाने के लिये वर्ष 1981 में चार लिफ्ट लगवाई गई थीं।

यह लिफ्टें पिछले लगभग 4-5 वर्षों से अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और आये दिन खराब रहती हैं। उक्त कालोनी के निवासियों में से यदि किसी की तबियत अचानक खराब हो जाय या कालोनी में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों को छठी-सातवीं मंजिल से भूतल पर आना हो तथा लिफ्ट काम न कर रही हो तो उन्हें अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो लिफ्टें खराब होने की दशा में मरीजों को अस्पताल पहुंचना भी दुष्कर हो जाता है। उक्त लिफ्टें ओटिस कम्पनी की हैं और ओटिस कम्पनी की ही लिफ्टें प्रतिस्थापित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2003-2004 में शासन द्वारा प्रदान की गई थी एवं लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में कदाचित धनावंटन भी किया गया था किन्तु उक्त कालोनी की लिफ्टों का प्रतिस्थापन-कार्य नहीं किया गया।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त राजकीय आवासीय कालोनी की अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो चुकी चारों लिफ्टों के शीघ्रातिशीघ्र प्रतिस्थापन कराये जाने का विषय मुझे सदन में उठाने की अनुमति देने की कृपा करें।]

महिला कल्याण विभाग उ0 प्र0 लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं यौन उत्पीड़न आदि की घटनाओं की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

[महोदय, महिला कल्याण विभाग उ0 प्र0 में संवासिनियों से कराये जा रहे अनैतिक कार्य यौन उत्पीड़न, बलात्कार एवं भ्रष्टाचार के संबंध में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन को कई बार अवगत कराया गया किन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पाश्चात्यवर्ती देख रेख संगठन मोती नगर, लखनऊ संस्थान में रहने वाली संवासिनी अनामिका के साथ दिनांक 18 अगस्त, 2003 को रात्रि के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया। जब मामला प्रकाश में आया जो इसकी सूचना थाना नाका चारबाग लखनऊ में यह दी गई कि संवासिनी कहीं संस्था से गायब हो गई है जब अनामिका संस्था में वापस लौटी तो उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी और जानबूझकर इसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया क्योंकि अनामिका को संस्था से अनैतिक कार्य हेतु संस्था द्वारा भेजा गया था। संवासिनियों द्वारा अनैतिक कार्य करवा कर करोड़ों रुपये का व्यापार किया जा रहा है, जिसका रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में है और इसका संचालन एक सहा0 अधीक्षिका एवं निदेशालय में तैनात एक वरि0 आशुलिपिक द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं जिला प्रोवेशन कार्यालय लखनऊ में विगत वर्षों में लगभग 6 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया जो शासन द्वारा विधवा पेंशन वितरण हेतु प्राप्त हुए थे। इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए निदेशक/सहा0 निदेशक महिला कल्याण से जांच कराई गई जिनके अनुसार लगभग 6 करोड़ का गबन पाया गया और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु उनके पत्रावली में आदेश दिये गये लेकिन निदेशालय में तैनात वरि0 आशु0 द्वारा दोषी से लाखों रुपये लेकर प्रकरण को लम्बित रखा है यही नहीं दोषियों को निदेशालय/जिला प्रोबेशन कार्यालय से आज तक हटाया नहीं गया।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार के जघन्य अपराध और भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जाय।]

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं में अधिकारियों की साठ-गांठ से दवाओं, उपकरण तथा फर्नीचर के क्रय आदि में हो रहे घोटाले की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र किशोर तथा श्री छोटे लाल वर्मा-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में जुलाई, 2000 से दिसम्बर, 2005 तक के लिये विश्व बैंक द्वारा 478.00 करोड़ रुपये की परियोजना 28 जनपदों में 117 इकाइयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट द्वारा चलायी जा रही है। इसमें विश्व बैंक का 86 प्रतिशत एवं राज्य का 14 प्रतिशत कर्ज है। ज्ञात हुआ है कि पूरे प्रदेश में दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 80 समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कार्य लिया जा रहा है जिनके द्वारा कार्य प्रारम्भ होने से अब तक केवल कागजों में दवा वितरण एवं कैम्प का कार्य कराया जा रहा है जिसकी जनहित में जांच कराया जाना अति आवश्यक है। दवाओं/उपकरण/फर्नीचर के क्रय किये जाने में भी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। अधिकारियों की सांठ-गांठ से एक ही व्यक्ति द्वारा चलायी जा रही कई फर्मों से दवाओं/उपकरण/फर्नीचर आदि आपूर्ति ली गई है जिसमें करोड़ों रुपये की कर्ज की धनराशि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी भी जांच कराना अति आवश्यक है। प्रदेश के 28 जनपदों में जो निर्माण कार्य किये गये हैं/किये जा रहे हैं तथा उपकरण मरम्मत कराये जा रहे हैं, उसमें भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस कारण उक्त समस्त प्रकरण की जांच कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपरोक्त प्रकरण की शीघ्र जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के धमौर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए घोटाले की जांच कराने तथा मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद सुल्तानपुर के धमौर मार्ग जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ हुआ। अभी कार्य हुए 3 माह भी नहीं हुए और निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ, परन्तु निर्मित सड़क जगह-जगह बीच में टूट (फट) एवं दब गयी है।

उपरोक्त मार्ग का निर्माण लगभग 8 करोड़ की लागत से बन रही है। मानक के अनुरूप कार्य न होने से सड़क का निर्माण पूर्ण होने से पहले टूट जाना निन्दा की बात है। ऐसे घटिया निर्माण से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग के निर्माण की उच्च-स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं मानक के अनुरूप उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में चारों ओर प्लास्टिक (पालीथीन) के प्रयोग से पर्यावरण को खतरा होने तथा लोगों में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान लोक महत्व के अबिलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं, प्रदेश में चारों तरफ प्लास्टिक (पालीथीन) की खेती हो रही है। जिधर देखो उधर पालीथीन ही नजर आती है। जिसे खाकर जानवरों की मृत्यु में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है तथा पर्यावरण तथा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है तथा जहां भी नालें-नाली पालीथीन से पानी की निकासी नहीं हो पाती वहीं पर मिथन गैस पैदा होती है जो और भी पर्यावरण को दूषित करती है तथा संक्रामक रोग भी फैलते हैं जिस कारण प्रदेश की 17 करोड़ जनता को जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। प्लास्टिक को खाकर गिद्ध की प्रजातियां भी विलुप्त हो गयी हैं। जिसे सरकार ने बचाने का कोई भी कदम नहीं उठाया है। दिनों-दिन पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़ों पर ही चल रही है। जनहित का कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण दूषित होने के कारण प्रदेश के निवासियों में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

पूर्वी यमुना नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने तथा फर्जी जमा बन्दी के आधार पर की जा रही वसूली बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय, मेरा समस्त विधान सभा क्षेत्र पूर्वी यमुना नहर पर ही सिंचाई हेतु निर्भर है उक्त नहर में विगत 10 महीने में एक बार भी पानी नहीं आया। नहर पर आधारित लगभग 4 दर्जन रजबहे व माइनर सूखे पड़े हैं। एक ओर तो नहर व रजबहे सूखे पड़े हैं दूसरी ओर कृषकों पर जमाबन्दी में सिंचाई दर्शाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। यह अमानवीय भी है और नियम के विरुद्ध भी।

इस लोकहित की महत्वपूर्ण सूचना को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि सरकार सिंचाई हेतु यमुना नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे तथा अनियमित रूप से तैयार की गयी जमाबन्दियों के आधार पर की जा रही वसूली बन्द करें।]

प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु अस्पतालों में तत्काल इन्सीलेटर लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुशील चौधरी-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का कोई भी निस्तारण न होने के कारण प्रदेश में संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में सरकार ने कई बार इन्सीलेटर लगाने का आश्वासन दिया, मगर अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में सरकार इन्सीलेटर कचरा निपटाने हेतु नहीं लगा सकी। यह प्रदेश की 17 करोड़ जनता के साथ सरकार द्वारा विश्वासघात किया जा रहा है सरकार द्वारा कोरे आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने के अलावा कोई भी कार्य जनता के हित में नहीं किया जा रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को सरकारी अस्पतालों में तत्काल इन्सीलेटर लगाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद श्रावस्ती तथा बलरामपुर के अस्पतालों में जांच के आपूर्ति की गयी दवाओं के क्रय में घोटाला एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[मान्यवर, वर्ष 2001-02 में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती द्वारा जिले के अस्पतालों में विभिन्न दवा कम्पनियों को दवा आपूर्ति का आदेश दिया था और विभिन्न कम्पनियों द्वारा अपनी-अपनी बिल लगाकर दवा आपूर्तिकर्ता मार्डन मेडिसिन टाइम बहराइच की बिल लगाकर बड़े

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं बरतते हुए सरकारी धन को निकाल कर दवा आपूर्ति कर्ता एवं स्वयं द्वारा बन्दरबांट कर लिया।

इसी तरह का एक प्रकरण वर्ष 2002-2003 में इनके द्वारा बलरामपुर जनपद में विभिन्न दवा कम्पनियों द्वारा की गयी दवा की आपूर्ति के बिलों को बदलकर मार्डन मेडिसिन टाइम बहराइच का बिल लगाकर सम्पूर्ण धन को हड़प लिया है। श्रीमान् यह एक गम्भीर प्रकरण है जिसमें कागजों को हेरफेर करके वित्तीय धन का गबन किया गया है इसलिए जांच कराकर दण्डित किया जाना व्यापक जनहित में है।

अतः सादर अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रकरण की जांच में सदन के माध्यम से करता हूं। सदन द्वारा उक्त प्रकरण की जांच दिये जाने के लिए हम माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदन का आभारी हूंगा।]

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि फार्मों की वापसी कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजपाल सिंह बालियान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के प्रक्षेत्र कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि/कृषि ज्ञान केन्द्र खोलने हेतु दिये जा चुके हैं। जब से इन फार्मों को कृषि विद्यालयों को दिया गया है तब से प्रदेश सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि सही समय से किसानों की बीजों की उत्पादन नहीं मिल रहा है। यदि उक्त कृषि फार्मों से फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि फार्मों की वापिसी करा ली जाय।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 सिविल अभियन्ता (नगर भूमि सीमा रोपण विभाग) सेवा नियमावली, 1993 की विभागीय पदोन्नति के आधार पर वर्ष 1995-96 से सहायक अभियन्ता का वेतन पा रहे राजपत्रित अवर अभियन्ताओं को राजपत्रित पद प्रतिष्ठा विषयक शासनादेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणवीर राणा-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सिविल अभियन्ता (नगर भूमि सीमा रोपण विभाग) सेवा नियमावली, 1993 की विभागीय पदोन्नति के 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से सहायक अभियन्ता का वेतन पा रहे राजपत्रित अवर अभियन्ताओं की राजपत्रित पद प्रतिष्ठा की विज्ञप्ति शासनादेश संख्या-1661/47क-14-44ई0एम0-85, दिनांक 11-3-1991 के अनुसार जारी कराने विषयक आपके आदेश सं0-776 दिनांक 2-2-2004 द्वारा सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को प्रेषित पत्र पर विज्ञप्ति सम्बन्धी कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। जिससे विभाग के अधिकारियों में रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर तत्काल कार्यवाही कराने हेतु सचिव आवास एवं शहरी नियोजन उ0 प्र0 शासन एवं प्रमुख सचिव कर एवं निबंधनउ0 प्र0 शासन लखनऊ को पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही कराने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें।]

हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावां, आलमबाग, लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 बृजेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने सम्बन्धी विषय सदन की जानकारी में नियम-301 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं।

श्रीमान् जी हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिलावां आलमबाग लखनऊ की प्रथम अस्थायी मान्यता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा वर्ष 1987 में प्रदान की गयी थी। जिसका उल्लेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-1975-80/2003-04, दिनांक 23/25-6-2003 में किया है उक्त विद्यालय के तीन शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर 1986 में कार्यरत बी0टी0सी0 की आंशिक परीक्षा में सम्मिलित हुये और उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र विद्यालय में प्रेषित किया जबकि उक्त परीक्षा केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु शासनादेश संख्या-2186/15 (13)-1499 (8) 77 दिनांक 20 जुलाई, 1979 संशोधन आदेश रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आदेश संख्या-प्रशिक्षण (1)सी/6330-8330/85-86 दिनांक 21-11-85 आयोजित की गयी थी। उक्त शासनादेश में जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा 30 जून, 1978 को 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम थी उनके लिए कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा 1983 में आयोजित की गयी थी तथा जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा 1978 में 5 वर्ष से कम थी उनके लिए पत्र धारित प्रणाली द्वारा 2 वर्षीय पत्राचार (पत्रकारिता बी0टी0सी0) भी 1983 में आयोजित की गयी थी। उक्त दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण/वंचित तथा पत्राचार इनके द्वारा किया गया हो, के लिए आंशिक परीक्षा का आयोजन 1986 में किया था। उक्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापक श्री सतीश कुमार की नियुक्ति तिथि 26-10-77 अब्दुल कय्यूम अब्बासी की नियुक्ति तिथि 16-10-75 श्री गजराज प्रसाद भारतीय की नियुक्ति तिथि 14-4-77 है यह तीनों अध्यापक उक्त परीक्षा हेतु अर्ह नहीं थे इन्होंने कभी भी सम्पूर्ण परीक्षा नहीं दी और न ही इनके द्वारा दो वर्षीय पत्राचार किया था इन तीनों अध्यापकों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षा विभाग को गुमराह कर उक्त परीक्षा में शामिल हुये और अपने को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना दिखाया। इस प्रकार जाली प्रमाण-पत्र अवैध है। इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दो शिक्षकों श्री सतीश कुमार, श्री अब्दुल कय्यूम अब्बासी के प्रमाण-पत्रों की जांच रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से करायी थी जिसमें रजिस्ट्रार में अपने पत्र सं0-13374-91-92 दिनांक 16-8-91 में फर्जी घोषित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरिसंदर्भित ज्वलन्त विषय पर तत्काल शासन से निर्णय दिलाने हेतु सदन की अनुज्ञा दिलाने की कृपा करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ जनपद के जनगणना में कार्य कर रहे छटनी शुदा समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[महोदय, सन् 1991 के जनगणना के छटनी शुदा कर्मचारी निरन्तर नियुक्ति/समायोजन के निमित्त बराबर प्रयास करते चले आ रहे हैं। आजमगढ़ जनपद छटनीशुदा जनगणना के 7 कर्मचारियों की नियुक्ति माननीय उच्च इलाहाबाद के आधार पर 12 मार्च, सन् 1995 के तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा की जा चुकी है। लगभग 50 से ऊपर व्यक्ति अभी भी नियुक्ति/समायोजित किये जाने से रह गये।

माननीय उच्च न्यायालय का मत रहा है कि समूह ग विधिवत प्रतियोगिता पर या साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति के संस्तुति के आधार पर ही गयी थी जो बाद में छटनी कर दी गयी। समूह ग के पद पर पुननियुक्ति के लिए अभ्यर्थी से प्रतियोगात्मक परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से इस आशय की राजाज्ञा भी जारी हो चुकी है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को आर0 के0 सिंह संयुक्त निदेशक जनगणना निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिलाधिकारी, आजमगढ़ को एक पत्र लिखकर यह निर्देशित किया कि जनगणना 1991 की छटनीशुदा कर्मचारी हैं, जिनको भारत सरकार गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या-2/10 (72-स्था0 डी) दिनांक 7-3-1974 के अनुसार छटनीशुदा कर्मचारियों को श्रेणी करते हुये उनको समायोजित करने का निर्देश दिया किन्तु इनका समायोजन आज तक नहीं किया गया।

इस बेरोजगारी के समय छटनीशुदा कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही भयावह हो गयी है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आजमगढ़ जनपद में जनगणना में कार्य कर रहे छटनीशुदा समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति/समायोजन की जाय।

सादर]

प्रदेश में अहेरिया नाम से जानने वाले लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सिंह अहेरिया-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं शोधन संस्थान द्वारा सर्वेक्षण आख्या के आधार पर अहेरिया नाम से जानने वाले लोग उनकी मूल जाति बहेलिया है, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश, सचिव द्वारा दिनांक 14-2-2003 पत्र सं0-666/26-03-03-3/42/90 द्वारा भारत सरकार को दिया गया था।

मैं नियम-301 के माध्यम से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार की स्वीकृति लेकर इसको प्रदेश में शासनादेश जारी कराये जिससे प्रदेश में अहेरिया नाम से जानने वाले लोगों के अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी हो सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी में जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का "कोलीफार्म टेस्ट" कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, वाराणसी नगर में विशेषकर घनी आबादी तथा सबसे पुराना बसा हुआ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र है जहां दूषित पेयजल की आपूर्ति किये जाने की शिकायत जनता द्वारा प्राप्त होती रहती है। लोगों की शिकायत है कि इसके कारण लोगों को विभिन्न प्रकार के पेट के रोग के कष्ट उठाना पड़ता है। जलापूर्ति की शुरुआत में प्रायः आधे घण्टे तक दूषित और गन्दा पानी आता है जो पीने योग्य नहीं होता और बाद में थोड़े समय के लिए ही जलापूर्ति हो पाती है और लोग अत्यन्त कम दबाव पर जलापूर्ति होने के कारण पेयजल संग्रह करने से वंचित रह जाते हैं। जब लोगों की अनेकों क्षेत्रों से शिकायती समाचार अखबारों में प्रकाशित होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग और जल संस्थान द्वारा पेयजल का "ओ0टी0 टेस्ट" कराया जाता है और वह भी शुरुआती पानी का नहीं होता जिससे जांच में अधिकांश स्थलों का पानी शुद्ध होने की रिपोर्ट आती है। विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि ओ0टी0 टेस्ट द्वारा जल के दूषित होने का पता चलना अनेक वैज्ञानिक कारणों से संभव नहीं है इसलिए वास्तविक रूप से "कोलीफार्म टेस्ट" द्वारा ही यह मालूम किया जा सकता है कि पीने के लिए आपूर्ति किये जाने वाले उस बैक्टीरिया का घनत्व कितना है जो डायरिया तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के कारण बनते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट से यह भी पता चल जाता है कि पेयजल में कहीं सीवर का जल तो नहीं मिल गया है। उक्त परिस्थिति में कोलीफार्म टेस्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के माइक्रो-बायोलाजी द्वारा करायी जानी चाहिए ताकि पेयजल के दूषित होने के सम्बन्ध में वास्तविक परिणाम जनता तथा जल संस्थान के अधिकारियों के समक्ष आ सके और यह इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी कर सकें। अन्यथा लगातार हो रही दूषित जलापूर्ति का गम्भीर परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के नियम-301 के ध्यानाकर्षण सूचना को प्रस्तुत करते हुए वाराणसी में जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का "कोलीफार्म टेस्ट" कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत पेसारा में 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत स्टेशन बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सोमारू राम सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत जनपद जौनपुर में पेसारा स्थल पर 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है। इस क्षेत्र में आने वाली लगभग पचासों ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर 33/11 के0वी0ए0 का सब स्टेशन बन जाने से पचासों ग्राम सभाओं की विद्युत आपूर्ति की

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या का निदान हो जायेगा। जनहित में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र केराकत जनपद जौनपुर में पेसारा में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि अन्य सुविधाएं दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अक्षयवर लाल-

[महोदय, केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में 10 अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। प्रदेश में 15 जातियों अनुसूचित जनजाति में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति या अन्य सुविधा समाज कल्याण द्वारा इस आधार पर नहीं दिया जा रहा कि जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार ने अलग से नहीं आवंटित किया है। प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति के छात्रों का भविष्य अन्धकार मय है तथा इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

यह अति लोक महत्व का विषय है कि सदन के संज्ञान लाकर कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर के पल्लवपुरम, गंगा नगर व लोहियानगर में अविलम्ब थाने बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय, मेरठ जनपद की जनसंख्या लगभग 15 लाख से ऊपर जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से मेरठ महानगर में 13 पुलिस थाने है रोज नयी-नयी कालोनियां बनती जा रही हैं। प्रत्येक थाने पर इतना बड़ा क्षेत्र है कि पुलिस सही प्रकार से गश्त नहीं कर सकती सुरक्षा क्या करेगी, मवाना रोड पर थाना इंचोली महानगर से 8 कि0 मी0 दूरी पर रुड़की रोड पर पल्लवपुरम से थाना दौकाला 6 कि0मी0 दूरी पर हापुड़ रोड का लोहिया नगर से थाना खरखौदा 8 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इन थाना क्षेत्रों के देहात का इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है कि महानगर तक आने की इनके कर्मचारियों को फुरसत नहीं है। अपराध होने पर पुलिस पर दूरी का बहाना होता है नागरिक रहते शहर में है सम्बन्धित थाना क्षेत्र पुलिस अधीक्षक देहात के अन्तर्गत आता है। मेरठ महानगर में पल्लवपुरम, गंगानगर व लोहियानगर में थाना बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। उपरोक्त थाने अविलम्बनीय बनाये जाने चाहिए।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर ग्राम अमरसंडा के पास क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजरानी रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। लखनऊ से महमूदाबाद मार्ग जो जनपद बाराबंकी से सीतापुर को सीधे जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। लखनऊ से 18 कि0मी0 दूर ग्राम अमरसंडा के पास लगभग 300 मी0 मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर लगभग 2-2, 3-3 फिट गहरे गड्ढे हो गये हैं, यहां पर यह पता ही नहीं चलता कि यह डामर रोड थी। मार्ग के अत्यन्त जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है तथा आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद गौतमबुद्धनगर के पुलिस कर्मचारियों के वर्ष 2001 एवं 2002 के बकाया यात्रा भत्ते बिलों के भुगतान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर-

[महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर के पुलिस कर्मचारियों के यात्रा भत्ते बिल वर्ष 2001 जनवरी से वर्ष 2002 दिसम्बर तक भुगतान नहीं किए गए हैं तथा वर्ष 2003 के यात्रा भत्ता बिल भुगतान किए जा रहे हैं, जबकि अन्य जनपदों में 2001-2002 के बिल भुगतान किए जा चुके हैं।

यात्रा भत्ता बिल भुगतान न होने से जनपद के पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हो रही है और भारी असुविधा हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के निश्चित मत है कि विषय पर नियम-301 के शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

निचली गंगा नहर, फतेहपुर में क्षमतानुसार जल सुलभ कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, निचली गंगा नहर फतेहपुर जो सम्पूर्ण जनपद सिंचाई का प्रमुख साधन है। जिसकी गत वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से शासन की वित्तीय स्वीकृति से सिल्ट व वर्ग से सफाई करायी गयी है।

उक्त नहर के क्षमता के अनुसार जल सुलभ नहीं हो पा रहा है जिससे नहर के टेल तक जल नहीं पहुंच रहा है जिससे कृषकों में त्राहि-त्राहि मची है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर व तहसील तहरौली में किये गये कतिपय राजकीय भवनों के निर्माण कार्य में हुए घोटाले की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद झांसी के अन्तर्गत तहसील मऊरानीपुर व तहसील तहरौली में नवीन भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं जो कि जल निगम विभाग द्वारा कराया जा रहा है। यह कार्य घटिया किस्म का हो रहा है। मानक के अनुसार सामग्री नहीं उपयोग की जा रही है। इसी तरह पिछले वर्षों में जल निर्माण निगम द्वारा स्वास्थ्य भवन ग्राम मुढ़ा में बनवाया गया था व ग्राम कटैरा में स्वास्थ्य चिकित्सा भवन एवं आवास भवन का निर्माण कराया गया था जिसमें वर्षा के समय पानी क्षत से टपकता है व दीवारों में दरारें हो रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उच्च स्तरीय किसी टेक्निकल संस्था से जांच करायी जाय तथा जांच के उपरान्त मुझे सूचित किया जाय जिससे जांच सही तरीके से हो सके।]

प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की विभाग के रिक्त पदों पर बिना परीक्षा के उनको समायोजित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा भक्त सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से शासन का विशेष रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में काफी समय पूर्व से विभिन्न विभागों में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण जनहित के कार्य हेतु जो संविदा कर्मचारी नियुक्त किये गये थे तथा उन्होंने अपने सेवाकाल में संबंधित विभाग से संतोषजनक सेवा की है चूंकि अब नियुक्तियां खुल गई हैं तो ऐसे कर्मचारियों को जिनकी संतोषजनक सेवा रही है उनको सरकार उस विभाग के रिक्त पदों पर बिना परीक्षा लिये समायोजित करने पर विचार करें।

मैं इस विषय के लिए सबल संस्तुति भी कर रहा हूं।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों तथा विकास खण्ड-गाजीपुर सदर में वर्ष 2003-2004 में क्षेत्र पंचायत द्वारा सु0रो0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का टी0ए0सी0 जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर कुशवाहा-

[जनपद-गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों तथा विकास खण्ड-गाजीपुर सदर में खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत ने मिली भगत करते हुए क्षेत्र पंचायत में प्राप्त सु0रो0 योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करते हुए बिना क्षेत्र पंचायत की बैठक में पास कराये अपने स्तर से कार्य प्रभारी के नाम से धन आवंटित कर अग्रिम धनराशि देकर तालाब की खुदाई तथा ड्रेन की खुदाई का कार्य कराया गया है संज्ञान में यह भी आया है कि विकास खण्ड बिरनों के ग्राम अरखपुर में किसी

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कास्तकार की निजी जमीन दिखाकर जमीन की मेड़बन्दी कर तालाब खुदाई दिखाकर लाखों रुपये का गबन किया गया है। विकास खण्ड बिरनों तथा गाजीपुर सदर में खण्ड विकास अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रमुखों की मिली भगत से कई-कई लाख रुपये का भुगतान फर्जी कार्य दिखाकर वर्ष 2003-04 में किया गया है। जिससे क्षेत्र की जनता में काफी रोष है तथा जनता की मांग है कि कार्यों की टी0ए0सी0 जांच करायी जाय तथा

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व तथा अविलम्बनीय कार्य को स्वीकृत करते हुए क्षेत्रीय जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए टी0ए0सी0 जांच कराने की कृपा करें।]

ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड डी0 ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के आवासीय भवनों के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत तारों को शीघ्र हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड, डी-ब्लाक, इन्दिरा नगर पर रहने वाले लोगों के आवासीय परिसर के ऊपर से गुजर रहे तारों से उन मकानों में रहने वाले लोगों को हो रही कठिनाईयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां पर रहने वाले लोगों को अपनी जान-माल का हमेशा भय बना रहता है और इन बिजली के तारों के मकानों के ऊपर से गुजरने के कारण लोगों को अपने भवन निर्माण में भी अत्यधिक कठिनाई आ रही है। अतः जनहित में उक्त बिजली के तारों को हटवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त तारों को हटाये जाने की मांग करता हूं।]

पैक्सफेड सहकारिता विभाग लखनऊ में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह-

[मैं सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पैक्सफेड जो सहकारिता विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यदायी संस्था है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और उक्त विभाग में प्रबन्ध निदेशक पद पर श्री नवल किशोर तैनात हैं ये कनिष्ठ अधिकारी हैं और इनकी गम्भीर शिकायतें विभाग में है और सतर्कता जांच की भी प्रक्रिया चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों को नजर अन्दाज करके तैनात रहना और सरकारी धन का दुरुपयोग करना, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करना, टेलीफोन आदि का दुरुपयोग इनके द्वारा किया जा रहा हैं इनके पास बहुत ही सम्पत्ति है जिसकी सतर्कता जांच इनको पद से हटाकर की जाय तो स्पष्ट हो जायेगा। श्री नवल किशोर की तैनाती पिछली सरकार में हुई थी और उसी तौर तरीकों पर कार्य कर रहे हैं। इनको तत्काल पद से हटाकर उच्च स्तरीय जांच करा ली जाय और पूर्व में शासन स्तर पर चल रही जांचों को देखा जाय, ये पद पर रहकर सारी जांचों को प्रभावित कर रहे हैं और विभाग व पैक्सफेड जैसे कार्यदायी विभाग

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो आज बन्द होने के कगार पर हैं कोई कार्य कराने को तैयार नहीं हो रहा है। विभाग घाटे में जा रहा है। कर्मचारियों का भविष्य अधर में हैं जिले के अभियन्ताओं से माहवार वसूली हो रही है। इस सारे प्रकरण को लेकर विभाग आन्दोलित है और प्रबन्ध निदेशक को हटाने की मांग कर रहा है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इस पर चर्चा कराना आवश्यक है और उच्च स्तरीय जांच करा ली जाय।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य देने व चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंडी के अन्तर्गत ग्राम मजलीसपुर के हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाने से किसानों की फसलें चौपट होते तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद सीतापुर के ब्लाक परसेंडी के ग्राम मजलीसपुर के किसानों की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है के तरफ दिलाना चाहता हूं उक्त गांव के किसान भुखमरी के कगार पर है और जल निकासी की व्यवस्था न होने से प्रत्येक वर्ष फसलें चौपट होने से भुखमरी के कगार पर है और आन्दोलित हैं और उनमें रोष व्याप्त है। इस संबंध में मैंने कई बार शासन को लिखकर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, ये जनहित का विषय है अवलोकनीय एवं अविलम्बनीय है।

अतः सदन के संज्ञान में लांकर सरकार से कार्यवाही किये जाने एवं जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के करनपुर मतिनी गांव के पास नीलम नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[महोदय, हरदोई जनपद की 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में म्योढ़ा से भदार मार्ग राज्य योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य भी हो रहा है। परन्तु इसी रोड पर करनपुर मतिनी गांव के पास नीलम नदी पर पुल न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त मार्ग पर करनपुर मतिनी के पास नीलम नदी पर पुल बनाये जाने की मांग करता हूं]

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुही राज में बाढ़ व आग जैसी दैवी आपदाओं से पीड़ित लोगों को आवास एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[महोदय, आप के संज्ञान में लाना है कि तमकुही राज तहसील जनपद कुशीनगर दैवीय आपदाओं बाढ़ और आग से गांव के गांव जल कर राख हो जाता है वहीं गंडक के कारण बाढ़ की आपदा से भी यह क्षेत्र ग्रसित है सन् 2002 में आयी बाढ़ से आधे दर्जन गांव विकास खण्ड दुधही में नदी की धारा में विलीन हो गये, लोग बेघर हो गये लेकिन आज तक बाढ़ विस्थापितों को आवासी भूमि भी उपलब्ध नहीं कराई गई है आग लगने वाले और बाढ़ से कटने वालों को भी घर गिराई का मुआवजा नहीं दिया गया।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार ध्यान दिलाते हुए पीड़ित लोगों को आवास एवं सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के थाना मनियर के अन्तर्गत पुलिस स्टाफ कम होने के कारण निरन्तर बढ़ते अपराधों के रोकने हेतु मनियर नगर पंचायत के परशुराम स्थान पर पुलिस चौकी खोले जाने तथा पी0 ए0 सी0 कैम्प लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, बलिया जनपद के थाना मनियर के अन्तर्गत पुलिस का स्टाफ कम होने के कारण अपराध नहीं रुक रहा है थाना मनियर के 5 कि0मी0 दूरी पर घाघरा नदी बहती है घाघरा के उस पार बिहार सिवान हो जाता है बिहार से पड़ी संख्या में अपराधी मनियर के गांवों में आते है और किसानों की मवेशियों को खोल ले जाते हैं और डकैती हत्या चोरी कर रहे हैं मनियर थाने में कोई पुलिस चौकी नहीं होने से पुलिस का कार्य संतोष जनक नहीं है पिछले एक वर्ष में 12 हत्यायें मनियर में हुई हैं जिससे समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष ननकुली सिंह सत्येन्द्र सिंह आदि सम्मिलित हैं अपराधी मनियर के दियारे में आकर रहते है प्रायः रोज घटनायें कर रहे हैं पुलिस बल प्रर्याप्त न होने के कारण अपराधियों को पकड़ा नहीं.जा रहा है क्षेत्र की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है और बलिया जनपद के मनियर थाने के अन्तर्गत मनियर नगर पंचायत के परशुराम स्थान पर पुलिस चौकी खोले जाने की मांग करता हूं। एवं तत्काल एक कम्पनी पी0ए0सी0 का कैम्प लगवाया जाय।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के ग्राम छन्दोइया, निकट दुबग्गा, हरदोई रोड, काकोरी में समुचित सफाई व्यवस्था कराये जाने तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, जनपद लखनऊ के ग्राम छन्दोइया, निकट दुबग्गा हरदोई रोड, काकोरी, जो नगरपालिका के अन्तर्गत है, में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गयी और नगर निगम की लापरवाही

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से यहां गन्दगी का साम्राज्य है। महीनें में केवल एक बार सफाई कर्मचारी आते हैं और गांव के बाहर ही सफाई कर वापस चले जाते हैं, गांव के अन्दर कभी भी सफाई नहीं की जाती। गांव के अन्दर नालियों में गन्दा पानी सड़ रहा है और कीड़े पड़ गए हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गन्दगी से गांव के लोगों का रहना दूभर हो गया है, जिससे गांव की जनता में आक्रोश एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध है कि उक्त गांव में सफाई की समुचित व्यवस्था करायी जाय और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से वर्ष 2002-03 में स्वीकृत कार्यों को धन देकर कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा कि चित्रकूट जिले में पेश्वनी नदी पर देवल कुचारम-अगरहुड़ा मार्ग पर पुल निर्माण हेतु एवं पहाड़ी से अरछा बरेटी मार्ग के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के वित्तीय वर्ष 2002-03 में 31 मार्च, 03 को शासनादेश सं0-25/एम0/6/7-5-02/35-5-03 जारी करके उक्त दोनों कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गयी थी तथा दोनों कार्यों हेतु क्रमशः 60 लाख एवं 40 लाख कुल एक करोड़ रुपया की किश्त (प्रथम) जारी की गयी थी। किन्तु उक्त कार्यों के धन से जिला कोषागार चित्रकूट से आहरित नहीं किया गया जो नियोजन विभाग को वापस कर दिया है। उक्त पुल एवं सड़क न बनने से जिले के कई गांवों को आवागमन में कठिनाई एवं वर्षा में भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ना है। अतः स्वीकृत कार्यों का धन वापस होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। जनता आन्दोलित हो सकती है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुये नियोजन विभाग से पुनः नया शासनादेश जारी कराकर उक्त दोनों कार्यों हेतु स्वीकृत धन दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के महसी क्षेत्रान्तर्गत पुल सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत आदि कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलिप कुमार वर्मा-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 132 महसी जनपद बहराइच बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहां पर सड़कें बहुत ही खराब अवस्था में है जो है वह भी जर्जर स्थिति में है यह क्षेत्र नदी नालों के घिरा हुआ भी क्षेत्र है। यहां पर निम्न कार्य कराया जाना आवश्यक है, नानपारा से शिवपुर बेहड़ा मार्ग की मरम्मत राजी चौराहा तक 30 किमी, बहराईच नानपारा मार्ग से गम्भीरवा बाजार इमामगंज मार्ग (पंकज) मार्ग की मरम्मत कार्य, शिवपुर नानपारा मार्ग परलिंगडी के ध्वस्त पाईल ब्रिज के स्थान पर 10 मी0 स्पेन का आर0सी0सी0 पुल, बहराईच नौतहवा मार्ग से किशुनपुर मीठा इटहा मार्ग के अवशेष भाग पर लेपन व मरम्मत, इमामगंज बरदहा बेहड़ा मार्ग की मरम्मत (शिवपुर ब्लाक), मोतीपुरवा (तिगड़ा) से पाठक पुरवा मार्ग पर सोलिंग 3 कि0मी0, बेहड़ा से चौक साहार बेलामकन मार्ग का लेपन कार्य

4 कि0मी0, शिवपुर ब्लाक, ब्लाक मुख्यालय शिवपुर से पाठक पुरवा (बरदहा) मार्ग पर लेपन कार्य ढाई किमी, नकहा से कोटवा मार्ग पर सोलिंग निर्माण डेढ़ किमी लेपन कार्य, उपरोक्त सारे कार्यों को कराये जाने को लेकर स्थानीय जनता कई बार आन्दोलित व सड़क जाम कर चुकी है लोगों रोष व्याप्त है, ये सारे कार्य लोक महत्व के हैं और जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी में स्थित ग्राम-बेलवन नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझवा, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-पहाड़ी में स्थित ग्राम-बेलवन नदी पर पुल का निर्माण पूर्वान्चल राज्यांश से स्वीकृत हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत लगभग एक करोड़ सात लाख है जिसमें 5 लाख की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है। उक्त कार्य को लोक निर्माण कार्यदायी संस्था को दिया गया है। लोक निर्माण विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त परियोजना का धन राज्य सेतु निर्माण निगम, मिर्जापुर को दे दिया गया है। जबकि उक्त परियोजना लोकहित में अति महत्वपूर्ण है। वर्षाकाल में उक्त मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नदी उस पार आने जाने के लिये 8 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है। साइकिल या पैदल यात्री रेलवे ब्रिज से आते जाते हैं जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। पूर्व में गोविन्द आश्रम इण्टर कालेज, पैड़ापुर में पढ़ने जाने वाले कई छात्रों की मौत रेल दुर्घटना से हो चुकी है। उक्त परियोजना लोकहित में अति महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर राहगीर एवं जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन से उक्त परियोजना को पूरी कराये जाने एवं वक्तव्य की भी मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मंडनपुर के अन्तर्गत किशनपुर पम्प कैनाल में पर्याप्त पानी न आने से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंडनपुर के अन्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल में पर्याप्त पानी न आने के कारण वर्तमान सूखे की स्थिति है। जनहित में उक्त पम्प नहर के सभी पम्पों को चलाकर पूर्ण रूप से पानी देना आवश्यक है जिससे किसानों की धान की रोपाई हो सके और किसान भुखमरी से बच सकें।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा नगर के बाईपास मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[बांदा नगर चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय है। बांदा नगर से इलाहाबाद, सतना, आजमगढ़, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी आदि नगरों की ओर जाने वाले मार्ग बांदा नगर की घनी आबादी से होकर गुजरते हैं। बांदा नगर की भारी आबादी होने के कारण भारी माल वाहनों व तीव्र गति वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दुर्घटनायें आये दिन होती है व आवागमन में जाम बना रहता है जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

बांदा अतर्रा रोड व नरैनी रोड से सुकुलकुआं तक बाईपास अधूरा निर्माण हो चुका है। केन नदी ओवर ब्रिज की चुंगी चौकी से जरैली कोठी के पीछे व चांदमारी के पीछे से झील का पुरवा होते हुए सुकुलकुआं तक खाली जमीन पड़ी है जिसमें बाईपास बन सकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर बांदा नगर में बाईपास को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधूना जनपद औरैया में मुख्य मार्गों के टूटे हुए अनेकों पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 291 विधूना, जनपद औरैया में निम्नलिखित मुख्य मार्गों के पुल टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अनुरोध करना हैं

1-विधूना दिबियापुर मार्ग पर, ग्राम-हरचन्द्रपुर पर नाले का पुल टूट गया है।

2-अच्छल्दा अजीमल मार्ग पर, ग्राम-नगरिया के पास फफूद रजवाहे का पुल टूट गया है।

3-अछल्दा मैसोल मार्ग पर, ग्राम-अधियारी पर पुलिया टूट गई है।

4-अच्छल्दा मोहम्मदाबाद मार्ग पर रजवाहे पर पुलिया टूट गई है।

5-बघईपुर घसारा रेलवे स्टेशन मार्ग पर नाले का पुल टूट गया है।

उपरोक्त मुख्य मार्गों के पुल टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो चुका है जिससे क्षेत्रीय जनता आन्दोलित है क्षेत्रीय जनता व वाहन मालिकों व ड्राइवरों में भारी जनाक्रोश है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन से तत्काल पुलों को बनाये जाने एवं शासन से वक्तव्य की भी मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बहने वाली गंगी नदी की सफाई कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज तहसील लालगंज विकास खण्ड-टेकवां में ग्राम-दामनमड़ा, बड़गहन, जीवली, सकरामऊ एवं ग्राम-पंडसुडी होते हुए गंगी नदी गई है। जो इस समय नदी के रूप में नहीं है। पूरी नदी पटकर एक पतले नाले के सम्[illegible] हो गई है। नदी पट जाने से आस-पास के गांव बरसात में बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। कई हजार एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। इस प्रकार किसानों की फसल प्रतिवर्ष काफी क्षति हो जाती है। नदी की सफाई जनहित में आवश्यक हो गई है। इस विषय को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी दुख एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नदी के सफाई एवं खुदाई की मांग करता हूं।]

मैलानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखीमपुर खीरी का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[जनपद लखीमपुर खीरी के मेरी विधान सभा-53 पैला के अन्तर्गत नगर पंचायत मैलानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शासनादेश वित्तीय अ0शा0सं0-ई-3-1654/दस-2002, दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा एक मुश्त धन आवंटन हेतु हुआ था तथा इसके साथ ही साथ अनुसचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0 एस0 लखीमपुर को पत्रांक एम0एम0 187/111/पांच-2003, दिनांक 3 अगस्त, 2003 द्वारा नामित भी किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि भी मैलानी में आवंटित की गई थी परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और ज्ञात हुआ कि निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य हेतु धन भी आवंटित कर दिया गया है।

मा0 मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र मैलानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी का निर्माण कार्य कराने की कृपा करें ताकि लम्बित परियोजना का कार्य हो सके।]

जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र जयसिंहपुर के अन्तर्गत कूड़ेभार ड्रेन की सफाई फूलपुर से अर्वल कीरी कर्वल गांव तक कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कूड़ेभार ड्रेन की सफाई 2000-01 में हुई थी परन्तु उपरोक्त ड्रेन की सफाई एवं खुदाई डफलपुर से लेकर अर्वल कीरी कर्वत गांव तक नहीं हो सकी। जिससे क्षेत्र के किसानों की हजारों-हजार एकड़ जमीन जलमग्न रहती है। जिससे किसी भी ऋतु की फसल किसानों को नहीं मिल पा रही है। जलमग्न रहने से लगभग एक

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दर्जन गांव में फसलें नहीं हो पा रही हैं। जिसमें डफलपुर, डिडग्गूपुर, इटावा, रूपथापुर, खरशोना, कोरी आदि गांव शामिल हैं। जिससे लोगों में रोष व्याप्त है, उपरोक्त ड्रेन की खुदाई/सफाई उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा 2000-01 में सिंचाई विभाग (सोडिक) द्वारा कराया गया था परन्तु उपरोक्त गांव से होकर कुड़ेभार ड्रेन बहती है, उसमें डफलपुर से लेकर कीरी गांव तक नहीं कराई गई जिससे आम जनता में काफी रोष व्याप्त है, जनता आन्दोलित है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं शासन से यह मांग करता हूं कि कूड़ेभार ड्रेन की सफाई फूलपुर से अर्वल कीरी कर्वत गांव तक कराई जाये।]

जनपद चित्रकूट में यमुना नदी से निकाली गयी चिल्ली राकस (राजापुर पम्प कैनाल का जीर्णोद्धार कराकर सिंचाई व्यवस्था संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद-

[अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में यमुना नदी से चिल्ली राकस (राजापुर) पम्प कैनाल संचालित की गयी थी जिससे अनेकों गांवों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी परन्तु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही तथा शासन की उदासीनता के कारण यह पम्प कैनाल लगभग बन्द पड़ी है सिंचाई व्यवस्था के अभाव में सैकड़ों एकड़ भूमि में बोई गई फसल प्रतिवर्ष सूख जाती है।

क्षेत्रीय जनता में असंतोष व्याप्त है यह विषय व्यापक लोक महत्व का है लगभग 25000 जनसंख्या के हित का विषय है। अविलम्बनीय है।

अतः अनुरोध है कि चिल्ली राकस राजापुर पम्प कैनाल जिला चित्रकूट का जीर्णोद्धार कराकर सिंचाई व्यवस्था संचालित कराने हेतु शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।]

लखनऊ के तालकटोरा स्थित सचिवालय कालोनी में सीवर टैंक भरे रहने तथा गन्दगी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमीमुल हक-

[मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि तालकटोरा स्थित सचिवालय कालोनी, मल्टी स्टोरी के ब्लाक नं0-8 में काफी दिनों से लगातार सीवर टैंक भरे हुए हैं तथा दो माह से वाटर सप्लाई का अन्डर ग्राउन्ड पाइप जो सीवर टैंक के बिल्कुल करीब है, टूट गया है जिससे हर समय उक्त कालोनी में पानी बहता रहता है तथा घरों में उक्त सीवरयुक्त पानी घुस गया है। उक्त के अतिरिक्त सीवर टैंक भरे रहने के कारण घरों के शौचालय व बाथरूम भरे पड़े हैं। उक्त के कारण समस्त कालोनी के अध्यासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर किये गये समस्त प्रयास अब तक असफल रहे हैं। उक्त के कारण कालोनी वासियों में रोष व्याप्त है जिससे कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लोक महत्व के निश्चित विषय पर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करते हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के इन्दिरानगर में जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर 19 स्थित पार्क में अवैध निर्माण को हटाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मिथिलेश कुमार-

[आपके माध्यम से लोक हित के महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :—

1-नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत अभियन्ताओं-जोनल अधिकारियों तथा अन्य छोटे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण सार्वजनिक पार्कों पर अवैध निर्माण एवं कब्जा कर दुरुपयोग किया जा रहा है।

2-लखनऊ के इन्दिरा नगर के अन्तर्गत जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर 19 के भवन संख्या 19/121, 122, 123 एवं 19/125, 126, 127 के सामने पार्क पर उदय वीर राठौर निवासी 19/116 हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी निवासी 19/119 तथा राजेन्द्र सिंह चौहान निवासी 19/186 द्वारा उक्त भवनों के मध्य स्थित पार्क पर रातोंरात पक्का निर्माण कर लिया गया है शेष जमीन को बांस के टट्टरों द्वारा घेर लिया गया है। इसका विरोध करने पर एक परिवार को मारा पीटा गया। जिसके विरुद्ध थाना गाजीपुर में मु0 अ0 संख्या 373/93 पंजीकृत किया गया है जिसके कारण आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। कब्जा करने वालों ने कब्जा न हटाये जाने के लिये नगर निगम के जोनल अधिकारी तथा कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर रखी है। जिसमें क्षेत्रीय सभासद भी सम्मिलित है। उसने उक्त पार्क में चहारदीवारी तथा हैण्डपम्प सभासद निधि से लगवाया है। उदयवीर राठौर सभासद श्री राठौर को अपना रिश्तेदार बताता है। सार्वजनिक पार्क में अवैध पक्का निर्माण एवं टट्टर तथा कब्जे को हटवाने के लिये वहां के निवासियों द्वारा प्रयास किये गये हैं परन्तु अभी तक कब्जा तथा निर्माण नहीं हटवाया गया है। कब्जाधारियों ने निर्माण में कुछ मूर्तियां लाकर रख दी है ताकि निर्माण हटाने में बाधा आये।

उक्त मामले की जांच कराकर कब्जाधारियों एवं कब्जा न हटाये जाने में बरती गयी लापरवाही और उन्हें मदद पहुंचाने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करने की आवश्यकता है।

उक्त लोक हित के मामले में शासन से सार्वजनिक पार्क से पक्के निर्माण एवं कब्जा को हटाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर निगम लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित कालोनियों को क्रय-विक्रय जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-157 से मुक्त किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ में नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत 117 गांव आते हैं। इन गांवों के अधिकांश अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपनी भूमि को सहकारी आवास समितियों को बेच दिया है और इस

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भूमि पर समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपने मकान बनाये हैं। चूंकि यह भूमि सहकारी आवास समितियों ने बिना जिलाधिकारी की अनुमति से क्रय की है अतः यह क्रय-विक्रय जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-157 कक के प्राविधानों के विपरीत है। शासन की जानकारी में यह तथ्य आते ही शासन ने अनेक सहकारी आवास समितियों द्वारा बनायी गयी कालोनियों की जांच करने व आवास समितियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं। शासन के इस निर्णय से इन कालोनियों में रहने वाले हजारों लोगों में भय व अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया कि क्या उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायगी और यह मकान गिरा दिये जायेंगे। राज्य सरकार का यह कार्य विधि विरुद्ध है क्योंकि नगर निगम के अन्दर स्थित आवासीय भूमि उक्त अधिनियम की धारा-157 के अन्तर्गत नहीं आती है।

अस्तु मैं मांग करता हूं कि नगर निगम, लखनऊ की सीमा के अन्दर कार्यरत सहकारी आवास समितियों ने बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन क्रय करके जो कालोनियां बनायी हैं उनको उपर्युक्त अधिनियम की धाराओं के प्राविधानों से मुक्त करके इन कालोनियों के निवासियों के भय तथा आतंक को दूर किया जाय।]

उपखण्ड प्रथम वाइफरकेशन, जनपद पीलीभीत तथा उपखण्ड द्वितीय खटीमा से सम्बन्धित परियोजनाओं का कार्य सुनिश्चित कराने तथा शारदा नदी की बाढ़ से हुए कटान से हजारों एकड़ भूमि की सुरक्षा एवं प्रभावित लोगों की सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपखण्ड प्रथम वाइफरकेशन, जनपद पीलीभीत तथा उपखण्ड द्वितीय खटीमा से सम्बन्धित 08 परियोजनायें पंचम मंडल बरेली को कार्य हेतु प्रेषित की जा चुकी है किन्तु अभी तक गांवों को शारदा नदी की बाढ़ विभीषिका से बचाने एवं बर्बादी रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हुआ है लगातार हो रहे कटान से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के क्षेत्र सादात के ब्लाक देवकली से जिला योजनान्तर्गत प्रस्तावित सिरगीथा एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवचन्द्रपुर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के ब्लाक देवकली में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के हित के लिये जो किराये के मकान में स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा था, उसे

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नया भवन बनवाने के लिये क्षेत्रीय विधायक ने सिरगीथा एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवचन्द्रपुर जिला योजना वर्ष 2003-2004 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया था। जिला योजना ने उसे सिरगीथा एवं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नया भवन बनवाने के लिये जिला योजना के स्वीकार कर लिया था लेकिन आज तक उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोमतीनगर, लखनऊ के छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या तथा वहां पर निरन्तर बढ़ते अपराध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

गत वर्ष राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कालेज गोमतीनगर, लखनऊ की प्रतिभाशाली छात्रा कु0 बसुधा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली पुनः राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोमतीनगर लखनऊ के ही छात्र नवीन सिंह ने आत्महत्या जैसा कठोर निर्णय ले लिया, आखिर क्यों ? प्रदेश में छः अन्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं इन कालेजों में ऐसी दुखद घटनायें नहीं होती हैं। बसुधा आत्महत्या काण्ड को आनन-फानन में रफा-दफा कर दिया गया। पुनः नवीन सिंह आत्महत्या काण्ड को कुण्ठा की आड़ में रफा दफा कर दिया गया। शासन ऐसी दुखद घटनाओं के पृष्ठभूमि के कारणों को प्रकाश में क्यों नहीं ला रहा है ? महोदय, क्या कारण है कि आत्महत्या के पीछे कालेज प्रशासन का जो छात्र विरोधी उत्पीड़नकारी भूमिका है, उसके प्रति शासन का गृह विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग गम्भीर नहीं है। कालेज की छात्र-छात्रायें काफी भयभीत हैं उनमें पलायनवादी भावनायें जागृत हो रही हैं जो जनहित/कालेज हित में नहीं है।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत तथा जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा मित्रों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रियाज अहमद-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद पीलीभीत में लगभग 900 शिक्षा मित्रों का चयन पिछले चार महीने से विभागीय अनियमितताओं के कारण नहीं हो पा रहा है जिससे सर्व शिक्षा अभियान बुरी तरीके से फ्लाप हो रहा है। यही नहीं, जनपद शाहजहांपुर के जो 94 गांव जनपद पीलीभीत में जोड़े गये हैं वहां कार्यरत शिक्षा मित्रों को पिछले माह का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। जिससे कार्यरत शिक्षा मित्र भुखमरी के

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कगार पर आ गये हैं। यही नहीं इन 94 गांवों में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 300 छात्र संख्या के ऊपर एक अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र ही कार्यरत हैं जिससे बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत के नगरपालिका परिषद् पूरनपुर की आर्थिक स्थिति जर्जर होने तथा विकास कार्य अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीस अहमद खां-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

नगरपालिका परिषद् पूरनपुर जनपद पीलीभीत के बहुमुखी विकास हेतु दैवी आपदा राहत निधि, सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, नाला/नाली निर्माण, सौन्दर्यीकरण एवं नगर के मुख्य/महत्वपूर्ण स्थानों पर जनरल शौचालयों आदि के निर्माण कार्य के लिये अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् पूरनपुर द्वारा तत्कालीन नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश से 6.20 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। महोदय, नगर पालिका परिषद् पूरनपुर नेपाल बार्डर पर स्थित है जिसकी विकास सम्बन्धी स्थिति अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। परिषद् की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण यहां पर विकास सम्बन्धी समस्त कार्य अवरुद्ध हो गये हैं।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत के कृषि उत्पादन मण्डी समिति की किसान बाजार में 121 व्यापारियों के विरुद्ध ए0 आई0 जी0 पीलीभीत द्वारा आरोपित कमी स्टाम्प की कार्यवाही समाप्त करने तथा नये अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर गुप्ता-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद पीलीभीत के कृषि उत्पांदन मण्डी समिति की किसान बाजार में 121 व्यापारियों को वर्ष 1995 में अपंजीकृत अनुबन्ध के आधार पर दुकानें आवंटित की गयी थीं परन्तु तत्कालीन मण्डी सचिव के द्वारा धोखाधड़ी करके अनुबन्ध में किसान बाजार के स्थान पर मण्डी स्थल के अन्दर की दुकानों के आधार पर अनुबन्ध करा लिया गया था, जो सर्वथा गलत कदम था। किसान बाजार के अनुबन्ध के अनुसार प्रीमियम शुल्क व मासिक किराया काफी कम बैठता है।

खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विधि विरुद्ध ढंग से कमी स्टाम्प की कार्यवाही करते हुए दिनांक 26 सितम्बर, 2003 को 121 व्यापारियों के विरुद्ध एक करोड़ तीन लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपित कर व्यापारियों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। अतः आपसे निवेदन है कि अनुबन्ध प्रारूप संशोधित कराने व तदनुसार नये अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित कराने तथा 121 व्यापारियों के विरुद्ध ए0 आई0 जी0, पीलीभीत द्वारा आरोपित कमी स्टाम्प की कार्यवाही को तत्काल समाप्त करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से आवश्यक निर्देश जारी कराया जाये।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ उत्तरी के कतिपय गांवों में डकैतों का आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह-

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं सदन का ध्यान जनपद पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ उत्तरी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। विगत दिनों ग्राम चांदपुर, चतुरपुर, बेला, महादेव आदि ग्रामों में डकैती की घटनायें हुईं, लोगों की सम्पत्ति को लूटा गया, पिटाई भी की गयी किन्तु उपरोक्त घटनाओं को थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद शाहजहांपुर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है जिससे उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त हरनहाई, प्रतापपुर, कोल्हूबाड़ा, नवदिया, हरिहरपुर, हमीरपुर, तुलापुर, भीखमपुर आदि ग्रामों में डकैतों का आतंक व्याप्त है। लोग पूरी-पूरी रात अपनी छतों पर जाग रहे हैं। दर्जनों गांव के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर कर रहे हैं।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

प्रदेश के अनेक जनपदों में विशेषकर जनपद वाराणसी में वनरोजों का आतंक फैलने तथा उसके लिये प्रभावी योजना बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

[प्रदेश के अनेक जनपदों में विशेषकर जनपद वाराणसी में गंगा जी के किनारे के क्षेत्रों में वनरोजों का बड़ा आतंक है। वनरोज खेतों में फसल के उगते ही उसे नष्ट करने लगते हैं तथा फसल तैयार होने का अवसर ही नहीं आ पाता है। किसान बड़ी मेहनत और आशा से फसल बोता है परन्तु वनरोजों के कारण उसे एकमात्र निराशा ही हाथ लगती है। वाराणसी के इस क्षेत्र के किसान वनरोजों से त्रस्त हैं। अधिकांश किसान तो खेती करना ही बंद कर दिये हैं और दूसरे कार्यों को करके भरण-पोषण करते हैं जो किसान खेती पर ही निर्भर हैं और भरण-पोषण का कोई अन्य साधन नहीं जुटा पाये हैं, वह भुखमरी की स्थिति में हैं। खेती की उपज न होने से प्रदेश की कृषि उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि कृषि उपज की बर्बादी और किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए फायर-इन्जक्शन से वनरोजों को बेहोश कर उन्हें पकड़ कर सुरक्षित वनों में छोड़ दिया जाय। इसके लिये प्रभावी योजना बनायी जाय जिससे कि किसान अपने खेतों से कृषि उपज प्राप्त कर सकें।]

लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा स्थित प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल तथा कन्या विद्यालय के शेष भागों में चहारदीवारी बनाकर मुख्य गेट लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटा शंकर सिंह-

[महोदय, मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित ग्राम भरोसा में जिला परिषद् के तीन विद्यालय प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्कूल तथा कन्या विद्यालय एक ही परिसर में स्थित हैं। उक्त विद्यालयों के कुछ भाग में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण वर्ष 1999 में कराया गया था। अधिकांश परिसर खुला होने के कारण विगत तीन वर्षों से लगातार जूनियर हाई स्कूल की इमारत में चोरी हो जाने, स्कूल समय में परिसर में जानवरों की उपस्थिति होने तथा अराजक तत्वों की उपस्थिति होने के कारण उक्त तीनों विद्यालयों के परिसर का वातावरण पूरी तरह से असुरक्षित होने के कारण स्थानीय जनता में व्यापक असंतोष है। उक्त विद्यालयों के चारों ओर चहरदीवारी बनाकर मुख्य गेट लगाये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान पूर्व में कई बार आकृष्ट किया जा चुका है। परन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा में स्थित प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल तथा कन्या विद्यालय के शेष भाग में चारों ओर चहरदीवारी बनाकर मुख्य गेट लगाये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को निर्देशित करने की कृपा करें।]

लखनऊ में पारा रोड राजाजीपुरम स्थित शिखर क्लीनिक से शान्ति शिक्षा मन्दिर इण्टर कालेज जाने वाली मुख्य सड़क पर सीवर लाइन डाले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम सिंह-

[मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजाजीपुरम कालोनी, लखनऊ में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से क्षेत्रीय सभासद के आवास तक तथा पारा रोड पर उतरठिया रेलवे क्रासिंग के आगे स्थित शिखर क्लीनिक के पश्चिम सिरे को जोड़ने वाली सड़क पर वर्ष 2002-03 में सीवर लाइन डाली जा चुकी है। परन्तु पारा रोड पर शिखर क्लीनिक से शान्ति शिक्षा मन्दिर स्थित मुख्य सड़क पर प्रदूषित जल की समुचित निकासी हेतु सीवर लाइन न डालकर सड़क के दोनों ओर स्थित संकरी एवं कम गहरी नालियों से गन्दे जल की निकासी की व्यवस्था की गयी है जिससे नालियों में सदैव प्रदूषित जल भरा रहता है और उसकी समुचित निकासी नहीं हो पा रही है। इससे क्षेत्र में भयानक संक्रामक रोग फैल सकता है। उक्त क्षेत्र में मुख्य सड़क पर सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु पूर्व में शासन का कई बार ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है परन्तु अभी तक उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि पारा रोड राजाजीपुरम स्थित शिखर क्लीनिक से शान्ति शिक्षा मन्दिर इण्टर कालेज स्थित मुख्य सड़क पर सीवर लाइन डाले जाने हेतु माननीय सदन की ओर से सम्बन्धित मंत्री महोदय को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर के स्थानान्तरित 5 चिकित्सकों द्वारा नयी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने तथा शासनादेश की अवहेलना करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर के 05 चिकित्सकों का स्थानान्तरण शासन की नीति के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य जनपदों में किया गया है, परन्तु उनमें से अधिकांश चिकित्सकों द्वारा अपनी

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नयी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है और न ही अस्पताल परिसर के अपने आवासों को रिक्त किया है, जिससे कि प्रतिस्थानी के रूप में उक्त अस्पताल में नियुक्त किये गये चिकित्सकों को आवास नहीं मिल पा रहा है और वे दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं जिससे कि उन्हें मरीजों को समय से देखने में काफी असुविधा हो रही है और जनता को भी इससे काफी कठिनाई हो रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप नयी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करके शासन के आदेश की अवहेलना करने वाले अथवा अस्पताल परिसर में स्थित आवासों को रिक्त न करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध तत्काल निलम्बन की कार्यवाही की जाय।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा या तम्बौर में एक अग्निशमन केन्द्र तत्काल खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के विकास खण्डों रेउसा/बेहटा/सकरन/रामपुर मथुरा जनपद मुख्यालय से लगभग 80/90 किमी0 की दूरी पर स्थित है तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं इस क्रम में सबसे भयंकर त्रासदी मई/जून के माह में अग्निकाण्ड की है जिससे प्रति वर्ष हजारों घर सैकड़ों गांव जलकर राख हो जाते हैं तथा धन हानि के साथ-साथ जनहानि एवं तमाम जानवर जलकर मर जाते हैं मेरे द्वारा समय-समय पर विधान सभा में नियमों के अन्तर्गत इस सुदूर ग्रामीण गौजरी क्षेत्र में अग्निकाण्ड से होने वाली विभीषिका से बचाने हेतु रेउसा या तम्बौर में एक अग्नि शमन केन्द्र खोले जाने का निवेदन किया गया है। विधान सभा में याचिका भी दायर की है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से रेउसा या तम्बौर में एक अग्निशमन केन्द्र तत्काल खोले जाने हेतु शासन से मांग करता हूं।]

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा अतिथि प्रवक्ता/याची डा0 के0 के0 सिंह की आमंत्रण बहाली सुनिश्चित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा अतिथि प्रवक्ता/याची डा0 के0 के0 सिंह, डा0 ए0 पी0 मिश्र की आमंत्रण बहाली नहीं दी गयी है, पदाभाव नहीं है। आयोग से कोई चयन सूची/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्ड पीठ लखनऊ के आदेशों की अवमानना तथा शासनादेशों की अवज्ञा के लिये दोषी प्राचार्य लखनऊ एवं इलाहाबाद को मात्र बचाने के उद्देश्य से प्राचार्य लखनऊ के सगे सम्बन्धी व सचिव, न्याय श्री आर0 वी0 राव के यहां पत्रावली सं0-6/98 टी0सी0/चि0शि0-4 भेज कर मनचाही राय दिलायी गयी। इसी तथ्य विपरीत, पक्षपातपूर्ण व एकपक्षीय राय को अतिथि प्रवक्ताओं के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में रोस्टर लागू नहीं

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया है इसके विपरीत राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में रोस्टर के आधार पर ही अतिथि प्रवक्ता आमंत्रित थे जिनमें से एक अतिथि प्रवक्ता/याची डा0 के0 के0 सिंह को आज तक आमंत्रण-बहाली नहीं दी जा सकी है।

अतः कृपया उक्त ज्वलन्त समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्राचार्य श्री छत्तर सिंह तथा उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एम0 एम0 शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने की शिकायत तथा उसकी जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[महोदय, आपको अवगत कराते हुए अनुरोध करना है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में तैनात श्री छत्तर सिंह, प्राचार्य की नियुक्ति नियम विरुद्ध की गयी थी, को प्रोवेशन समय के अन्दर ही अनैतिक, सरकार एवं जन विरोधी कार्य करने के कारण सेवा से निलम्बित किया गया है, को श्री एम0 एम0 शर्मा, उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड साजिश कर बहाल कराने के प्रयास कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति बोर्ड में गलत तरीके से की गयी है इस सम्बन्ध में पूर्व सचिवों द्वारा भी बोर्ड को लिखा गया है, मेरे द्वारा भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकरण की जांच करायी जाय।

श्री छत्तर सिंह प्राचार्य जिन्होंने आय से अधिक सम्पत्ति रखने एवं जनता से अनैतिक रूप से धन लेने एवं अर्हता पूर्ण न होने के बावजूद प्राचार्य पद पर नियुक्ति कर दिया गया था की जांच नहीं की गयी है इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा सितम्बर, 2003 एवं फरवरी, 2004 में शासन को सूचित किया गया था पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण उक्त अधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है और अनैतिक कार्य करने में भी नहीं डर रहा है।

अत्यन्त खेद का विषय है जो अधिकारी प्रोवेशन पर होने के बावजूद भी अपने अनैतिक एवं जन विरोधी कार्यों से चूक नहीं रहा है इस सम्बन्ध में सीतापुर जनपद में तैनाती के समय सी0 डी0 ओ0 सीतापुर द्वारा भी शासन को पत्र लिखकर सूचित किया जा चुका है क्यों न ऐसे भ्रष्ट एवं जन विरोधी कार्य करने वाले अधिकारी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएं इन दोनों अधिकारियों की शासन अथवा आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराकर जनता एवं सरकारी धन की वसूली की जाए।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी नियम-301 की सूचना अस्वीकार क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष-

एक सप्ताह में नियम-301 में जितनी सूचनाएं आयी होंगीं उसकी सूचना नहीं ली जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कल प्रतीक्षा सूची में थी लेकिन जिस माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर सूचना ली जानी थी वह आ गये थे। उनकी स्वीकार हो गयी।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06-08-2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई :--

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, दूसरी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, तीसरी सूचना, श्री सोमारू राम सरोज, चौथी सूचना, श्री राम इकबाल सिंह, पांचवीं सूचना, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह 'मुन्ना', छठी सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान, सातवीं सूचना, श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम सूरत उपाध्याय एवं श्री राम नरेश यादव, आठवीं सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री सुखदेव राजभर, नवीं सूचना, श्री राजेश कुमार, दसवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना और ग्यारहवीं सूचना, श्री रमेश चन्द्र बिन्द की है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में कतिपय सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी अपने विचार रखें।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-300 की सूचना के अन्तर्गत सुनने की कृपा की है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। नियम-300 की सूचना के माध्यम से प्रदेश में ही नहीं सारे देश में जो यह बात बढ़ गयी है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकार, ये चार स्तम्भ हैं उसमें से विधायिका का सर्वोच्च स्थान है। काफी दिनों से यह देखने में आ रहा है कि कुछ विभिन्न कारणों से विधायिका के अस्तित्व या सुपरमेसी या गौरव का क्रमशः धीरे-धीरे क्षरण हो रहा है। मान्यवर, जो हमारी विधान सभा चलती है वह हमारी जो 1958 की नियमावली है उसके अन्तर्गत चलती हैं संविधान में अब तक अनेक संशोधन हो चुके हैं। यह हमारी नियमावली भी संशोधन की बाट जोह रही है और इसमें यदि स्पष्टता आ जायेगी तो विधान सभा का जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसमें जो असफलता है वह सफलता में परिवर्तित हो जायेगी। मैं 300 के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विधायिका सर्वोच्च है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं उन सबका उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना और जनता की उन्नति करना है। यह विधायिका किन्हीं कारणोवश अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो रही है और कार्यपालिका पर उसका अंकुश ढीला पड़ रहा है और कार्यपालिका लापरवाह हो रही है।

अगर हमारा नियंत्रण कार्यपालिका पर ढीला हो गया तो एक प्रश्नचिन्ह विधायिका और लोकतंत्र पर लगेगा। आज जनहित याचिकाओं के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं को न्यायपालिका के समक्ष ले जाती है और न्यायपालिका का आदेश मिल जाता है। उस आदेश को लागू कराने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिम्मेदारी कार्यपालिका पर आती है और कार्यपालिका से कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। लोकतंत्र के सामने यह जो जनहित याचिकाएं हैं यह लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। यह जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है आज उसको सामूहिक रूप से इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करना होगा। मैं नियम-300 के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारों के बीच में एक झीना पर्दा है, उसकी मार्यादा आज तार-तार हो रही है और वहां पर्दा जीर्ण हो चुका है। आज कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण की तरफ बढ़ रहे हैं और सारी व्यवस्था ध्वस्त हो रही हैं विधायिका आज गौण होती जा रही हैं चाहे किसी भी दल की सरकार हो सबका उद्देश्य जनता की भलाई होता है, इसलिये कार्यपालिका को विधायिका के प्रति गम्भीर होना चाहिए।

आज कार्यपालिका का उत्तरदायित्व समाप्त होता जा रहा हैं पहले यदि एक प्रश्न जिले में पहुंच जाता था तो वहां हड़कम्प मच जाता था। आज प्रश्नों के उत्तर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर कार्यपालिका के अधिकारी सदन में दिला देते हैं, जिसके कारण प्रश्नों से जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो रहा है ओर हमें जनता के साथ हमें जितना न्याय करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। इस विसंगति के कारण कार्यपालिका निरंकुश होती जा रही है। जनता की जो समस्याएं हैं जब वह कार्यपालिका के माध्यम से हल नहीं हो पाती तो वह जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका के समक्ष ले जाती है, इसलिये हमें विधायिका की गरिमा को बनाये रखते हुए कार्यपालिका पर अंकुश लगाना होगा। इसे पुनः प्रभावी बनाने के लिये नियमावली का पुनरीक्षण करेंगे। नियमों को और स्पष्ट और सार्थक बनायेंगे ताकि विधान सभा पुनः अपनी भूमिका प्रभावशाली प्राप्त कर सके। जिस तरह की भूमिका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, गोविन्द बल्लभ पन्त और चौधरी चरण सिंह के समय थी और हम उनके वंशज के रूप में काम कर रहे हैं मैं कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहता हूं औचित्य के इस प्रश्न पर आप विचार कर लें अगर उचित समझे तो चूंकि इसमें मेरे विचारों से व मेरे औचित्य के प्रश्न से एक नया प्रश्न अन्तर्निहित हुआ है।

अतः एक नई समिति आप इस पर विचार करने के लिये अपनी अध्यक्षता में बना दें। उसमे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विधायिका के गौरव को प्राप्त करने के बारे में सामूहिक विचार विमर्श हो जाए और जनता का जो विश्वास धीरे-धीरे विधायिका के प्रति उठता जा रहा है तो वह जनहित की याचिकाओं के बजाय विधायिका के प्रति पुनः विश्वास करने लगे। इसको आप कृपापूर्वक स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आपकी सर्वोच्चता पुनः स्थापित हो इसलिये अपने नेतृत्व में एक समिति बना दें। वह समिति महीने में एक दो बार बैठकर इसके बारे में विचार कर लेगी यही मैं आपसे मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का औचित्य का प्रश्न है। यह प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 संविधान के अनुच्छेद 208(1) के तहत बनाई गई है। इसमें किसी तरह के रद्दोबदल का आपको अधिकार है इस सदन को अधिकार है। इसके अलावा जो विषय आया है और जिस परेशानी की तरफ जिस बदलाव की तरफ बाजपेयी जी ने इशारा किया है वह उन लोगों के लिये ऐसी ही परेशानी का कारण है जो भारत का कल बदलना चाहते हैं। जिन्हें इस बात का अहसास हो

गया है कि कहीं न कहीं हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में कमजोरी आ रही हैं मान्यवर, दुनिया में जितने भी तंत्र हैं तानाशाही है कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है और समाजवाद के नये प्रारूप हैं जो नई कैफियत है अगर हम किसी भी रास्ते की तरफ चले जायें जिसमें फौज अहम हो जाय, तानाशाही बादशाही आ जाय। कम्युनिज्म सरकार आ जाय उस सबसे बेहतर आज की निजाम है। आज का लोकतंत्र है। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार कैसी हो इसका पूरा दायित्व इसकी पूरी जिम्मेदारी बहरहाल लोगों पर आती है। कहीं न कहीं कोई गलती हुई है यह सही है कि अपने क्षेत्रों में काम कराने के लिये अगर ऐसी स्थिति आ जाय कि कार्यपालिका से मायूसी होती है तो वह मायूस होकर घर बैठ जाता था उसके पास कोई नया दरवाजा नहीं था कोई नया विकल्प नहीं था लेकिन जैसे-जैसे लोगों में शिक्षा आई लोगों का ज्ञान बढ़ा लोगों को रोशनी मिली लोगों ने एक नया दरवाजा तलाश किया वह दरवाजा न्यायपालिका का है।

न्यायपालिका का नाम बहुत पाक नाम है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे समाज में डाक्टर नाम बहुत पाक है। वह सफेद कोट पहनता है सफेद पैंट पहनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने पूरे देश को एक नया रास्ता दिया है। एक विचार का बिन्दु भी दिया है आज बहस इस पर शुरू हो गई है कि अगर कोई मरीज मर जाता है तो क्या उसके लिये डाक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन आज बहस इस बात की है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी डाक्टर ने जानबूझकर या उसकी हत्या की नीयत से उसका इलाज नहीं किया, या इस इरादे तक लापरवाही बरती है कि मरीज मर जाय तो कौग्नीजेंस लिया जायेगा और दफा 302 में वह हत्या का अपराधी होगा। जहां डाक्टर्स जिनकी प्रैक्टिस के खिलाफ, उसकी आस्था, उसकी नीयत, उसके काम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गयी है लगभग उसी के जैसा यह मामला भी है। न्याय पालिका से ज्यादा न्याय कहां मिल सकता है। मैं कल ही कह रहा था कि 40 प्रतिशत इसीलिये दुनिया में खालिदे राशिदां। मान्यवर, मैं धर्म से मुसलमान हूं इसीलिये इसकी मिसाल रख रहा हूं। तीन चौथाई दुनिया में इस्लाम का राज रहा, वह क्यों खत्म हो गया ? इसलिये कि न्याय खत्म होने लगा।

हमारे देश में मुगल आये, रोमन एम्पायर जैसी ताकतों को खत्म होना पड़ा सिर्फ इसलिये क्योंकि न्याय खत्म होने लगा। मुगल चले गये, न्याय चला गया। अंग्रेज आये थे वे भी चले गये क्योंकि न्याय खत्म हो गया। न्याय खत्म होने से देश ही नहीं समाज खत्म होने लगे। न्याय पालिका में कहीं कमजोरी आई है, तभी यह सवाल उठाया गया है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है वह बहस का मुद्दा है। विधान सभा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारी न्याय पालिका हमारा आदर्श है। हमारे शरीर की और हमारे देश की रूह है। हम उससे यही मानते हैं कि हमको वहां से न्याय मिलेगा और न्याय मिलता भी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कहीं न कहीं हमारी गलती है। जहां पर उनका हस्तक्षेप बढ़ गया है, हमकों वहां पर देखना होगा। न्याय पालिका की तरफ से कोई ऐसी बात है जो हमारी हित में ठीक नहीं है तो हमकों उसको देखना होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं। मेरे "यहां कारण बताओ नोटिस" जारी किया

जाता है कोई अध्यक्ष बेईमान है, भ्रष्ट है, पैसा खा गया है, अन्याय करने लगे तो हम उसको नोटिस देते हैं कि हमको यह पता चला है, और यह शिकायत आपकी आई है।

जिलाधिकारी ने शिकायत भेजी है कि जांच करके, कमिश्नर ने भेजी है जांच करके। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप तो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति को जिलाधिकारी ने जांच करके बेईमान कैसे कह दिया। अब आप बतायें कि आप बहुत ईमानदार हैं यह सारे चार्जेज जो आपके ऊपर लगाये गये हैं यह सही नहीं हैं, हम आपकी बात मान लेंगे और आपको सही मानते हुए डी0 एम0 को सजा देंगे कि आपके ऊपर इस तरह के झूटे चार्जेज क्यों लगाये ? लेकिन अब यह नोटिस देने का अधिकार भी रोक लिया गया अब हम किसी बेईमान को इसलिये नोटिस नहीं दे सकते कि एक बहुत बड़े बेईमान को नोटिस दिया तो उस पर रोक लगा दी। हमारी गलती से यह हुआ है कि हमकों इसको देखना होगा। न्याय पालिका कहां तक पहुंची है। कार्य पालिका को सुधारना होगा। न्याय मिलना चाहिए ताकि बात यहां तक न पहुंचे लेकिन इसके बावजूद भी यह सदन है और इसको अधिकार है नियमों को बदलने का इसलिये यह नियम-300 में नहीं आता हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मैंने गम्भीरता से निवेदन किया कि सदन की एक कमेटी बनाकर उसमें इस पर विचार कर लें।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सप्ताह का कोई भी एक दिन मा0 विधायकों से मिलने के लिये निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौर जी, विधायक मुख्य मंत्री जी से नहीं मिल पाते हैं, यह कहां से औचित्य में आता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, आपका हाई कोर्ट का निर्णय है। हाई कोर्ट का निर्देश सरकार को मान्य है, इसमें औचित्य कहां आता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी का प्रश्न औचित्य में नहीं आता है इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मुझे थोड़ा सुन लें फिर निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष-

सबको सुनेंगे तो बात लम्बी हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरा नियम-300 में है।

श्री अध्यक्ष-

सारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही गई है इस पर क्या औचित्य है ? आप लिखकर मुख्य मंत्री जी को दे दें।

लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का निर्माण उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा बोलने के लिए दो मिनट का समय मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट तो आप बोलेंगे नहीं, ज्यादा समय लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

औचित्य के लिए क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम-300 का अवलोकन करें। सरकार अनवरत प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल बदलते हैं, कोई न कोई सरकार प्रदेश में होती है सरकार नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है मैंने यह प्रश्न किया था कि जब तत्कालीन सरकार में नारायण दत्त तिवारी जी ने इन्दिरा गांधी जी के महान व्यक्तित्व को देखते हुए इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान बनाने का निर्णय लिया और तत्कालीन सरकार ने इस हेतु 10 करोड़ का प्राविधान किया कि इससे बाउन्ड्री वाल बनाई जाएगी और यह चिन्हित हो गया। उसके बाद एक सरकार भा0ज0पा0 और ब0स0पा0 की आई उसने चिन्हित बाउन्ड्री को ध्वस्त कर दिया। हमने इस प्रश्न को उठाया। न्यायपालिका के सामने गया। उन्होंने कहा एक स्थान चिन्हित करके इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का कार्य प्रारम्भ किया जाए जिस दिन मुख्य मंत्री जी विश्वास मत हासिल कर रहे थे मैंने कहा था कि उच्च न्यायालय का निर्णय हो गया है उसका कार्यान्वयन करें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि निर्णय के अनुसार इसको कराया जाएगा। श्रीमन् क्या एक सरकार की वचनबद्धता अनवरत चलेगी या नहीं ? मान्यवर, संविधान के नियम 164(2) में लिखा है कि-"मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" एक मंत्रि-परिषद् नारायण दत्त तिवारी जी की थी उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान बनेगा। उसके बाद एक तत्कालीन सरकार भा0ज0पा0, ब0स0पा0 की आई इन्होंने उस मंत्रि-परिषद् के आश्वासन को समाप्त कर दिया। तीसरी सरकार मुलायम सिंह यादव की आती है उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इन्दिरा गांधी की शख़्सियत पर विवाद नहीं है वह विश्व की महानतम हस्तियों में थीं और एशिया की सर्वश्रेष्ठ प्रधान मंत्री के रूप में उनको जाना जाता था, हो सकता है हमारी आस्था ज्यादा हो, लेकिन उनका जो महान व्यक्तित्व था उससे किसी को इन्कार नहीं

हो सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जैसा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वास मत हासिल करते हुए आश्वासन दिया था कि न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह अपने आश्वासन के अनुरूप इन्दिरा प्रतिष्ठान का कार्य प्रारम्भ करा दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक बात कह दूं, माननीय प्रमोद कुमार जी ने क्योंकि भाजपा का नाम ले लिया है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् ने कोई भी निर्णय चेन्ज नहीं किया है, मेरी जानकारी के अनुसार। किसी ने यह निर्णय ले लिया हो, बदल दिया हो लेकिन मंत्रि-परिषद् ने इस प्रतिष्ठान को बदलने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद कुमार जी आप बैठें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी मेरे दो मिनट भी तो पूरे नहीं हुए हैं, आप हमारी भावनाओं को समझें। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप उनको सुन लें। आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धान्त है, सम्भवतः संविधान को पढ़ कर भी आप अन्जान बन रहे हैं, यदि बसपा ने भूल की तो आप भी तो उसमें शामिल थे। मैं चाहता हूं कि सरकार इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी, यह औचित्य नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब तक औचित्य पर आपकी व्यवस्था नहीं आ जाती, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा। हम सब यहीं पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन करेंगे। मान्यवर, मैं तब तक खड़ा रहूंगा। जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, ये सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अगर ये सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े रहेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, टण्डन जी जब नगर विकास मंत्री थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं विवश हूं, यह आदरणीय मायावती जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं किसी का नाम लेकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, मेरी भावनाएं इन्दिरा जी से जुड़ी हुई हैं, उनके नाम से प्रतिष्ठान स्थापित हुआ था। इसमें न्यायालय के निर्देश भी और मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार सरकार स्थिति स्पष्ट कर दें। मैं खड़ा हूं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सत्तापक्ष के साथ रहकर आपकी पीठ के खिलाफ ही खड़े हो जायें और आपके निर्णय की अवमानना करें तो क्या स्थिति बनेगी ?

श्री प्रमोद कुमार-

एक सरकार के पाप के कारण, जो तत्कीन सरकार ने पाप किये हैं, उसके कारण कई बार सरकार को खड़े होना पड़ता है, इसको पुण्य में तब्दील कर दें, सब ठीक हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह एक महापाप है, आप सत्ता में भागीदार भी हैं और महापाप का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष के निर्णय की अवहेलना में खड़े हुए हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

हम सरकार में शामिल नहीं हैं, आपने तो शामिल होकर यह पाप कराया था। [×××]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं विनय कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, हम खड़े हैं। सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा, इसी सदन में जब हम उधर बैठते थे, तब हमने भी आपके मामले में आपका सहयोग दिया था, आपसे बढ़कर दिया था और यह भी याद होगा कि सदन में और सदन के बाहर इस मुद्दे को उठाने में समाजवादी पार्टी ने आपका सहयोग दिया था और यह भी याद होगा कि नेता जी ने इस सदन में घोषणा की थी और यह भी कहा था कि इसमें न्याय किया जायेगा और न्यायालय के फैसले को लागू किया जायेगा। आपने आभार व्यक्त किया था। एक बात और जो आपको याद नहीं रह गयी कि उन्होंने कहा था कि पार्लियामेन्ट के चुनाव से निपट लें तब आपके साथ बैठकर इस पर योजना बनायेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा कर दिया जायेगा। पार्लियामेंट के चुनाव हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं और केन्द्र सरकार से भी इधर थोड़ी हीलाहुज्जत बाकी है। मैं समझता हूं कि इस पर किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नेता जी आते होंगे और आपकी भावनाओं को सीधे पहुंचा देंगे और यह कोई ऐसा मामला नहीं है जो तय न हो पाये।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सप्ताह का कोई एक दिन मा0 विधायकों से मिलने के लिये निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

(डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब आप अपनी सूचना को सदन के सामने पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देता हूं। हमें अपनी बात रखने दें। आप तो युनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

तभी मान्यवर, कह रहा हूं। हमने हजारों छात्रों को पढ़ाया हैं

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा विषय सभी विधायकों के संदर्भ में हैं। हम सब विधायक क्षेत्र की जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनहित के मुद्दे हम लोग इस सदन में उठाते हैं। आपकी कृपा से हम लोग विभिन्न नियमों, प्रश्नों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। मान्यवर, मैंने 12 फरवरी, 2004 को औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक विषय उठाया था, उपाध्यक्ष जी पीठ पर बैठे थे उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी ने इस पर शासन को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। इतने महीने हो गये। सरकार की उदासीनता इतनी है कि माननीय उपाध्यक्ष के निर्देश पर कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरा उदाहरण कि 10 दिसम्बर, 2003 को विषय उठाया था। माननीय अधिष्ठाता जी ने तब निर्देश दिया था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा इसका उत्तर दिया जाएगा। 12 फरवरी, 2004 को संसदीय कार्य मंत्री जी को पत्र लिखा था। 5 महीने के बाद भी उच्च शिक्षा मंत्री का उत्तर नहीं मिला है। किसके पास जायें। इतना ही नहीं। अनेकों प्रश्न जो हम विधान सभा में उठाते हैं उसके उत्तर की हम मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं अभी भी एक प्रश्न लगा था उसका उत्तर भी संतोषजनक नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि मंत्री जी संतोषजनक उत्तर दें कल की कार्यसूची में मेरी तीन चर्चाएं थीं। क्रम संख्या-55 पर प्रदेश सरकार को राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण के अधिकार को बहाल कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के गन्ना किसानों को सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की भांति निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराने विषयक सूचना थी। माननीय गन्ना विकास मंत्री जी उपस्थिति थे, पता नहीं उन्होंने कितना पढ़ दिया। लेकिन जो विषय उठाया गया कि कितना गन्ना मूल्य बकाया है यह उन्होंने नहीं बताया। तो हम कहां न्याय की अपेक्षा करेंगे। अगर हम माननीय मंत्रियों से संतुष्ट नहीं होते, मान्यवर, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, हर मुख्य मंत्री सप्ताह में कुछ दिन विधायकों से मिलता है, समय देता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अनेकों सदस्य आज परेशान हैं कि मुख्य मंत्री जी मिलते नहीं। अगर सदन न हो तो हम लोग सरकार को अपनी बता नहीं पायेंगे। आज यह सदन चल रहा है तो माननीय राम इकबाल सिंह जी ने अपनी बात उठायी। अगर सप्ताह में एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी समय दे दें तो हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में, प्रदेश की समस्याओं के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सभी को उपलब्ध होने चाहिए। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करा दें कि सप्ताह में एक दिन वह समय दें।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

"जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,

या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो।"

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जहां भारतीय जनता पार्टी रहती है वहां पर न खुदा रहता है न राम। आप अपने कार्यालय में पी लीजिये।

श्री लालजी टण्डन-

बहुत से नाखुदा ऐसे हैं,

जिन्हें अपने पर भी यकीन नहीं, खुदा पर क्या होगा ? तो मैं आपसे यह अपेक्षा कर रहा हूं कि यह जो गौर साहब ने उठाया है कि सदन में जो आश्वासन दिया जाता है, मंत्री जो उत्तर देते हैं उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है और होती है तो विधायकों को जानकारी जाती है कि नहीं, यह ठीक है। यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इतने व्यस्त हैं, शायद पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्हें विधायकों से मिलने के लिये समय नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वह सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें जिसमें वह माननीय सदस्यों से मिलें। पहले वह स्वयं मिला करते थे। आज विधायकों को शिकायत हो, विधायकों का उत्पीड़न हो, झूठे मुकदमें लगाये जायें, जन समस्याओं को सामने लाना चाहते हैं तो वह मिल नहीं सकते। यहां पर अगर प्रश्न के माध्यम से उठाया जाय तो नियम बाधक हैं किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं आता है। जो अगर उत्तर दिया भी गया तो उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। आज अन्तिम दिन है इस सत्र का। आप बतायें हम लोग यह प्रश्न कहां उठायेंगे। फिर इसके बाद तो सड़क बचती है जहां जनता की बीच आन्दोलन करना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इन परम्पराओं को जीवित रखना होगा। जो प्रश्न उठाये जायें उनका उत्तर दे। मुख्य मंत्री इस सदन के लिये जवाबदेह हैं। सदन के ऊपर कोई नहीं है। सदन में कुछ बातें आती हैं। उसका संज्ञान नहीं लेंगे, उचित निर्देश न देना, कोई कार्यवाही न करना इससे ज्यादा और क्या अवमानना हो सकती है। आज ज्यूडीसरिज्म बढ़ा है। अगर हम ऐसे आदमी को न्याय नहीं दिला सकते, जैसा कि डा0 बाजपेयी जी ने कहा कि वह अदालत का आदेश लेकर घूम रहा है पेंशन का लेकिन नहीं मिल रही है, ऐसे में ज्यूडीसरी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिये अगर इन सबसे बचना है तो मान्यवर.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

आप बोलिये, हम सुन रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, पीठ का मुंह इनकी तरफ कर दें। तो मान्यवर, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सदन की कार्यवाही को महत्व देना होगा, चाहे कोई हो इस सदन से ऊपर नहीं है, यह सदन ही

मुख्य मंत्री बनाता है और हटाता भी है, यह सदन ही आपको जिस पीठ पर आप बैठे हैं बैठाता है, तो मान्यवर.....

[×××]

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप निर्देशित कर दें जो यहां निर्णय होते हैं उनका क्रियान्वयन हो, मान्यवर, विधायकों के जो पत्र जाते हैं अब उनके पत्रों का उत्तर देने की भी प्रथा खत्म हो गई है, ऐसे में मान्यवर, प्रदेश की हालत क्या होगी ? तो जो माननीय गौर साहब ने प्रश्न उठाया हे इस प्रश्न का उत्तर गम्भीरता के साथ आप निर्देशित कर दें कि जो उत्तर दिया जाए, जो आश्वासन दिया जाय उनका क्रियान्वयन भी हो।

(व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, बहुत आवश्यक प्रश्न है, इसे सुन लें बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, मान्यवर, सब इन्सपेक्टर की परीक्षा हुई थी और उसका परिणाम निकल गया था, साक्षात्कार 18 अगस्त, 2003 से शुरू हो गये थे और 03 सितम्बर तक पूरे होने थे।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न हैं सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष-

राम इकबाल सिंह जी आप बैठ जाएं, पहले माननीय विधायक जी का औचित्य का प्रश्न सुन लें।

श्री प्रदीप जैन-

माननीय उपाध्यक्ष जी, 30 जुलाई को हमने सदन में एक प्रश्न उठाया था, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस का और वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, आपके कार्यालय से हमें यह पत्र प्राप्त हुआ कि नियम-56 के अन्दर सदन इस पर अपनी बात कहेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

इसमें औचित्य का प्रश्न कहां से हो गया ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह नये विधायक हैं इनकी पूरी बात तो सुन लें इसमें औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, इनको एक पत्र आपके कार्यालय से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वक्तव्य देने का निर्देश पीठ ने 06 तारीख को इसी सत्र में देने के लिये कहा था और आज सदन का आखिरी दिन है, माननीय

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायक के प्रश्न का वह उत्तर इसमें नहीं छपा है, अगर आज उसका उत्तर नहीं दिया जायेगा तो आज ही सत्र का सत्रावसान हो जायेगा, इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य का उत्तर भी नहीं आ पायेगा, तो इनके उत्तर का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

आप बाद में लिख करके दे दीजियेगा उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री प्रदीप जैन-

मान्यवर, पूरे प्रदेश के विद्यालयों में फीस कम हो गई है लेकिन हमारे बुन्देलखण्ड के अन्दर इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं, इसलिये मैंने नियम-56 में इस प्रश्न को उठाया था, जो 70 हजार छात्रों से सम्बन्धित है, दो करोड़ जनता से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जायें, सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर भेजा जा चुका है, आपके पास पहुंच जायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मान्यवर, श्री सुखदेव राजभर जी को मैंने बुला लिया है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अभी नियम-300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न उठाया गया, जो नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता, अभी मा0 गौर साहब और मा0 नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही थी मैं समझा कि उसी क्रम में कोई बात आ रही है और उसके बाद आगे की दूसरी तीसरी सूचना शुरू हो गयी लेकिन जो पहले वाली बात है उस पर सरकार का पक्ष तो आ जाय।

मान्यवर, माननीय नेता सदन, मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस सत्र में और इसके पूर्व के सत्रों में, चाहे जितना भी संक्षिप्त हुआ हो, जितना समय दिया है कदाचित पिछले 10 वर्षों में किसी मुख्य मंत्री ने अनुपातिक रूप से सत्र की अवधि में सदन को उतना समय देने का काम नहीं किया है। (सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इस सरकार में पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं जब मुख्य मंत्री के सामने प्रश्न उठाने की बात तो अलग रही, चार-चार पांच-पांच साल तक एक भी पत्र विधायक मा0 मुख्य मंत्री को नहीं लिखते थे क्योंकि उनके पत्र को पढ़ने की भी स्थिति आती नहीं थी। मान्यवर, आज स्थिति बदल गयी है। माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि मा0 नेता, प्रतिपक्ष जब टेलीफोन से भी कोई काम कहते हैं तो उनका काम तत्काल मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां हो जाता है। अभी गौर साहब ने और राम इकबाल जी ने बात कही, मा0 राम इकबाल जी ने इसी सदन में स्वयं कहा था और मा0 मुख्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया था कि जब वे जेल में बन्द थे तो मुख्य मंत्री जी ने दो बार उन्हें टेलीफोन किया था। तो इससे अधिक संवेदनशील मुख्य मंत्री और कौन हो सकता है ? इसकी कल्पना तो हो सकती है, लेकिन इससे अधिक संवेदनशील मुख्य मंत्री कोई दूसरा नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मैं टण्डन जी की बात से सहमत हूं अगर इस सदन में उनकी बात नहीं सुनी जायेगी तो वे क्या किसी बड़े सदन में जायेंगे ? मान्यवर, आज यह लोग बड़े सदन में अर्थात जनता के बीच जाने लायक नहीं हैं। मैं उनकी इस कठिनाई को समझ सकता हूं। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता आप कृपया इसे अस्वीकार कर दें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आज तो सदन चल रहा है जब सदन नहीं चलता है तबके लिये मैंने कहा कि सप्ताह में एक दिन मुख्य मंत्री जी समय तय कर दें ताकि हम लोग उनसे मिल सकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी सर्वाधिक मिलते रहे हैं। आप कभी भी एनेक्सी भवन में चले जाइये। अपनी स्लिप भेजिये मुलाकात होगी आप प्रायरिटी पर हैं। वैसे हर बुधवार को 5 कालिदास मार्ग पर मुख्य मंत्री जी 4 घंटे मिलते हैं।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, पिछले जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं वह हफ्ते में एक दिन का समय देते थे। आपको टाइम देने में क्या दिक्कत है ?

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यह मिलने मिलाने को परेशान हैं ये भरत मिलाप कर लें।

(श्री भरत सिंह के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय विधायक जी बैठिये, मैंने राजभर जी को बुलाया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। इस सदन में जो कार्यवाहियां होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और उसका अनुपालन भी होता है। मान्यवर, सदन के अन्दर जो कार्यवाही आती है वह एक सम्पत्ति होती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगली सूचना शुरू हो गयी और उसको आपने समाप्त नहीं किया। मान्यवर, आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं जो परम्परा रही है जितने भी माननीय मुख्य मंत्री इस प्रदेश में रहे हैं दो दशक से, प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का समय एनेक्सी में मिलने का विधायकों का निर्धारित होता था, इस बार नहीं हुआ है। अगर यह बात विधायक मांग रहे हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी नियमित विधायकों से मिलने का समय तय कर दें आप निर्देश दे दें। माननीय विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर माननीय मुख्य मंत्री से मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं तो वह सुगमता से मिल सकें। इसके लिये कोई समय निर्धारित कर दिया जाय, यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर अपनी बात कह ली है। नियम 300 की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत अभी चर्चा हुई है, मैं इसको अब अग्राह्य कर रहा हूं।

दिनांक 4 अगस्त, 2004 को नेता सदन के कथन "जो मा0 सदस्य बोल नहीं पाये हैं वह लिखकर दे दें शंका का समाधान कर दिया जायेगा" के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

अगली व्यवस्था में मैंने श्री राजभर जी को बुलाया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, कार्यवाही का एक महत्व होता है और वह सदन की सम्पत्ति होती है। जिस दिन की कार्यवाही में जो लिख जाता है, यह विश्वास होता है कि उसका अनुपालन होगा और वह एक नजीर के रूप में छपती है। नियमावली के नियम 300, 302 के अन्तर्गत प्राविधान भी है। मान्यवर, दिनांक 4-8-2004 के उपवेशन में माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया था जो कार्यवाही के पेज संख्या 198 पर दर्ज है। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि "आप लिखकर दे दीजिये। सबका हम समाधान कर देंगे। जो नहीं बोल पाये हैं वह हमको लिखकर दे दें। इसमें आगे है, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं जो आज समयाभाव के कारण नहीं बोल सके हैं वह लिखकर दे देंगे, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब वह बात कार्यवाही में आ जाय जो आप कह रहे हैं, तो मेरी जुबान का तो भरोसा कीजिये। कार्यवाही में तो बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन क्या होता है।" आज इस कार्यवाही के प्रति एक भ्रामक स्थिति आ गयी है अब माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि कार्यवाही में बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन क्या होता है। मान्यवर, नियम 300 और 302 में प्राविधान है कि वह कार्यवाहियां दी जाती हैं और एक नजीर बनती है। नेता सदन द्वारा कार्यवाही के बारे में यह बोला जाय कि कार्यवाहियां तो बहुत होती हैं और इसमें होता क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष-

राजभर जी, आपकी बात आ गयी है, आप बैठें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को कार्यवाही पर भरोसा नहीं है, कल को कहेंगे कि आप अपने पैड पर लिखकर दे दीजिये। कार्यवाही तो बहुत लिखी जाती है, होता क्या है, इस बात से कार्यवाही की ग्रेविटी गिरी है। सदन की कार्यवाही सदन की सम्पत्ति होती है, इसको नजीर के रूप में देखें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, राजभर जी, बहुत पुराने सदस्य हैं। अगर आप कार्यवाही देखेंगे तो साढ़े 300 बार इन्होंने यह बात कही है। यह बहुत सज्जन और पुराने व्यक्ति हैं, आप एक बार कह लेंगे तो हम 350 बार ही मानेंगे। अगर पूरी बात राजभर जी पढ़ लें तो समस्या का निदान हो जायेगा। पूरी कार्यवाही देख लें। नेता सदन ने यह कहा था कि क्या होता है और क्या होता रहा है। उन्होंने जो कहा था, इस सरकार के लिये नहीं कहा था, गुजरी सरकार के लिये कहा था। गुजरी सरकार में जो कुछ कहा गया,

उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब इत्तफाक है कि उस सरकार में आप संसदीय कार्य मंत्री थे और वह मुख्य मंत्री थीं, जिनकी सीट ही हमेशा देखने को मिलती थी । मान्यवर, ऐसा न कुछ कहा गया है और न नेता सदन की ऐसी मंशा है। यहां की कार्यवाही जाहिर है, सर्वप्रिय है और उसका पालन होता है।

श्री सुखदेव राजभर-

आप कार्यवाही का पृष्ठ 198 देख लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने अपनी मर्जी का हिस्सा पढ़ लिया, बाद वाला पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना श्री सोमारू राम सरोज की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष-

सब बात आ गई है, आप बैठें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने देख लिया है, कृपा करके बैठें, आसन ग्रहण करें।

(श्री सोमारू राम सरोज सदन में उपस्थित नहीं थे।)

मैं श्री सोमारू राम सरोज की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम इकबाल सिंह-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस औचित्य प्रश्न पर सरकार से कहना चाहता हूं । श्रीमन् हजारों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। एक हजार 45 सब इंस्पेक्टर के पदों की विज्ञप्ति हुई और 25 नवम्बर, 2001 को इसकी परीक्षा हुई उसके बाद 30 जुलाई, 2003 को परीक्षा परिणाम आया, जिसमें 2773 बेरोजगार लड़के पास हुए। उन्होंने सुनहरा सपना देखा था कि हम सब इंस्पेक्टर होने जा रहे हैं। उनके परिवार में युवावर्ग में खुशी की लहर थी। श्रीमन् 18 अगस्त, 2003 को इंटरव्यू शुरू हुआ और 3 सितम्बर तक इसे पूरा होना था। बीच में 29 अगस्त को सरकार बदल गई और माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री हो गये, उन्होंने 29 अगस्त को ही इंटरव्यू रोक दिया, उसके बाद इंटरव्यू फिर पूरा नहीं कराया गया, आज हजारों लड़के ओवरएज हो गये हैं। 27 फरवरी को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनको समायोजित कर लिया जाये। यह हजारों लड़कों के भविष्य का सवाल है, सबकी जिन्दगी खतरे में है सब आत्महत्या के किनारे पहुंच गये हैं। 27 फरवरी को

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इनको समायोजित कर लिया जाय लेकिन उनको अभी तक समायोजित नहीं किया गया है। इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इंटरव्यू में पास हो गये हैं और जो इंटरव्यू की परीक्षा से वंचित रह गये थे उनको परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करके उनको समायोजित कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की है। यह अनुपस्थित हैं।

जनपद फतेहपुर में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की है।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं सरकार का ध्यान जनपद फतेहपुर की ओर लाना चाहती हूं क्योंकि जनपद फतेहपुर इलाहाबाद मण्डल से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद मण्डल को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जनपद फतेहपुर को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। क्योंकि जनपद फतेहपुर में राम गंगा नहर और निचली गंगा नहर .....

श्री उपाध्यक्ष-

यह आपका विषय नहीं है लेकिन इसको सुन लिया गया है, आपका विषय है ग्राम रसौली विकास खण्ड मसौली जनपद बाराबंकी में पेशकार तथा लेखपाल के विरुद्ध दर्ज कराये गये मुकदमें में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

राम गंगा नहर और निचली गंगा नहर के लिए लगभग 25 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिली थी और उनसे पानी बढ़वाने के लिए आग्रह किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है निचली गंगा नहर में पानी बढ़वा देंगे। इसके बाद मैं प्रमुख सचिव से मिली थी उन्होंने कहा था कि 300 क्यूसेक पानी हम बढ़ा देंगे। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मैं पहली बार चुनकर आई हूं, सीखने का प्रयास कर रही हूं हो सकता है कि कोई गलती हो जाए। उपाध्यक्ष जी, जनपद फतेहपुर पर इन्द्रदेव भी नाराज हैं और वहां के जानवर और पंक्षी भी मर रहे हैं कम से कम 1.5 एकड़ जमीन सूखाग्रस्त है, किसान भुखमरी की कगार पर आ गये हैं इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हमारे जनपद फतेहपुर को भी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मैं तो मान्यवर, महिला विरोधी हूं नहीं। मुझे हुकुम सिंह जी और लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी कहीं भेज रहे थे, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था। मैंने मा0 सदस्या की बात सुनी है, पूरी हमदर्दी है, मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि फतेहपुर सूखाग्रस्त घोषित हो।

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना पर मा0 सदस्या और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है और यहां पर माननीय सदस्य सूखे व सिंचाई के सम्बन्ध में अपनी बात रख रहे हैं। पूरा समय बीत गया और आज इस सत्र का अन्तिम दिन है, माननीया सिंचाई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि वह सदन में उपस्थित रहें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप अपनी तरफ से निर्देश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष-

सूखे पर पूरी चर्चा हुई आपने उसमें भाग नहीं लिया।

श्री हुकुम सिंह-

उपाध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, उसे हल्केपन से न लिया जाए। सारा प्रदेश सूखे की चपेट में है और एक दिन भी सिंचाई मंत्री जी के दर्शन न हों तो अच्छा थोड़े ही लगेगा।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी, उनको जनपद से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। परसों सिंचाई मंत्री जी इस सदन में अपनी अनुदान मांगें पढ़ रही थीं।

श्री राजेन्द्र प्रताप उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, हरदोई से होकर रास्ता आता है तो कहीं अग्रवाल साहब ने तो नहीं रोक रखा है।

क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में स्थानीय विधायकों के प्रस्तावों को न लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेश कुमार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने नियम-300 के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में स्थानीय विधायकों के प्रस्तावों को न लिये जाने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। सभी माननीय विधायकों के अपने-अपने क्षेत्र में कई विकास खण्ड आते हैं और उन विकास खण्डों में क्षेत्र पंचायत की बैठकें होती हैं उसमें माननीय विधायकों को एक सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। जब क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना बनती है तो उस मीटिंग में वहां के बी0डी0सी0 सदस्य व ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्ताव मांगा जाता है लेकिन क्या क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत माननीय विधायकों से प्रस्ताव लेने की क्या कोई व्यवस्था है। जिला पंचायत में जो कार्य होते हैं उसमें माननीय विधायकों से कुछ प्रस्ताव लिये जाते

हैं लेकिन क्षेत्र पंचायतों में यदि कोई ऐसी बात आती है तो वहां के बी0डी0ओ0 और ब्लाक प्रमुख यह कहकर विधायक की उपेक्षा करने का काम करते हैं कि आपके पास विधायक निधि है, विधायक निधि से काम करा लीजिए। तो मान्यवर, यह माननीय विधायकों के मान-सम्मान का मामला है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कि जिला पंचायत के अन्तर्गत एस0आर0वाई0 और जे0आर0वाई के अन्तर्गत और ब्लाक में जो कार्य होते हैं उसका प्रस्ताव देने का अधिकार है या नहीं और साथ ही साथ मान्यवर, विधायकों के प्रस्ताव लिये ही नहीं जाते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पंचायत और जो जिला पंचायतों द्वारा कार्य कराये गये हैं उन कार्यों की जांच होनी चाहिये। एक-एक सड़क चार-चार, पांच-पांच बार बनायी जाती है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपके माध्यम से 26 माननीय विधायकों की पीड़ा इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से रखना चाहता हूं।

(माननीय विधायकों के आपस में बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय विधायक लाबी में जाकर वार्ता कर लें। यह ठीक नहीं है।

शहरी क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों के समान विकास कार्य कराने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 26 विधायक ऐसे हैं जो नगरीय क्षेत्र से आते हैं। एस0 एम0 जी0 वाई0 योजना में समग्र विकास के माध्यम से विधायकों को अपने क्षेत्र के 10 गांवों का विकास प्रति वर्ष कराने का अधिकार है। इसी तरह से कृषि मंत्री जी ने लोहिया ग्राम की जो योजना चलाई है इसमें विधायक अपने क्षेत्र में एक ग्राम का चयन करके सम्पूर्ण रूप से उसका विकास कराता है, लेकिन इसका भी शहरी क्षेत्र के विधायकों को लाभ नहीं मिलता। नगरपालिका में नगर के विधायक मेम्बर होते हैं उनको अधिकार होता है, डूडा के माध्यम से बस्तियों में सारे कार्य हो सकते हैं लेकिन उसमें विधायक पदेन सदस्य नहीं है। इसी तरह से सिंचाई बन्धु में ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मेम्बर होते हैं उनको अधिकार होता है कि जहां चाहें वहां नहरों की सफाई करायें नलकूप लगवायें। शहरी क्षेत्रों के विधायकों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि उनको नगरीय क्षेत्र के विधायक के बराबर अधिकार नहीं है। यह डिस्क्रिमिनेशन एमंग क्लास उचित नहीं हैं, इसमें समानता होनी चाहिए। जिस प्रकार से समग्र विकास में ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को अधिकार है उसी तरह से नगरीय क्षेत्र के विधायकों के भी अधिकार होने चाहिए। विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी का आश्वासन 5 गांवों के सम्बन्ध में आया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को होता है उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में विधायकों को

अधिकार दिये जाने चाहिए। इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं चाहता हूं कि शासन इसका संज्ञान ले और इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी नगर आवास राज्य मंत्री रह चुके हैं, विधायकों की पीड़ा उस समय उनकों क्यों नहीं याद आयी। हमारी सरकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है चाहे गांव के क्षेत्र के विधायक हों या चाहे शहरी क्षेत्र के विधायक हों, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। शहरी विकास की योजनाएं तथा गांव के विकास की योजनाएं दोनों अलग-अलग चीजे हैं। 80 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रह रही है। जितना भी स्टेट डेवलपमेंट का पैसा होगा उसका 70 प्रतिशत गांव में खर्च किया जाएगा। क्योंकि बड़ी मात्रा में गांवों में आबादी रहती है। गांव के विकास की प्राथमिकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि नगरों का विकास नहीं किया जायेगा। डूडा, सूडा आदि विभागों की शहर का विकास करने की अनेकों योजनाएं हैं। डूडा सूडा में विधायकगण लिखकर देते हैं और वह योजनाएं लागू होती हैं। श्रीमन् सरकार का यह निश्चित आदेश है कि विधायक जी के क्षेत्र में जो काम हो उसमें विधायक जी से विचार कर लिया जाय। कुछ योजनाओं को विधायकों की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नहीं देते हैं। जो शिकायत खन्ना जी की है वह लिखकर दे दें हम उसको देख लेंगे। जहां तक औचित्य के प्रश्न की बात है यह कहीं से भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने जिस बात पर बल दिया है वह यह है कि डूडा के सदस्य के रूप में विधायकों को नामित करने में क्या परेशानी हैं जिस प्रकार नगर पालिकाओं व ब्लाक में विधायकगण पदेन सदस्य होते हैं उसी प्रकार डूडा में भी यह सदस्य हो जाएं। डूडा ऐसा विभाग है जिससे 26 विभाग प्रभावित हैं। सारे विकास के कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। नामित करने से विधायकों को भी राय आ जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं मंत्री जी को निर्देशित करता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न में मैं जो विषय खन्ना जी ने उठाए हैं उस को गम्भीरता से देख लें और जितना भी हो सकता है वह किया जाय। इसके साथ ही मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जितने भी विधायक शहरी क्षेत्र के हैं। सरकार की तरफ से उनके साथ बैठकर बात कर ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवा विकास खण्ड पहाड़ी में अधबनी बन्धा के लिये धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री रमेश चन्द्र बिन्द का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

उक्त सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2004 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 04 अगस्त, 2004 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 05 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 में बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

(2) उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2004 पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 4 अगस्त, 2004 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 05 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

(1) उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2004 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राज मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004

(2) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 अगस्त, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम परदवां अपवा बरियारी कला में 100 क्यूसेक की लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराकर सिंचाई व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री शिवदास आदि निवासीगण जनपद चित्रकूट द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ‡

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट के ग्राम परदवां अथवा बरियारी कला में 100 क्यूसेक की लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराकर सिंचाई व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री शिवदास तथा श्री आनन्द कुमार निवासीगण जनपद चित्रकूट द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत सरजू नदी के बौड़ी घाट पर पुल तथा बहराइच-महसी रोड पर अमर पुल घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम मिलन यादव आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री दिलीप कुमार-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के अन्तर्गत सरजू नदी के बौड़ी घाट पर पुल तथा बहराइच-महसी रोड पर उमर पुल घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम मिलन यादव तथा श्री तारिक अन्सारी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर क्षेत्र के बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग आदि के उच्चीकरण व सड़क निर्माण विषयक श्री शम्भू शर्मा आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत शिकारपुर क्षेत्र के बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग आदि के उच्चीकरण व सड़क निर्माण विषयक श्री शम्भू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोटः-‡ छापी नहीं गयी।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खली पर बिक्री कर समाप्त करने विषयक श्री प्रदीप गर्ग आदि निवासीगण जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका [1]

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खली पर बिक्री कर समाप्त करने विषयक श्री प्रदीप गर्ग तथा श्री चंद्रेश जैन निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-10 में कुछ नहीं है।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष-

दी है, उसका परीक्षण हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सुन लें, अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लिया है।

श्री उपाध्यक्ष-

एक मिनट में अपनी बात कहें।

दिनांक 4 अगस्त, 2004 की कार्यवाही में संसदीय कार्य-मंत्री एवं सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा श्री उदयभान करवरिया के सम्बन्ध में अपमानजनक टिप्पणी किये जाने विषयक विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 4 अगस्त, 2004 को कानून व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पर चर्चा के दौरान मैं चर्चा में भाग ले रहा था। मैंने जनपद इलाहाबाद की एक घटना जो हडिया ब्लाक में घटित हुई, का उल्लेख किया था और उस घटना के उल्लेख के उपरान्त मेरे विषय में संसदीय कार्य-मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खाँ जी की टिप्पणी जो कार्यवाही में भी है- 'मान्यवर, अभी मैंने सुना। इधर से माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि सारी हत्याएं इन्होंने ही करवाई हैं, यह तो बड़ी गम्भीर बात है।' इसी तरह से शारदानन्द अंचल जी ने कहा-'मान्यवर, यह गुंडा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर इससे गुंडई करवा रहे हैं। यह महागुंडा है'। मान्यवर, यह मेरे विशेषाधिकार हनन की बात है। आज़म खाँ साहब ने कहा-' यह बेहूदा तरीका है, यह तरीका गलत है। मान्यवर, अगर माननीय सदस्य अपने बारे में यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो आचरण यहां है, वही आचरण है तब तो बात दूसरी है। मान्यवर, यह एक सदस्य की सदन के सामने अवमानना है। मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया है। मैं अपनी बात को जो प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली व्यवस्था के सम्बन्ध में है उसको सदन में रख रहा था, उस पर अपने विचार रख रहा था। मेरे साथ-साथ इन्होंने

नोटः-[1] छापी नहीं गयी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाया है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि उनकी शय से यह काम हो रहा है। 'गुंडा' और 'बेहूदा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस सदन के अन्दर अंचल जी ने मुझे गुंडा कहा। अंचल जी, इस बात को प्रमाणित कर दें। मेरे ऊपर कोई भी इस प्रकार का मुकदमा चला हो ? गुण्डा बनाने के लिए पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाती है पुलिस के दस्तावेजों में अंकित होता है तो कार्यवाही होती है मेरे खिलाफ इस तरह का कोई मुकदमा नहीं है मेरा चैलेन्ज है अगर इस बात को साबित कर दें कि मेरे खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है या संसदीय कार्य-मंत्री इस बात को साबित करा दें कि मेरा आचरण बेहूदा था तो मै इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। टी0वी0, रेडियो में, समाचार-पत्रों में आ रहा है मेरे क्षेत्र के लोग फोन करके पूछ रहे हैं विधायक जी यह क्या हो रहा है, मुझे दो-तीन दिन से रात में नींद नहीं आई, मेरे लिए इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं इससे बहुत आहत हूं और इसी वजह से मैंने यह विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी है, यह हमारा अधिकार है। यदि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो किसी सदस्य को बोलने का अधिकार है। मान्यवर, यदि कहीं कोई घटना घटती है उसका उल्लेख सदस्य करता है तो यह आपत्ति की बात नहीं है मैंने नियमतः सूचना दी है नियम-52 के अन्तर्गत सूचना दी है और उसमें मेरा नाम है मैंने उस चर्चा में भाग लिया था, उसको दिखवा लेते.....

श्री उपाध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, कानून व्यवस्था की बात कही है उसको दिखवाना चाहिए था लेकिन सत्तापक्ष उसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहता है उसने बेहूदा, गुण्डा, महागुंडा कहा है...

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नेता प्रतिपक्ष के लिए यह कहना कि सदन में गुण्डाई करवाते हैं।

(व्यवधान)

यह बेहद गम्भीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष-

इस प्रकरण को समाप्त करें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि विशेषाधिकार हनन की कोई सूचना माननीय सदस्य देना चाहता है तो उसका नियमों में प्राविधान है और उसके तहत आपको दिया होगा, मेरी जानकारी में बात नहीं है। विशेषाधिकार हनन पर इस सदन में सूचना दी है उसमें भाषण देने का प्राविधान नहीं है। आप भिज्ञ हैं, नियमों के जानकार हैं विशेषाधिकार के हनन की नियमों के तहत प्रक्रिया होनी चाहिए। विशेषाधिकार हनन की सूचना के माध्यम से इस तरह से बार-बार गुण्डा कहा, महागुण्डा कहा जाए यह सही नहीं है। बात कही है तो आप उसको दिखवा लें कार्यवाही में है या नहीं ? विशेषाधिकार

हनन की स्थिति बनती है या नहीं ? इस तरह से सदन में चर्चा किया जाना उचित नहीं है। अगर माननीय सदस्य गम्भीर है तो विशेषाधिकार हनन की सूचना देनी चाहिए और उसमें प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नियमावली में लिखा है मैं उसको सुनाना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष-

यह सूचना जो विशेषाधिकार हनन की है, माननीय सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखी गई, बात आ गई है पूरा प्रकरण संज्ञान में आ गया है। माननीय अध्यक्ष बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

(श्री हुकुम सिंह के कुछ बोलने पर व्यवधान)

मंत्री जी ने अभी कहा है इस पर चर्चा की बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरी बात सुन लें।

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यगण ने यह टिप्पणी की है, उसका कार्यवाही में उल्लेख है, उसका उल्लेख माननीय सदस्य ने सवयं कर दिया है। जिन शब्दों का यहां पर उच्चारण किया गया है, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, राजस्व मंत्री जी ने दोहरा भी दिया है। आप स्वयं इस बात का संज्ञान लें, यह पार्लियामेंट्री, संसदीय भाषा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य, दोनों को ही अपमानित करने के लिए इस तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मान्यवर, इसमें दो रास्ते हैं, एक आप सीधे-सीधे निर्देश दे कि जिन सदस्यों की ओर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यह माफी मांगे और उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए। यदि मुझसे गलती होती है तो मैं एहसास करूं कि मुझसे गलती हुई है और खड़ा होकर कहूं कि मुझसे गलती हुई है और इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। किसी भी स्थिति में सदन में ऐसे शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं हैं। जिस किसी सदस्य ने भी कहा हो, किसी माननीय मंत्री की ओर से कहा गया हो, स्वयं मैं अपनी ओर से शुरूआत करना चाहता हूं, जैसे कोई गाली दे और उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाए तो कदाचित् उचित नहीं है कि फलाँ गाली दी। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सचमुच में जिन शब्दों का जिक्र माननीय सदस्य कर चुके हैं उनको तो कार्यवाही से निकलवा दें और जो शब्द मैंने कहा है, उनका भी बिना उच्चारण किए कार्य चल सकता था, उन्हें भी कार्यवाही से निकाल दें। विशेषाधिकार हनन की सूचना यदि कोई सदस्य देना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उपाध्यक्ष जी,...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है, अब इस विषय को समाप्त करें। बहस को बढ़ाने में कोई लाभ नहीं होगा। विशेषाधिकर हनन की सूचना हमें प्राप्त हो गई है। अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय मान्य होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप जब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे, 4 अगस्त, 2004 की शाम 6.55-7.00 बजे की कार्यवाही का यह अंग बन गया है। शारदानन्द अंचल जी ने कहा है कि 'यह गुण्डा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर इससे गुंडई करवा रहे हैं। यह महागुण्डा है।' मान्यवर, सदस्य और माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी करना क्या माननीय सदस्य की मर्यादा के अनुकूल है। आप नियमावली देखें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं खड़ा था, आप बोल रहे हैं, मुझे बैठना पड़ा है, कुछ नियमों की जानकारी तो है ?

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 05 अगस्त, 2004 को हुयी अपनी बैठक में सदन के दिनांक 06 अगस्त, 2004 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिनांक 6 अगस्त दिन शुक्रवार-

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

3-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

4-उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

5-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

6-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

7-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

8-उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 12 में कुछ नहीं है।

प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2004 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं-माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

(वक्तव्य उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

[उल्लेख किया गया है कि गत वर्षों में कई विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये गये बी0 एड0 पाठ्यक्रमों में अलग-अलग प्रवेश परीक्षा में मैनेजमेण्ट कोटा के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को बिना किसी मेरिट या नियम के, भारी धनराशि लेकर प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है तथा प्रवेश परीक्षाओं में भी अनियमितताओं की गम्भीर शिकायतें हैं। अतः बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी बनाने हेतु इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश की भांति प्रदेश स्तर पर सम्मिलित प्रवेश परीक्षा आयोजित कराना अपरिहार्य है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों का निर्धारण एवं परीक्षा कराने का अधिकार प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं उसकी प्रवेश समिति तथा परीक्षा समिति में निहित है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्देश नियम 1983 प्रकाशित किये गये है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत बी0 एड0/एम0 एड0 पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को आवंटित सीटों के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित कर छात्रों की संख्या को संस्थाओं में आवंटन करते हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं नियम-56 की सूचना ले रहा हूं। आज दिनांक 06 अगस्त, 2004 को नियम-311 की 3 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें प्रथम सूचना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्थिति ट्रामा सेन्टर में व्याप्त घोर अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना, श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा स्थित गोकुल बैराज परियोजना का रख-रखाव ठीक से न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा को गतिशील बनाने हेतु फायर कमिशन गठित करने के संबंध में, चौथी सूचना, श्री अनीस अहमद खां, श्री सुखदेव राजभर, डा0 विनोद तिवारी जी की जनपद पीलीभीत की श्रीमती भानुमति की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु के संबंध में, पांचवी सूचना, श्री प्रमोद कुमार, श्री विवेक बंसल, श्री राम नरेश यादव व श्री श्याम सूरत उपाध्याय की दैवीय आपदा हेतु पूर्व निर्धारित धनराशि को बढ़ाये जाने के संबंध में, छठी सूचना, श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त विशेष उल्लेख में श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के आंवला विधान सभा क्षेत्र में फैले डायरिया रोग के इलाज हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के संबंध में, दूसरी सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की नोएडा, ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्यों हेतु भूमि आवंटन की जांच के संबंध में, तीसरी श्री छोटे लाल वर्मा की विश्व बैंक द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवेलपमेंट द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के संबंध में, चौथी सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के संबंध में, पांचवीं सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर में खाद्य वस्तुओं तथा तरल पदार्थों में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठी सूचना,

मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित एक रिट याचिका टी0 एम0 ए0 पाई0 बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में शासन स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जिनमें बी0 एड0 उपाधि सम्मिलित है, विभिन्न संस्थाओं में सामान्य सीट एवं मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों का प्रतिशत निर्धारित करने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश निर्धारित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति संस्थाओं के संघ द्वारा संचालित परीक्षाओं की पारदर्शिता देखने के लिये सक्षम होगी जिसमें अन्तर्गत प्रस्तावित प्रश्नपत्र पेपर सेण्टर, परीक्षक आदि की जानकारी भी कर सकेगी। समिति पर्यवेक्षण के लिये भी अधिकृत है जिससे परीक्षा निष्पक्ष ढंग से संचालित हो सकेगी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की अभियंत्रण/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं में शुल्क निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के समक्ष प्रदेश में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन से संबंधित निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थायें अपना प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर प्रस्तुत करेगी। समिति यह देखेगी कि प्रस्तावित फीस लाभ कमाने की मंशा से नहीं है तथा कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जा रही है। समिति स्वतंत्र होगी कि वह उसे स्वीकार करे अथवा दूसरी फीस निर्धारित करे। समिति द्वारा निर्धारित फीस 03 वर्षों के लिये प्रभावी होगी। इस प्रकार अब कोई भी संस्था निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकेगी।]

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसको मैंने नियम-56 के अन्तर्गत उठाया था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, केवल वक्तव्य है। इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नियम-56 पर केवल वक्तव्य नहीं होता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पीठ के फैसले पर बार-बार टिप्पणी उचित नहीं हे। अगर माननीय सदस्य, बाजपेयी जी स्वयं को नियमों के ज्यादा जानकार महसूस करते हैं तो इनका अभिनन्दन करा दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियम-56 में जब कोई वक्तव्य मांगा जाता है तो उसमें स्पष्टीकरण पर जरूर बोला जाता है। केवल लिख देने से इनके बोलने पर रोक न लगायें। नियम 51 में केवल वक्तव्य होता है, नियम-56 में केवल वक्तव्य नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष-

यह बात कई दिन से चली आ रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा है कि जब निर्णय हो गया कि केवल वक्तव्य का तो इसके विरुद्ध कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाना चाहिये। यह निर्णय आ चुका है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद गाजियाबाद स्थित ब्रज घाट क्षेत्र को विकसित किये जाने के संबंध में, सातवीं सूचना, श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की वाराणसी कैण्ट स्थित थाना लंका के श्री अनुपम कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार सिंह का अपहरण एवं उसकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं-श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री भरत सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री श्याम सिंह अहेरिया, श्री किशन लाल बघेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री राजेश कुमार, श्री रामहेत भारती, भगेलू राम, श्री कालीचरण राजभर, श्री कपिल देव यादव, डा0 अरुण मेहरोत्रा व डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवस्तव-

मान्यवर, मेरी प्रथम सूचना है मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, लखनऊ में आज चारों ओर इसी विषय की चर्चा हो रही है। जिस ट्रामा सेन्टर की कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गयी थी और उसके लिये उस समय के सरकार के मुख्यमंत्री जी ने 16 करोड़ रुपया अवमुक्त करके बनाया था, किंग जार्ज मेडिकल कालेज राजनीति की शिकार हो गया और इसका नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी और किसी ने फिर उसका नाम बदलकर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। मान्यवर, ट्रामा सेन्टर के लिये जो पैसा रिलीज हुआ था वह पैसा ट्रामा सेण्टर द्वारा दवाइयां खरीदने में या चिकित्सीय उपकरण खरीदने में नहीं खर्च किया गया बल्कि उसे सफेदी रंगाने पुतवाने में खर्च किया गया, मान्यवर, अभी मंगलवार को लखनऊ कैण्ट क्षेत्र में एक ट्रक से तीन लोगों की दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोग तो वहीं मर गए और एक आठ साल की बच्ची दीक्षा को ट्रामा सेण्टर ले जाया गया तो उसको वहां चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाई, आरोप-प्रत्यारोप लोग एक दूसरी पर लगाते रहे वास्तव में वहां जूनियर डाक्टर्स ही थे सीनियर डाक्टर्स तो वहां पहुंचे ही नहीं और बाद में जूनियर डाक्टरों ने ही उस बच्ची का ट्रीटमेण्ट किया और समुचित चिकित्सीय सुविधा के अभाव में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, चूंकि तीन लोगों की मौत हो गई तो उनके परिवारजनों ने वहां पर जाम लगाया उसके बाद डाक्टरों से उनकी हाथा-पाई भी हुई, उनके परिजन मांग कर रहे थे जिस डाक्टर के हाथों बच्ची की मौत हुई उसे बाहर निकाला जाए फिर ट्रामा सेण्टर के सामने लाठी चार्ज हुआ उसमें अनेक लोग आहत हुए।

श्री उपाध्यक्ष-

जरा संक्षेप में कहें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित ट्रामा सेण्टर में यह घटनाएं लगातार हो रही हैं, पता नहीं यहां के जूनियर डाक्टर मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मान्यवर, ट्रामा सेण्टर में जो लोग जाते हैं वह अंतिम सांसे लेते हुए जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां समुचित चिकित्सीय सुविधा मिल जाएगी और उनका जीवन बच जाएगा किन्तु उन्हें समुचित चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है ओर वह दम तोड़ देते हैं। आज यह चिकित्सा विश्व विद्यालय गुटबाजी का शिकार हो गया है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इसलिये मेरा वहां पर आना जाना रहता है, उनकी गुटबाजी का शिकार मरीजों को होना पड़ता है, मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि जो लड़की दीक्षा जिसकी

मृत्यु हुई है उसके मृत्यु के कारणों की जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई और उसके परिजनों के बीच डाक्टरों का जो संघर्ष हुआ और लाठी चार्ज हुआ उन सारे मामलों की जांच करायें और उसकी रिपोर्ट दें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनायें ट्रामा सेण्टर में न होने पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)-

मान्यवर, आदरणीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने अभी यहां पर कहा है कि ट्रामा सेण्टर की पुताई करा दी गई है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है मैं अपने वरिष्ठ साथी श्रीवास्तव जी से कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज उन्हीं के क्षेत्र में है और पूर्व की सरकार में यह थे भी, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में वहां ऐसी व्यवस्था थी कि कोई मरीज वहां जाता नहीं था। जब से माननीय नेता मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, एक रुपये का पर्चा हुआ, भीड़ लगी है, जहां पहले अस्पताल में दो सौ मरीज जाते थे, अब हजार-हजार, ढाई-ढाई हजार की संख्या हुई है। मान्यवर, वह ट्रामा सेण्टर इतना बढ़िया चल रहा है, अभी आपने कहा कि कोई चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई डाक्टर नहीं है, न दवा है न उपकरण हैं तो आप स्वयं चल करके देख लें कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था है। मेरे साथ आप चलकर स्थिति को देख लें। आपने अभी जो कहा है कि तीन लोगों की मृत्यु हुई है तो इसको हम संज्ञान में ले करके, इसका परीक्षण कराया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, अगर वह ट्रामा सेण्टर अच्छा चल रहा है तो फिर डाक्टरों और जनता के बीच संघर्ष क्यों चल रहा है। मुख्य मंत्री जी ने वहां जाने की कभी आवश्यकता ही नहीं समझी है। मुझे तो वहां बराबर जाने का मौका मिलता है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस पर उत्तर आ गया है और संतोषजनक उत्तर आ गया है। इस तरह का विरोध आये दिन होता रहता है इसमें जो भी जरूरी कार्यवाही होगी, करायी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, गोकुल बैराज परियोजना, जिसकी शिलान्यास 25 दिसम्बर, 1988 को किया गया था, यह मथुरा, वृन्दावन और आगरा शहर की पेयजल व्यवस्था के लिये शिलान्यास किया गया था। मान्यवर, यह लगभग 180 करोड़ रुपये की परियोजना है।

मान्यवर, इस बैराज में यमुना एक्शन प्लान्ट पर काम चल रहा है उसमें 70-80 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह वहां पर करपशन का मुद्दा बन चुका है और आज की तारीख में 19 नाले यमुना नदी में सीधे गिर रहे हैं जिससे यह गोकुल बैराज परियोजना गन्दगी का शिकार बन चुकी है। मान्यवर, वहां जो भी तीर्थ यात्री आते हैं वहां यमुना जल का आचमन करते हैं जिससे उनकी भावनायें आहत होती हैं। पिछले विधान सभा सत्र में जब बजट पर चर्चा चल रही थी तो मुख्य मंत्री

जी ने आश्वस्त किया था कि यमुना एक्शन प्लान्ट में जो घपला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी लेकिन पता नहीं क्यों वह जल निगम के दबाव में कहीं न कहीं वह जांच रुक सी गयी है और मान्यवर, इस प्रदूषण के कारण वहां जनाक्रोश व्याप्त है और रोज मथुरा वृन्दावन में लोगों के प्रदर्शन के कारण आवागमन बाधित होता है हमारा चतुर्वेदी समाज जो यमुना पुत्र कहलाता है उसकी भावनाएं इससे आहत होती हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि गोकुल बैराज के संचित जल को शुद्ध करने हेतु एक्सपेन्डीचर फाइनेन्स कन्ट्रोल कमेटी जो योजना मंत्रालय की है, द्वारा 80 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी परन्तु आज की तारीख में उसके लिये केवल 48 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि गोकुल बैराज परियोजना को पूरा करने के लिये 32 करोड़ रुपये और चाहियें। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मिशन मैनेजमेंन्ट बोर्ड जो है, टी0 टी0 जेड के अन्तर्गत क्या गोकुल बैराज परियोजना से हटा दी गयी है, तो यह बहुत खेद का विषय है। मान्यवर, टी0 टी0 जेड के अन्तर्गत इस मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड की इस पुरानी योजना को लिया जाय और लगभग 32 करोड़ रुपया शीघ्र निर्गत कराया जाय। मान्यवर, वहां लगभग 350 कि0 मी0 पाइप लाइन बिछानी है और बाकी बचे ओवर हेड टैंक, रिर्जवायर, पम्पिंग स्टेशन बनने हैं ताकि वह पूरी कैपेसिटी पर चल सके। मान्यवर, वाटर सप्लाई को सुचारु रूप से चलाने हेतु बिजली ओर स्टाफ खर्च हेतु प्रतिमाह लगभग 25 लाख रुपये की आवश्यकता है अभी मथुरा नगर पालिका परिषद् सबसे नयी है जो इस धन को उपलब्ध नहीं करा पा रही है क्योंकि रुपये 10 लाख प्रति माह केमिकल हेतु भी चाहिये। मान्यवर, इस कारण से वहां रोज मथुरा वृन्दावन की पेयजल आपूर्ति छिन्न-भिन्न रहती है और पानी के लिये दोनों धार्मिक शहर त्राहि-त्राहि करते हैं। बाहर के आने वाले जितने तीर्थयात्री हैं वह भी त्रस्त रहते हैं इसलिये एक जल संस्थान अलग से बनाये जाने की आवश्यकता है और उसके लिये सरकार को रिसोर्सेस सृजित करना होगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार गोकुल बैराज पर पुल बनाकर टोल-टैक्स लगाये जाने का विचार कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है। अब आप बैठें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, 170-180 करोड़ का यह बैराज सफेद हाथी बन गया है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, जो यह बैराज हमारी सरकार ने शुरु कराया था, यह पूरा हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माथुर साहब ने जो प्रश्न उठाया है इस पर मेरी उनसे कई बार वार्ता हुई। पिछले दिनों में मैं मथुरा गया था तब भी इन्होंने काफी इसमें जिज्ञासा दिखाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि पानी का संकट है। आपको मेरे काम करने और सरकार के काम करने का अंदाज है, वहां जाकर भी कुछ पैसे की घोषणा की थी और सदन उठने के बाद बनारस और मथुरा दोनों जगह जाकर वहां का कार्य सिर्फ पानी ही नहीं सड़क और गलियां और वह सारे रास्ते जहां से श्रद्धालु गुजरते हैं, एक अलग से घोषणा का इरादा है। जहां तक यमुना एक्शन प्लान की बात है इसमें आपको अंदेशा है कि जांच में कमी रह जायेगी और जिम्मेदार लोगों को छोड़ दिया जायेगा। जांच उच्चस्तरीय होगी और आपको

आश्वस्त किया जाता है कि जांच में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी और कोई भी जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी ईमानदारी और सख्ती से कोई दवाब नहीं कबूल किया जायेगा, कोई दबाब नहीं माना जायगा।

इसके साथ ही एक सूचना सदन को देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय की तरफ से इस वक्त का भोजन है।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं पहले इसको अग्राह्य कर लूं।

एक सदस्य-

आप अग्राह्य कर रहे हैं।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने पहले में यह कहा है, पहले श्री प्रदीप जी की बात की है। मैं आपकी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

भोजनावकाश हेतु सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्री का श्री उपाध्यक्ष से अनुरोध

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरा प्रस्ताव है भोजन के लिये, चूंकि मुख्यमंत्री जी सभी सदस्यों के साथ रहेंगे। इस आशा के साथ नेता जी के कपड़े सलामत रहें, आधे घंटे तक सदन भोजन के लिये स्थगित रहे।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उपाध्यक्ष महोदय, जगह कम है, कार्यकर्ताओं को हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि अपमानित हों, जगह कम है। सभी विधायकों से अनुरोध है कि कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, केवल विधायकगण ही जांय। जो भी मर्यादित होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष-

सभी माननीय विधायक और पत्रकार बन्धु।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पत्रकार और विधायक दोनों हैं, हम आज उनको निमन्त्रण दे रहे हैं।

(तदुपरान्त 1 बजकर 35 मिनट पर भोजनावकाश हेतु श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तन तथा चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री मुंशी लाल गौतम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया आप बैंठे।

नियम-56 की सूचना जो थी, उस पर चर्चा चल रही थी। अगली सूचना श्री अनीस अहमद खां, श्री सुखदेव राजभर और डा0 विनोद तिवारी की है।

श्री अनीस अहमद खां-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। मेरे वीसलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकबरगंज में पुलिस की बर्बरतापूर्वक पिटाई से एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे 3 माह के बच्चे की हत्या हुई है। भानुमति नाम की महिला ग्राम-खंडारा के रहने वाले एक लड़के के साथ में एक माह पहले गयी और उसने कोर्ट मैरिज किया। उसकी रिपोर्ट थाना नवाबगंज में उस लड़की के पिता छोटेलाल ने लिखाई। छोटेलाल ने वीसलपुर पुलिस को सूचना दी कि मेरे भाई को मारा पीटा।

(सत्ता पक्ष की ओर संसदीय कार्य मंत्री के न होने पर)

मान्यवर, कोई है नहीं, किसको सुनायें।

श्री उपाध्यक्ष-

आ रहे हैं, आप बोलते रहें।

श्री अनीस अहमद खां-

ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां पर कोई है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपनी बात कहते रहें।

श्री अनीस अहमद खां-

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक दरोगा, 2 सिपाही और मुद्दई उस गांव में जाते हैं। रात के आठ बजे 3 तारीख की यह घटना है। वहां जाने के बाद जब उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है और उन दोनों प्रेम युगल के बारे में पुलिस जानकारी करती है और उसके कहने पर कि इस तरह के दोनों लोग यहां पर नहीं आये हैं, उसी के तुरन्त बाद दरोगा और सिपाही उसको मारने लगते हैं। यहां तक उस महिला को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा कि उसके गर्भ में 3 माह का बच्चा था, वह औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी। घटना घटित होने के 24 घण्टे के बाद भी न तो जिले के वरिष्ठ अधिकारी उस गांव में पहुंचे और न ही अभी तक घटना का मुकदमा दर्ज किया गया है और न ही उस दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाही की गई है। मै पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कानून में जब कोई अपराधी अपराध करता है तो सजा अपराधी को मिलनी चाहिये लेकिन उस औरत का क्या कसूर था और उस तीन माह के बच्चे का जिसने अभी तक पूरी दुनिया को ही नहीं देखा, उसका क्या कसूर था ? दोनों की हत्या हुई

और जहां तक कार्यवाही का सवाल है, अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। पूरे क्षेत्र की जनता आन्दोलित है, अभी दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। पुलिस लीपापोती करके घटना को खत्म करना चाहती है। ज्यादा प्रेशर होने पर पुलिस अधीक्षक ने उस दरोगा को लाइन-हाजिर कर दिया है। लाइन-हाजिर कोई सजा नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस घटना को इन्सानियत की दृष्टि से देखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। पूरी तरह से क्षेत्र परेशान है, लोग आन्दोलित हैं, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराई जाय और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो तथा उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपये सहायता के रूप में देने की कृपा करें।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दिनों सोमारू कोतवाली बीसलपुर में दोहरी हत्याएं हुई हैं उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री अनीस अहमद खां ने पूरी चर्चा का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस औरत की हत्या हुई उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। पुलिस ने मौके पर उसकी इतनी पिटाई की कि घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई केवल इतना ही नहीं एक 11 वर्षीय बच्चा जब उसने देखा कि उसकी मां की पिटाई हो रही है तो वह अपनी मां से लिपट जाता है तो पुलिस वालों के द्वारा उस बच्चे को भी निर्ममता के साथ पीटा जाता है। सबसे खास बात यह कि एक महिला की पिटाई महिला पुलिसकर्मी के द्वारा नहीं बल्कि पुरुषकर्मी के द्वारा की गई। यही नहीं उस थाने की एक अन्य घटना की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के बच्चे विगत दिनों लखनऊ प्रदर्शन के लिये आ रहे थे तो इन दरिन्दों, श्री तेजवीर सिंह, जितेन्द्र सिंह और सत्यवीर सिंह ने विद्यार्थी परिषद् के बच्चों को पकड़कर इसलिये पिटायी की क्योंकि वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिये आ रहे थे। इससे घृणित बात कोई नहीं हो सकती। मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है। विद्यार्थी परिषद् तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, कल पीलीभीत में विद्यार्थी परिषद् और एन0 एस0 यू0 वाई0 के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और घण्टों जाम लगाया है, इससे यातायात में कठिनाई आयी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तेजवीर सिंह, जितेन्द्र सिंह और सत्यवीर सिंह इन तीन दरोगाओं ने निर्दोष महिला की पिटाई की है, इन तीनों को तत्काल निलम्बित करके उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और ऐसा दण्ड दिया जाये जिससे कोई भी पुलिसकर्मी किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार से मारपीट न कर सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय और तात्कालिक प्रश्न पर सदन की सारी कार्रवाई स्थगित करके चर्चा कराने की मांग करता हूं। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है जो इस दुनिया को देख भी नहीं पाया क्योंकि उस महिला के पेट में जो 3 माह का गर्भ पल रहा था उसकी भी हत्या हो गयी। इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना का पूरा विवरण डा0 विनोद तिवारी और माननीय सदस्य श्री अनीस अहमद खां ने दे दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां इस देश में नारी की

पूजा होती है, सम्मान की जाती है वहां इतनी बर्बरता से उसकी पिटायी की जाये कि उसकी मृत्यु हो जाये। प्रेमी युगल के बारे में पुलिस वालों ने उस महिला से पूछा कि दोनों कहां गये हैं ? महिला ने कहा कि मैं नहीं जानती। महिला के इतना कहते ही उसकी पिटायी शुरू हो जाती है जिससे उस महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आज तक उसकी लाश दफन नहीं हुई है, वहां की जनता में गुस्सा और नाराजगी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे, जिस देश में नारी का सम्मान हुआ, सत्य बोलने पर उसको सम्मानित किया गया आज सत्य बोलने पर कि मैं नहीं जानती वे दोनों कहां गये हैं, पुलिस वालों ने पिटायी की। मान्यवर, इससे लॉ-एण्ड-आर्डर तो बिगड़ा ही है, पब्लिक-आर्डर भी बिगड़ गया है। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण व संवेदनशील घटना दूसरी नहीं हो सकती। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गयी हो सकता था कि वह धरती पर आकर भारत मां की सपूत होता लेकिन पुलिस कर्मियों की पिटायी से महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गयी । मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिये और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। इसके साथ ही जो दुःखी परिवार है उसके कुछ आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिये।

मान्यवर, मैं उन पुलिस वालों को राक्षस की उपाधि देता हूं जिन्होंने महिला के साथ यह अत्याचार किया और गर्भ के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, ऐसे राक्षस पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय। मान्यवर, आज आप ऐसा निर्देश दे जिससे यह लगे कि यह सदन नारी सम्मान के प्रति सजग है। पुलिस वालों पर 302 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो ताकि नारियों पर कोई उंगली उठाने का साहस न कर सके। अगर आपकी पीठ से ऐसे निर्देश जायेंगे तो जो हमारी मां बहनें हैं उनके बीच में यह संदेश जायेगा कि उपाध्यक्ष जी ने नारियों का सम्मान किया है और आपका हृदय बहुत बड़ा है। आज आप तत्काल ऐसा कोई निर्णय दें।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, जो चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से पीलीभीत में महिला के भ्रूण की हत्या हो गयी है यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसका कारण यह है कि बहुत से थानों में महिला पुलिस है ही नहीं और महिलाओं से पूछताछ का काम पुरुष पुलिस वाले करते हैं। यह महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस मामलें में जितने भी लोग दोषी पाये जायं उन्हें भारी से भारी सजा दी जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार का महिला उत्पीड़न न हो सके। यदि महिला से कोई पूछताछ करनी हो तो थाने और चौकी पर महिला पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए, और महिला पुलिस को ही पूछताछ करनी चाहिए। मान्यवर, आज भी लाश दफन नहीं हुई है। इसका संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही करके जिन लोगों ने यह काण्ड किया है उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाय, और महिला के परिवार को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाय तथा उसके परिवार की सुरक्षा की जाय।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो पीलीभीत की घटना हुई है उसमें एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है यह अपराध पूरे नारी समाज के साथ हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जिन थानों में महिला पुलिस कर्मी नहीं हैं वहां पर महिला पुलिस की तैनाती की जाय। यदि कोई घटना होती

है और महिला से पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो जेन्टस पुलिस द्वारा महिलाओं से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करती हूं कि पुलिस वालों ने जो ऐसा काम किया है उनके साथ भी ऐसा कर्म होना चाहिए और 302 का मुल्जिम बनाना चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती राजरानी रावत-

मान्यवर, आपने जो पीलीभीत के प्रकरण पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज इस तरह से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं चाहे हम इस सदन में पक्ष की महिलाएं हों या विपक्ष की महिलाएं हों। इस तरह से महिलाओं का अपमान होगा, हम नारियों का अपमान होगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपकी पीठ से यह निर्देश चाहते हैं कि सरकार को कड़े से कड़ा निर्देश दें जिससे आगे से इस तरह की घटनाएं न हों। इसी के साथ दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इस पर कार्यवाही होगी।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

(वेल से महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारी अत्याचारी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जायं। संसदीय कार्य-मंत्री जी को तो सुन लें।

(वेल में उपस्थित सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गए)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

उपाध्यक्ष जी, इसमें शक नहीं कि यह मामला गम्भीर है। गम्भीर इसलिए क्योंकि नारियां वेल में आ गईं।

हमारी बहिनें हैं...हमारी सगी बहिनें सदन में आ गई थीं, सदन के वेल में । सभी बहिनें आ गई थीं।

(भाजपा के कई सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

अगर विषय गम्भीर है तो संसदीय कार्य-मंत्री को गम्भीरता से सुनिये। गम्भीर बनिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

यही गम्भीरता है इनकी। यह देखिये मान्यवर...। मैंने केवल यही तो कहा कि वैल आफ द हाउस में हमारी महिलाएं और बहिनें आ गई थीं तो क्या मैंने इसमें गलत कहा ? चूंकि बहिनें वैल में आ गई थीं इसलिये इसकी गम्भीरता और बढ़ गई। हमारी बहिनें जब वैल में आ जायं तो मामला गम्भीर होगा कि नहीं ? (व्यवधान) थीं ना बहिनें...। मान्यवर, मैं इसमें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह की गम्भीरता बताई गई है, उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, निश्चित सूचना दी गई है। सरकार को यह कहने में क्या कष्ट है ? महिला की पिटाई हुई और वह पुलिस के द्वारा की गई, यह तो और भी निन्दनीय है। सरकार को कहना चाहिए कि इसमें जांच करके दोषियों को निलम्बित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, वह महिला मर गई और उसके पेट में बच्चा था वह भी मर गया।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे थे लेकिन इन्होंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि जांच में यदि महिला का प्रकरण सत्य पाया जायेगा तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

सारी बात आ गई है। मेरी बात सुन लें.....।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा कि सभी बहिनें वेल में आ गई थीं। मान्यवर, रक्षा बंधन का त्यौहार निकट है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहिनों की रक्षा के लिये वे कितनी कठोर कार्यवाही करेंगे, इसकी सदन में घोषणा करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि बहिनें ने अपना आना स्वीकार कर लिया और मान्यवर, अभी हमारी बहिन ने कहा कि अगर दोष सिद्ध हो जाय तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाय तो मान्यवर, वह लिखा जायेगा।

(बी0जे0पी0 के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर जोर-जोर से बोलने लगे कि इससे बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना और नहीं हो सकती। सरकार से स्पष्ट निर्देश चाहिए कि इसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हो)

श्री उपाध्यक्ष-

सारे तथ्य आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं समझता हूं संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपनी बात कही है।

डा0 विनोद तिवारी-

महिला की लाश पड़ी है और यह हत्या को मज़ाक से ले रहे हैं.....

(कई सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे, महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

एक मा0 सदस्य (सदन के फ्लोर से)-

जितनी गम्भीरता होनी चाहिए वह नहीं है 24 घंटे होने के बाद घटना स्थल पर बड़े अधिकारी नहीं गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं।

डा0 विनोद तिवारी (सदन के फ्लोर से)-

इस सदन की कार्यवाही ढंग से चले यह घोषणा होनी चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो दोषी होंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष-

निश्चित रूप से यह प्रकरण गम्भीर है।

(व्यवधान)

माननीय राजभर जी अपने सदस्यों से कहें कि वह अपना आसन ग्रहण करें, संसदीय कार्य-मंत्री फिर कह देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

हल्के तौर पर बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा महिला मर गई है नेता प्रतिपक्ष का सम्मान कर रहे हैं लेकिन यह टाल-मटोल करके उत्तर दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

(मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, अभी तक सदन की परम्परा रही है कि जब सदन के सामने कोई ऐसे अत्याचार की घटना जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हो तो सदन की पीठ से निर्देश दिए जाते हैं कि तत्काल कार्यवाही करें इतना गम्भीर आरोप है दो-दो हत्यायें हो गई हैं...और तीसरा जो गर्भ में था, वह भी गया और उसके बाद भी वह थानेदार वहाँ पर बैठा रहेगा, वे लोग वहां पर बैठे रहेंगे, जिन्होंने यह कुकृत्य किया है, उसके बाद जाँच का कोई अर्थ नहीं होता, तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। अभी शव रखा हुआ है, प्रदेश भर में यह आन्दोलन के रूप में उठ सकता है क्योंकि कई घटनाएँ हो चुकी है। ऐसे मामलों में भी पुलिस पर कार्यवाही नहीं होती तो हम लोगों को सदन में आने का क्या अर्थ है ? इतना दर्दनाक विषय है, उसके ऊपर भी यदि शासन से आश्वासन नहीं आता कि उन्हें निलम्बित किया जाएगा और उसके बाद मुकदमा कायम किया जाएगा। यदि निर्दोष होंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा लेकिन यह भी नहीं होगा। आज दलित हो या गरीब हो, यह घटनाएँ बराबर होती चली जा रही है। सीतापुर में एक प्रधान गायब हो गया, उसकी पत्नी चारों तरफ रोते हुए घूम रही है। इल्जाम लग रहा

है कि पुलिस ले गयी है। पुलिस ने उस पर बलात्कार का मुकदमा कायम कर दिया, पता नहीं, वह बलात्कार करके कहाँ चला गया है। तीन और लोगों को मार दिया, घर में घुसकर, जंगलराज हो गया है। इस सदन का महत्व तो कम होता ही चला जा रहा है, तत्काल हमारे संसदीय कार्य मंत्री स्वीकार नहीं करते हैं। आप सत्ता हैं, सरकार हैं, कभी तो सरकार का शब्द दिखाया करिए।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, आप इसका संज्ञान लेते हुए कृपया कुछ कहना चाहें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझे इस बात के लिए काफी दुख है। मेरा अपने बारे में ख्याल है और माननीय सदस्यों को भी एहसास होगा कि इस जगह पर और भी लोग बैठे हैं लेकिन जिस तरह के आश्वासन और कार्यवाही की बात मैं कर लेता हूं, शायद ही दूसरे संसदीय कार्य मंत्री ने किया हो। यह अलग बात है, अगर मैं गलत रहा हूं तो मैं आज से सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे शहर में एस0 पी0 ने तीन नौजवान लड़कों को कोतवाली से निकाल कर दिन दहाड़े गोली मार दी भी और प्रेस कान्फ्रेन्स करके यह कहा कि मैं इनकाउन्टर रात में नहीं दिन में करता हूं। चार महीने तक हमने उसको लेकर भूख हड़ताल चलाई थी। टण्डन जी की सरकार थी, उन वर्षों में जब आप सत्ता में रहे, क्या किसी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा सदन में किया है, एक भी आप बता दें ? जब तक प्राइमाफेसी न हो जाए, केस न बन जाए, पहले जांच तो हो। कौन सा कानून है, बगैर किसी रिपोर्ट के, बगैर किसी इन्वेस्टीगेशन के क्या किसी को सजा हो सकती है ? आप तो कानून में रहने वाले लोग हैं, अगर आप ही यह बात कहेंगे तो बाहर क्या राय बनेगी ? मैंने आपको आश्वासन दिया था। मैं अपने आश्वासन को फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें बहुत ही कड़ाई से और बहुत ही ईमानदारी से इस प्रकरण की जांच होगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, मुकदमा कायम करने लायक जुर्म होगा तो वह कायम होगा, जेल भेजने लायक मामला होगा तो जेल भेजा जाएगा।

श्री लालजी टण्डन-

प्रश्न यह है कि अगर वहाँ शहादत चाहते हैं तो वहाँ शहादत के लिए हजारों लोग वहाँ लाश रखकर बैठे हैं। कौन कह रहा है कि आप दफा 302 में फांसी दे दीजिए लेकिन यह तो हो सकता है कि आप उसको पुलिस लाइन भेज दें, उसके रहते जांच कैसे होगी ? जिसने कृत्य किया है उसके रहते जांच कैसे सम्भव है और दूसरी बात कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में क्या परेशानी है ? यह कहने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी कमजोर हैं। मैं जब कांउसिल में सदन का नेता था तो आपके ही दल ने विषय उठाया था तो उसमें मैंने आश्वासन दिया था।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

आपने कोई आश्वासन कभी नहीं दिया।

श्री लालजी टण्डन-

आपकी कब उम्र हुयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप फिलहाल कह दें कि एफ0आई0आर0 हो जाएगी, रिपोर्ट तो दर्ज कर लें। एफ0 आई0आर0 में क्या परेशानी है ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 तो दफा 154 सीआरपीसी में लिखनी ही पड़ेगी जब यह सूचना दी जा रही है कि दस्तकबाजी में यह जरूरी भी है। यह सूचना दी जा रही है कि पुलिस ने एक महिला को जान से मार दिया है। महिला हो या पुरूष हो। जब सूचना दी जा रही है तो आपको एफ0आई0आर0 लिखनी पड़ेगी।

श्री सुखदेव राजभर-

पुलिस से जांच हो रही है। पुलिस ही पुलिस के खिलाफ जांच करेगी ? पुलिस तो लीपा-पोती कर रही है। निर्देश दें कि एफ0आई0आर0 कर लेंगे। सीधे पुलिस के खिलाफ वर्जन है। पुलिस ने मारा है, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए समझौता नहीं करा पायी है। लाश पड़ी हुयी है इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज कर लें। पुलिस के खिलाफ कौन जांच करेगा ?

अब तक कोई जांच का स्वरूप नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सूचना लेनी चाहिए, सरकार को निर्देश गया है। आप प्राइमरी स्टेज पर एफ0आई0आर0 ले लें। दरोगा ने मारा है और सी0ओ0 जांच करे तो यह दोनों भाई-भाई मिल लेंगे। मान्यवर, आपका बहुत बड़ा अधिकार है आप निर्देश दें कि मैं दुखी हूँ और निर्देश दे रहा हूँ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, नियम-56 में नोटिस पहले से दे दी जाती है। उसके बाद प्रशासन से सरकार के पास सूचना आ जाती है। मैं चाहता हूं कि जो भी सूचना आयी है वह संसदीय कार्य-मंत्री जी बतायें कि क्या वहां से रिपोर्ट आयी है ? उसे वे यहां सदन के पटल पर रखें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अगर इसमें हम सबकी मंशा सही बात को समझने और सजा दिलाने की है तब मैंने जो बात कहीं है वह सही है। नेता प्रतिपक्ष ने खुद ही कहा है कि एक गवाह हो तो जज फांसी की सजा दे देते हैं। मान्यवर, कम से कम दो गवाह होते हैं, दो से कम नहीं होते फांसी देने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं शायद आप समझ नहीं सके जज चाहे एक गवाह हो या दो गवाह, पर एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को एडाप्ट करना होगा। इसलिए मैंने कहा था कि पहले इसको देख लें जांच करा लें।

श्री लालजी टण्डन-

जो डी0एम0 की रिपोर्ट आयी है वह कहां हैं ? उसको यहां पर पढ़कर बता दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इतने गम्भीर मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही है। इस सदन की परम्परा रहीं है, जब नियम-56 के सूचना माननीय सदस्य द्वारा दी जाती है तो पहले वह स्वीकार की जाती है। उसके बाद सरकार द्वारा सम्बन्धित जनपद को भेजी जाती है और वहां से जिलाधिकारी उसकी रिपोर्ट भेजता है, जो रिपोर्ट जनपद से आती है उस रिपोर्ट को पढ़ा गया है इस सदन के समक्ष। यह सदन

इस बात का गवाह है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस रिपोर्ट को कहा है उसे कृपया सदन के पटल पर रखवा दें, इस सदन को अवगत करा दें कि क्या रिपोर्ट आयी है। वह मान्य परम्पराओं के अनुसार ही मांग रहे हैं आप उनके ऊपर कृपा कर दें। एक ऐसे गम्भीर प्रश्न पर जिसमें पुरुष पुलिस के द्वारा महिला की मृत्यु हुई और उसका गर्भ भी गिर गया, के संबंध में सदन जानकारी चाहता है तो सदन का यह अधिकार है और इस अधिकार की रक्षा करें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि वहां से जिले से क्या रिपोर्ट आयी है। जिला अधिकारी ने जो रिपोर्ट नियम-56 की सूचना में दी जानी है वह गृह विभाग को भेजी होगी, वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास आयी होगी तो वह रिपोर्ट कहां है। अगर वह रिपोर्ट नहीं पेश की जा सकती है तो हम लोगों का क्या अधिकार रह गया ? मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट में, जिस दिन आखिरी दिन होता है उस दिन खुशी-खुशी जब लोग जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध आज अंतिम दिन दुःखी होना पड़ेगा इतने आश्वासन पर यह सदन नहीं चलेगा, या तो यह उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुना दें।

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

मान्यवर, दफा-154 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अगर कोई भी सूचना थाने पर किसी पुलिस अधिकारी को दी जाएगी जिससे किसी जुर्म का होना दिखाई देता है तो इस दफा-154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखी जाएगी। मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि पूरा सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, सरकार से यह कह रहा है कि एक जुर्म हुआ है उस जुर्म की एक रिपोर्ट देने के लिये वहां थाने पर एक लाश को लेकर के लोग बैठे हुए हैं, और उनकी एफ0 आई0 आर0 तक नहीं लिखी जाती है। मान्यवर, यह तो यह भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि एफ0 आई0 आर0 लिखी जाएगी। मान्यवर, इनको तो चाहिये था कि यह आश्वासन देते कि इसमें एफ0 आई0 आर0 लिखकर जो भी कानूनी कार्यवाही उचित होगी की जाएगी। मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यहां कानून का राज है या ये लोग कानून पर राज करना चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कब से रिपोर्ट को सदन में अवगत कराने की मांग की जा रही है, लेकिन वह रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं आयी है, इसका मतलब सरकार ने जनपद में सूचना को भेजा ही नहीं है। मान्यवर, जब तक सदन में रिपोर्ट नहीं आती है तब तक के लिये सदन को स्थगित कर दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर एक रिपोर्ट जानने के लिये खुद संसदीय कार्य मंत्री जी को दौड़ कर दफ्तर में जाना पड़े तो इस प्रदेश में क्या राज चल रहा होगा ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम-56 की परम्पराओं का पालन नहीं किया गया है, इतने महत्वपूर्ण मसले में गम्भीरता नहीं लिखी गयी है। सरकार के पास अगर रिपोर्ट होती और वह रिपोर्ट सदन के समक्ष पढ़

देते, अगर प्रतिपक्ष की बात झूठी है तो सही क्या है यह ये बता दें। मान्यवर, या तो सरकार ने रिपोर्ट भेजी नहीं है या तो पुलिस प्रशासन सरकार के अंकुश में नहीं है, इसलिये उसने रिपोर्ट नहीं भेजी है। जब तक सदन में रिपोर्ट न आ जाए और संसदीय कार्यमंत्री जी उस रिपोर्ट पर वक्तव्य न दें दें, तब तक सदन नहीं चलना चाहिये। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जनता में यह संदेश जाए कि इस पर सदन ने सम्वेदनाशीलता दिखाई है, सरकार असम्वेदनशील हो सकती है। लेकिन पीठ असम्वेदनशील नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जाएं, सारी बातें आ चुकी हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मुझे अपनी बात कह लेने दें। मैंने नियम-56 में आई हुई सूचना पर श्री अनीस अहमद खां, श्री सुखदेव राजभर और डा0 विनोद तिवारी जी को सुना हैं..

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग पीठ की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं यह ठीक नहीं है।

मुझे तो लगता है आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य सदन के फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाने लगे-"जंगल राज खत्म करो, खत्म करो।")

मा0 सदस्य अपनी बात कहने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग मेरी बात पहले सुन लीजिये। कृपया अपने स्थान पर चले जायें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे [x x x]

श्री उपाध्यक्ष-

यह बातें नहीं लिखी जा रही हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे [x x x])

(इस समय 3 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चलें तभी तो मैं कुछ कह पाऊँगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे [x x x])

नोटः- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष/श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यहां की बात अलग है जहां कोई सजा नहीं मिलती वहां कुदरत उसको सजा देती है। वह हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है हम उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मेरे यहां किसी के खिलाफ कोई अन्याय हो और इस बात को यहां उठाये और इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो उसके बाद भी कोई स्पष्ट निर्णय माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं। मान्यवर, हजारों मुकदमें प्रदेश में झूठे लिखे जाते हैं और खत्म होते हैं।

आज पूरा क्षेत्र, गांव आन्दोलित है पूरे जिले के पत्रकारों से लेकर सारे जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्पष्ट आदेश नहीं है। मुकदमा पंजीकृत किया जाय मैं चाहता हूं कि मुकदमा पंजीकृत हो और सस्पेन्ड हो, जांच के दौरान निर्दोष पाये जायं तो अलग बात है लेकिन कम से कम 1200 लोगों की आबादी है पूरे लोग डेड बाडी के साथ बैठे हुए हैं उनका फैसला है कि जब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम होगा दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यहां नेता सदन मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि नेता सदन बहुत गम्भीरता से इस मामले को लेकर अपना निर्णय देंगे। मान्यवर, आप निर्देश दें ताकि इसमें कार्यवाही हो सके।

मुख्यमंत्री (मुलायम सिंह यादव-)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दलित महिला के साथ हुये अत्याचार की बात कही। वैसे भी सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी वर्ग पर अत्याचार नहीं होगा। शपथ लेते ही मैंने इस बात को कहा था। दलित अत्याचार हुआ है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, हम इसकी जांच करायेंगे और बहुत ही जल्दी जांच कराकर, अगर जरा भी अत्याचार हुआ है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मै नेता सदन से अनुरोध करता हूं, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाय। रिपोर्ट दर्ज होना कोई पनिशमेंट नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या एतराज है, यदि वह बेदाग साबित हो तो उसे बहाल कर दें। किसी को जबरदस्ती फंसाने की बात नहीं है। लोग लाश रखकर बैठे हुये हैं, यह एक दर्दनाक मौत है। अगर इस तरह होगा तो फिर प्रदेश का क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल का सुझाव है, मैं आदर करता हूं लेकिन मौका तो दीजिये। किसी के खिलाफ मुकदमा लिखना है, थोड़ा सा मौका तो दीजिये, अरे कुछ समय तो दीजिये।

श्री अनीस अहमद खां-

48 घन्टे हो गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

48 घन्टे हो गये हैं। आप सभी सरकार में रह चुके हैं, कुछ बातों का पता रहता है, कुछ का नहीं, 48 घन्टे में केवल यही काम तो नहीं है।

(पुनः विपक्ष के माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इतना मौका तो दे दीजिये, वह कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपके यहां पर मौजूद रहने से कुछ नहीं हो पायेगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी सीटों पर चलें तभी कुछ फैसला हो पायेगा।

राज लक्ष्मी जी आप लोग क्यों धरने पर बैठी हैं आप लोग अपने स्थानों पर वापस जायं।

(श्री अध्यक्ष के आग्रह पर सदन के फ्लोर पर आये सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, हमारे साथी आई0 जी0 के रैंक से अवकाश लिये हैं उनकी राय भी यही है, मान्यवर, आप शासन की कार्य पद्धति देखिये, आधे घंटे से सदन इसलिये अव्यवस्थित है कि हम यह कह रहे हैं कि वहां जो रिपोर्ट आई है वह दे दीजिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को देखिये दौड़ कर जाना पड़ा, रिपोर्ट लाने के लिये। आप एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के निर्देश दें।

मान्यवर, आप तो लोहिया जी के शिष्य हैं उनकी कुछ तो आदर्शों की झलक दिखे, आप दृढता के साथ निर्देश दें सरकार को।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार उस दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री कह दिये कि कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बन रहा है अगर केस नहीं बन रहा है तो पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर क्यों किया है। मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि जब से सदन चल रहा है आज यह पहला मौका है जब पूरा विपक्ष किसी मुद्दे पर एकजुट है और सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उसका संज्ञान नहीं ले रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष कह चुके है, नेता बहुजन समाज पार्टी कह चुके हैं। मैं मांग करता हूं कि एक दलित महिला की हत्या हुई है और भ्रूण जो तीन माह का बच्चा उसके पेट में पल रहा था उसकी हत्या हुई है वह भी एक पुलिसकर्मी के द्वारा, खाकी वर्दी के कर्मी द्वारा, कोई महिलाकर्मी नहीं थी, तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी को तत्काल निलम्बित करके धारा 302 की एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिये। मुझे जानकारी है कि उसे सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है लेकिन संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अनीस अहमद खां-

मान्यवर, यह घटना मेरे क्षेत्र की है। तीन तारीख की रात को दरोगा और सिपाही उस महिला के घर जाते हैं उसके मना करने के बाद उस औरत को बुरी तरह से पीटा जाता है लात घूसों से मारा जाता है उस औरत के तीन माह का बच्चा था और दोनों लोग जब पिटने के बाद बेहोश हो गये तब बेहोश होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उस औरत ने दम तोड़ दिया और 24 घंटे बीत जाने के बाद वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा। मेरी पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका इन्टेंशन यह नहीं था। आज वह पूरा क्षेत्र, गांव आन्दोलित है और उसके बाद लाइन हाजिर करके इतनी महत्वपूर्ण घटना पर पर्दा डाला जा रहा है। मान्यवर, कत्ल करने वाले को सजा दी जाती है लेकिन कत्ल करने वाले को कोई संरक्षण देता है,

श्री सुखदेव राजभर-

मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है, अभी लाश पोस्टमार्टम तक नहीं गयी है। पुलिस के खिलाफ सभी का वर्जन है, जनता की भी और सदन का भी। एक दलित महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की हत्या हुयी है। अब इसकी जांच सी0 ओ0 करें,, एस0 पी0 करें, यह अलग बात है कि एक पुलिस के खिलाफ वह कितना न्याय देंगे। हम लोगों को जांच से कोई विरोध नहीं है। एक अनुरोध है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाय, उसके बाद तो अंतिम रिपोर्ट दो दिन में भी लग सकती है, इसलिये नेता प्रतिपक्ष भी जोर दे रहे थे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जैसा कि सभी विद्वान नेता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम कोई घोषणा सदन के अन्दर करेंगे तो यह कहा जायेगा कि राजनीतिक आधार पर किया। आप लोग सरकार में रह चुके हैं, हम लोग तो इनकी बात मानते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हुकुम सिंह जी संसदीय कार्य मंत्री थे तो कुछ सुनने को तैयार नहीं होते थे। हम लोग तो आपकी बात सुन रहे हैं, सुनने को तैयार हैं। हम तो विधिक बाधाओं को दूर करते हुये इन्साफ देने का आश्वासन देते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत हो जायेंगे। हमें आप थोड़ा मौका दीजिये। अभी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, एक दलित महिला की हत्या का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी बात कह दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

आप अभी ही रोक दिये, अभी एक वाक्य भी पूरा नहीं किया। मान्यवर, एक सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब कोई हत्या होती है तब पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है। 48 घण्टे हो गये हैं, शव रखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि हजारों आदमी वहां पर बैठे हुए हैं, अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं और यदि नहीं तो कितनी देर में और कब तक मुकदमा दर्ज हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस सदन में सरकारों के काम करने का तरीका आपके संज्ञान में है और आप स्वयं नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से पहले की सरकारों ने काम किया है और किस तरह के आश्वासन दिये हैं। यह भी आपके संज्ञान में है कि नेता सदन अगर कोई बात कह दें और नेता सदन की तरफ से इतना बड़ा आश्वासन हो जाए कि आप कुछ समय तो दे दीजिए, मैं कार्रवाही करूंगा। यह परम्परा भी रही है कि नेता सदन का इतना कह देना ही अपने आप में काफी है। नेता सदन ने दो बार ऐसा कहा कि आप कुछ समय तो दें, आखिर इतना समय तो मिल जाए कि वह कार्यालय में बैठें और पूरी जानकारी ले करके कार्यवाही करें। अगर आप यह सोंच रहे हैं कि सदन का यह आखिरी दिन है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब नेता सदन ने यह कह दिया कि थोड़ा सा समय दे दें तो इसमें अविश्वास की कहां गुंजाइश है। नेता सदन के आश्वासन पर जब इतना अविश्वास हो जायेगा तो फिर कैसे सदन चलेगा, आखिर फिर से सत्र चलना है और फिर एक दूसरे को बैठना है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, नेता सदन के प्रति अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है। 48 घण्टे पहले कोई घटना घटित हो गई तो उसकी जो रिपोर्ट हो उससे अवगत करा दें, सरकार के पास रिपोर्ट आ जाती है। वहां ऐसी स्थिति हो रही है कि जनता आन्दोलित हो रही है, मृत्यु का सवाल है, पुलिस के ऊपर सीधा-सीधा आरोप लग रहा है और उसकी रिपोर्ट आपके पास नहीं है। आप यही कह दें कि जो हमारी इन्फारमेशन है वह गलत है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इसी के लिए तो मौका मांगा था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इसे आप इस रूप में लें कि अगर यहां पर विषय उठ गया है तो आपके पास रिपोर्ट आनी चाहिए। हमेंशा ऐसा होता रहा है कि जो भी नोटिसेज आती हैं उनके सम्बन्ध में जिला प्रशासन की रिपोर्ट साथ में आती है और उसी के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री उठ करके गये भी लेकिन उनको तब भी पता नहीं लगा। इतनी सी बात महेन्द्र सिंह यादव ने बड़े विस्तार से बताई, वह तो डी0 जी0 स्तर के अधिकारी रहे हैं, उनकी राय है कि जब एक बार संज्ञान में आ जाए कि हत्या का मामला है तो एफ0आई0आर0 तो दर्ज होनी ही चाहिए और आप कह रहे हैं कि हमने निर्देश दिये हैं कि एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए। हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाये। हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाती अगर आप कहते कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, एफ0आई0आर0 दर्ज करायेंगे। केवल एफ0आई0आर0 की ही तो बात थी। एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने में क्या परेशानी है ? आप जांच किसी अधिकारी से करा लेंगे, अगर वह निर्दोष साबित होगा तो छूट जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आज सदन उठने से पहले जो भी स्थिति है उससे अवगत करा दिया जायेगा और एफ0 आई0 आर0 लॉज होने के सम्बन्ध में भी आपको सूचना दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो यह समाप्त हो गया। पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी सूचना अभी नहीं ली गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना ली जायेगी लेकिन दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिएगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जो विषय उठाने जा रहा हूं वह सारे विधायकों की समस्या है। आज होता क्या है कि जब अग्निकाण्ड हो जाता है या बरसात में कोई घर गिर जाता है तो सरकार की तरफ से जो क्षतिपूर्ति या राहत की राशि दी जाती है वह 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच होती है। मेरा आग्रह इस कार्य-स्थगन के माध्यम से इतना है कि

जब यह क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित हुई होगी तब से सीमेण्ट के दाम में 10 गुना और लोहे के दाम में 20 गुना वृद्धि हो गयी होगी, मजदूरी भी बढ़ गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह हर जनप्रतिनिधि की समस्या है। अब स्थिति यह है कि अगर अग्निकाण्ड हो जाय या बाढ़ में घर गिर जाये तो जो हम 1500-1600 या 1800 रुपये की सहायता राशि लेकर के जाते हैं तो वह जले पर नमक छिड़कने के हिसाब से होता है। मान्यवर, लागत के हिसाब से सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं, ईंट, सीमेण्ट, लोहा, लकड़ी और मजदूरी भी बढ़ी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से आग्रह है कि इस सहायता राशि पर पुनर्विचार कर लें और मानक के अनुरूप जिस तरह से लागत मकान बनाने की बढ़ी है उसी के अनुरूप राहत राशि की घोषणा करने की कृपा करें। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें। यह अच्छी बात है अतः टण्डन जी हमारा समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए नेता सदन से आग्रह करूंगा कि जो राहत राशि है 1500 रुपये में एक धरनी भी नहीं आती है, सीमेण्ट, ईंट भी नहीं आयेगी। मान्यवर, जो पात्र हों उन्हें इन्दिरा आवास प्राथमिकता पर मिल जाए और जो 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये की राहत राशि दी जाती है उसे मानक के अनुसार बढ़ाया जाये। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस की दुर्व्यवस्था की ओर और सुधार की जो आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1944 में गठित यह संस्था उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को आग की दुर्घटना की परिस्थितियों में जो संसाधनों और बल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और कहीं कोई दुर्घटना हो तो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। मान्यवर, न स्टाफ है और न संसाधन हैं। प्रदेश में केवल 11 मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं। और शेष जिलों में अधिकारी नहीं हैं। इस कैडर में तमाम पोस्टें खाली हैं। तकनीकी अधिकारी नहीं हैं जो आग बुझाने में सक्षम हो सके। जो आज टेकनिक होनी चाहिए वह आज इन अधिकारियों में नहीं है इसलिये उनको ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाना चाहिए। कई बड़े अग्निकाण्ड हुए हैं जैसे उपहार सिनेमा कांड, मथुरा डीजल आउटलेट कांड, आगरा काण्ड इन कांडों में अपार क्षति हुई है। मेरी मांग है कि पुलिस विभाग से पृथक करके इस विभाग की सेवा बनानी चाहिए। जिस तकनीक की अधिकारियों में कमी है उसका उनको रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहिए और प्रत्येक जिले में एक मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए तथा उसके नीचे के स्टाफ और अग्नि शमन के संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई स्थिति आने पर उचित व्यवस्था की जा सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, इस सम्बन्ध में आपको लिखकर भी दे दूंगा। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको हम दिखवायेंगे और जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेंगे। आप और लिखकर दे दें। प्रशिक्षण की जरूरत होगी तो वह भी करायेंगे, जो भी नियमानुसार होगा वह करायेंगे। यह समस्या ऐसी है जो किसी दल की नहीं है, यह तो सबके लिये है।

श्री प्रमोद कुमार-

आपकी नजर वहां मिल रही है। सवाल तो मेरा था। मेरा जो सवाल था मुआवजे का, उस पर विचार करें और आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपसे सहमत हूं असल में मेरी नजर भटकती कम है।

श्री प्रमोद कुमार-

अब इस उमर में भटकनी भी नहीं चाहिए। आप रामपुर के हैं। अगर कहीं नजर टकरा गई और उलझ गयी तो दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष-

इन दोनों सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-56 पर बोलने का मौका दिया। मेरे यहां विकास खण्ड बिझुआ, लखीमपुर आदि में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर वर्ष 2003-2004 की छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है। जुलाई में जो प्रथम सूची भेजी गयी है उन छात्रों को मिली है लेकिन दूसरी सूची जो भेजी गयी है उन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्राइमरी विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे यहां पिपरिया आदि गांवों में संक्रामक रोग फैला हुआ है। वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, दवायें नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने 7 रुपये की जगह पर एक रुपये का पर्चा कर दिया है लेकिन आज यह स्थिति है कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और दवाइयां व बैन्डेज नहीं हैं। फीस बढ़ा दी गई। दवा नहीं है। डाक्टर भी नहीं हैं। हमारे यहां आंवला अस्पताल में डाक्टर नहीं है। वहां शिविर लगाकर जांच कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की।

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नोयडा में जो एक गम्भीर घोटाला हुआ जो इस सरकार ने इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया था उसकी जांच शुरू कराई सबसे पहले टी0 जार्ज जोजेफ ने उसकी जांच शुरू की बाद में बृजेश कुमार जांच अधिकारी नियुक्त किये गये। उसके बाद विजय शंकर माथुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहां जिन मुद्दों पर जांच की जानी थी उनमें था कि करोड़ों रुपये के कार्य सरकारी एजेंसियों को मुहैया कराये गये अब वहां पुनः कार्य शुरू हो गया है।

वहां तमाम कार्य रुके हुए थे। गौतम बुद्ध विस्तार का निर्माण कार्य बन्द है। उनकी जांच हो रही है वहां पुल बन्द पड़े हैं। सरकार ने निर्णय लिया था कि भारतीय एजेंसियों को काम नहीं दिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि गौतम बुद्ध विस्तार का काम तुरन्त शुरू किया जाय यह जनहित का मामला है। पुलों का काम तुरन्त शुरू किया जाय। बाहरी एजेंसियों को काम देने की परम्परा पर रोक लगाई जाय। इसके अलावा जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द एवं वृद्धावस्था से ग्रस्त 70 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध दोष पुरुष बन्दियों तथा 60 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध दोष महिला बंदियों की अपंगता, असाध्य रोग एवं शारीरिक अशक्तता के कारण उनकी रिहाई के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी कुछ घोषणायें करना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करना चाहता हूं । हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द एवं वृद्धावस्था से ग्रस्त 70 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध-दोष पुरुष बंदियों तथा 60 वर्ष या अधिक आयु के सिद्ध दोष महिला बंदियों को, जो अपंगता, असाध्य रोग एवं शारीरिक अशक्तता के कारण मुक्त किये जाने योग्य हैं, की रिहाई पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। यह रिहाई जेल मैनुअल के प्राविधानों एवं संगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी ।

जेल मैनुअल के अन्तर्गत गम्भीर रोगों से ग्रस्त, स्थायी रूप से विकलांग, वृद्धावस्था के कारण अशक्त अथवा असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों की अपंगता (इनफर्मिटी रोल) के विवरण पर जेल अधीक्षक, मेडिकल बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट तथा महानिदेशक कारागार की संस्तुतियों को देखते हुए बन्दियों की समय पूर्व रिहाई की व्यवस्था है जिसमें सी0 आर0 पी0 सी0 के संगत प्राविधानों को ध्यान में रखा जाता है।

इसके बाद भी कुछ बन्दी ऐसे होंगे जो गुण दोष के आधार पर रिहाई योग्य होते हुए भी उपरोक्त व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। ऐसे बन्दियों की रिहाई उनकी दया याचिका पर विचार करते हुए नियमानुसार की जायेगी।

वर्तमान में प्रदेश की कारागारों में सिद्ध-दोष बन्दियों की संख्या लगभग 9884 है जिनमें से 9463 पुरुष, 188 महिला, 213 किशोर एवं 20 विदेशी बन्दी हैं।

वृद्धावस्था से ग्रस्त बन्दियों की संख्या 367 है जिनमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सिद्ध-दोष बन्दियों की संख्या 341 तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की सिद्ध-दोष महिला बन्दियों की संख्या 26 है। इस प्रकार लगभग 367 बन्दियों की रिहाई गुण-दोष के आधार पर की जायेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इससे सहमत होगा।

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण हेतु सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 6 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि आज दिनांक 6-8-2004 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण की मदें, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए, ले ली जायं :--

1-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्राप्त विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

कुछ और है विशेष उल्लेख के अन्तर्गत। मैं माननीय सदस्यों के नाम और विषय जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूं और सरकार से कह देता हूं.....

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। घटना बड़ी गम्भीर है। बनारस में टिकरी के श्री अनुपम कुमार उर्फ विवेक सिंह 19 वर्ष का छात्र 30 जुलाई को ट्यूशन पढ़ने के लिये जा रहा था परन्तु 30 जुलाई की रात तक वह घर नहीं पहुंचा तो 31 तारीख को सवेरे लंका थाने में अनिल कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश उर्फ फजीहत के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई। परन्तु लंका पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर प्रतीक्षा करती रही। 4 तारीख को अमर उजाला अखबार में फोटो सहित समाचार निकला कि गोपीगंज थाना क्षेत्र में एक लाश मिली है। गोपीगंज थाना, जिला संत कबीरनगर की पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि कर दी मान्यवर, बिना जांच पड़ताल किये शिनाख्त की कोशिश किये बिना उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। मान्यवर, दो बातें हैं लंका थाने में 31 तारीख को ही एफ0 आई0 आर0 दे दी गई थी लेकिन पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर घूमती रही। गोपीगंज थाने का दायित्व था कि जानकारी की जानी चाहिए थी कि जो लाश मिली है वह किसकी है। बिना जांच पड़ताल किये उसकी अंत्येष्टि कर दीं दोनों थानों के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जिसकी हत्या कर दी गयी है उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करते हुए मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में प्राप्त तथा विशेष उल्लेख के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :--

1-श्री छोटे लाल वर्मा	विश्व बैंक द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में।
2-श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।
3-श्री मुंशी लाल गौतम	जनपद बुलन्दशहर में खाद्य वस्तुओं तथा तरल पदार्थों में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	जनपद गाजियाबाद स्थित ब्रज घाट क्षेत्र को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं :--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री भरत सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री श्याम सिंह अहेरिया, श्री किशन लाल बघेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री राजेश कुमार, श्री रामहेत भारती, श्री भगेलू राम, श्री कालीचरण राजभर, श्री कपिल देव यादव, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 11 जून, 2004 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(8) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जायं, कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई के लिये समस्त क्रयों और उसके द्वारा किये गये समस्त विक्रयों पर कर की प्रभावी दरें ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कर एवं निबन्धन (व्यापार-कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

2-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4 में; उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 4 का संशोधन

"(2-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जाय, कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिये किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें, राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हो।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधार (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 6 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न" के स्थान पर शब्द "किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"(2-क) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भिन्न किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी लोकसेवा यान के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण और भुगतान, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (6) के अधीन सम्बन्धित राज्यों के मध्य हुए करार के अनुसार किया जायेगा और जहां ऐसा करार न हो वहां इसका उद्ग्रहण तथा भुगतान चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद-1 के खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त कर की दरों की सारणी के क्रम-संख्या-8 में दी गयी दर पर किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसके कुछ कारण है जिसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कुछ सुझाव हैं जो विधेयक लाया गया है इसमें नगर निगम स्वायत्तशासी इकाई है, स्थानीय निकाय है जो लोग नियमों के अन्तर्गत काम करते हैं सदन नियम अधिनियम बनाता है उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है ऐसे नियमों में जो नियमों का पालन नहीं हो रहा है अधिनियम में व्यवस्था जो है उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। आज स्वयं नगर विकास मंत्री जी ने सुबह ही स्वीकार किया था कि जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर की रिपोर्ट आती है और हम भ्रष्टाचार के लिये स्पष्टीकरण का नोटिस भी देना चाहते हैं तो वह नोटिस का जवाब देने के बजाय न्यायालय की शरण में जाकर कार्यवाही पर रोक लगवा देते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा 2 माह में एक बार बोर्ड की बैठक और प्रत्येक माह कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, मेरे पास प्रमाण हैं, कानपुर नगर निगम में साढ़े तीन साल तक बैठक नहीं हुई है। अधिनियम में व्यवस्था है कि जो विकास के कार्य होंगे वह कार्यकारिणी और बोर्ड द्वारा पास होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि या तो साढ़े तीन साल तक काम नहीं हुए होंगे या स्वीकृति की प्रत्याशा में काम होते रहे और उनकी साढ़े तीन साल बाद स्वीकृति ली जा रही है, क्योंकि अधिनियम में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है इसलिये मैंने इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है। बहुत से नगर निगम ऐसे हैं जहां 45 बैठकें होनी चाहिए थीं, 18 हुई हैं, 20 होनी चाहिए थी, 11 हुई हैं। ऐसी लापरवाही नगर निगमों के नगर आयुक्तों और नगर प्रमुखों द्वारा की जा रही हैं। वे अधिनियम के अन्तर्गत न बैठकें कर रहे हैं न अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधानों का पालन कर रहे हैं और न विकास के लिये किये जाने वाले कामों पर सदन की राय ले रहे हैं। ऐसे नगर प्रमुखों और नगर आयुक्त के विरुद्ध क्या प्रावधान होगा, इसकी इसमें चर्चा नहीं है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले नगर विकास मंत्री को सुझाव दिये थे और आशा कर रहा था कि इसमें वह लायेंगे। मध्य प्रदेश में नगर निगम में अध्यक्षीय प्रणाली का प्रावधान है और वैसी ही व्यवस्था के लिये मैंने सुझाव दिया था। अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि अधिनियम में लिखा है कि यह अधिनियम 21 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। इसमें एक व्यक्ति, एक पद पहले तो था, लाभ के पद की परिभाषा में, यदि कोई व्यक्ति पार्षद, उपमहापौर या महापौर है अगर वह किसी सदन के लिये निर्वाचित हो जाता है, विधान सभा या संसद के लिये तो उसको एक पद रखना होगा और जिस दिन से वह उच्च सदन और संसद के लिये निर्वाचित होगा, उसके बाद पद आकस्मिक रिक्त हो जाएगा। इसमें स्पष्ट नहीं है कि जो यह प्राविधान है उसको किस दिन से प्रवृत्त माना जायेगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो अपनी रिपोर्ट एक माह में देगी। ऐसी समिति को सौंप कर सुविचारित करके सरकार इसे लाये। इसलिये मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस विधेयक के जरिए बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है और उसके बारे में लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी भी वाकिफ हैं। जितनी मीटिंगे होनी चाहिए, उतनी मीटिंगें न होना, विकास के कामों में बाधा होना, यह समस्या कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आज इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने से इसका कोई समाधान नहीं हो जाएगा। इसका समाधान आपके स्तर पर, विभाग के स्तर पर कार्यवाही से होगा और इन चीजों को कभी अच्छा नहीं समझा गया कि मीटिंगें कम की जायें लेकिन यह कहना सौ फीसदी सही नही होगा, बहुत हद तक सही हो सकता है कि विकास के

कामों में कुछ लोग बाधा डालते हैं तो उसके लिये सरकार है, नियम और कानून हैं, बाधा डालने नहीं दी जायेगी, इसके लिये आश्वस्त किया जाता है और बाधा नहीं डालने दी गयी है, आगे भी बाधा कम होगी, इसके लिये उम्मीद की जा सकती है। अच्छी उम्मीद और नतीजे के लिए आप अपने संशोधन को वापस ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसको लागू कब से करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी से।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं इसे वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 में सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "मुख्य नगर अधिकारी", "अपर मुख्य नगर अधिकारी", "उप नगर अधिकारी", "सहायक नगर अधिकारी", "नगर प्रमुख", उप नगर प्रमुख", "सभासद" और सभासदों जहां कहीं भी आये हों, शीर्षक, उपशीर्षक और पार्श्वशीर्षक के स्थान पर क्रमशः शब्द "नगर आयुक्त", "अपर नगर आयुक्त", "उप नगर आयुक्त", "सहायक नगर आयुक्त", "महापौर", "उप महापौर", "पार्षद" और "पार्षदों" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड(घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिये नियुक्त एक नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त, नियुक्त करतें हैं"

धारा 16 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(क) उपधारा (14) में शब्द "अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस आख्या के सहित कि नगर प्रमुख ने धारा 19 के साथ

पठित उपधारा (17) के उपबन्धों के अधीन त्याग-पत्र अग्रसारित किया है या नहीं" के स्थान पर शब्द "अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"(14-क) राज्य सरकार उपधारा (14) में निर्दिष्ट आयुक्त की आख्या पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के पश्चात् एक माह के अन्दर निर्णय लेगी"।

(ख) राज्य सरकार द्वारा महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जाने की दशा में ऐसी अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी महापौर में अविश्वास के किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव की नोटिस स्वीकार नहीं की जायेगी।"

(ग) उपधारा (15) में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "तीन चौथाई" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (16) में शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "तीन चौथाई" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(क) उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हों अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अपर या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो,"

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(3) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम के लिये उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाय अथवा ऐसा करने के लिये किसी को उकसाया है ; या

(4) निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है ; या

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(6) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया जाय।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-6

धारा 25-क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी :--

एक साथ दो पदों को धारण करने पर रोक

"25-क कोई व्यक्ति नगर निगम का महापौर, उप महापौर, अथवा पार्षद निर्वाचित होने या ऐसे पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य अथवा महापौर, या उप महापौर अथवा पार्षद निर्वाचित हो जाने के उपरान्त संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी पद पर निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाय तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देश की घोषणा के भारत या राज्य के गजट में प्रथम प्रकाशन के दिनांक को महापौर, उप-महापौर अथवा पार्षद हेतु अनर्ह हो जायेगा और तदुपरान्त पद की आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।"

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार जी खण्ड-6 में संशोधन प्रस्तुत करें।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-6 इस विधेयक से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इस संशोधन से सहमत हैं ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड-6 को निकाल दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-7 से 18 तक के पुनः संख्याकित खण्ड-6 से 17 तक

7-मूल अधिनियम की धारा 132 में,- धारा 132 का संशोधन

(क) उप धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3-क) कोई ऐसी संविदा, जिसमें दो लाख रुपये से अधिक और चार लाख रुपये से अनधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, नगर आयुक्त द्वारा तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसे महापौर द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाय"।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" और शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

(घ) उप धारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(7) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगमों की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपान्तरित कर सकती है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 135 में,- धारा 135 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) महापौर किसी तखमीने की जो चार लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है;

9-मूल अधिनियम की धारा 136 में,- धारा 136 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ लाख रुपयें" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (1) में शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ लाख रुपये" रख दिये जायेंगे;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ग) उप धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "दस लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "सोलह लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 177 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 177 में,-

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) भवन, जो एकमात्र स्कूलों या इण्टरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों चाहे वे सहायतित हों अथवा न हों;"

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ज) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसे पांच वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेय जल और मार्ग प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हो"।

धारा 207 का प्रतिस्थापन

11-मूल अधिनियम की धारा 207 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

"207-नगर आयुक्त समय-समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।"

धारा-207-ख का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा 207-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना

"207-ख (1) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

(2) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उप धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा।

(3) उप धारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

धारा 208 का प्रतिस्थापन

13-मूल अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

सूची का प्रकाशन

"208-नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का प्रकाशन नियमावली में विहित रीति के अनुसार करेगा।"

14-मूल अधिनियम की धारा 209 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-- धारा 209 का प्रतिस्थापन

"209-नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।"

प्रस्तावित दरों तथा सूची पर आपत्तियां

15-मूल अधिनियम की धारा 210 में उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :-- धारा 210 का संशोधन

"(1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।"

16-मूल अधिनियम की धारा 213 में उप धारा (1) में शब्द "कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उपसमिति" के स्थान पर शब्द "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिये जायेंगे। धारा 213 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 214 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :- धारा 214 का प्रतिस्थापन

"214-(1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाय और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाय, तो वह देने की बाध्यता समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक के, जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी जो बिना उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या 500 रु0 प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2003

18-(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2002
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002 या उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश, 2003 यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 से खण्ड-18 तक के पुनः संख्यांकित खण्ड-6 से 17 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 21 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, इसमें जो संशोधन विधेयक लाया गया है और उसके लिए जो कारण बताये गये हैं वह बहुत ही हास्यास्पद हैं। मान्यवर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन डिग्री कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो उसमें अध्यक्ष और सदस्य की अर्हताएं निर्गत की थीं। इसलिए निश्चित की थी कि उस पर ऐसा मानक बनाया जाय कि जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं अध्यक्ष और सदस्य बन सकें। उसमें आपने यह संशोधन किया है। इसमें यह था कि वह उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो, या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या आचार्य रहा हो या न रहा हो। मान्यवर, केवल अध्यक्ष का एक पद होता है इसमें संशोधन का नया क्लाज जोड़ा है कि राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो या न हो। मान्यवर, इस उप धारा को जोड़ने का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। जो उद्देश्य और कारण में बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त उपधाराओं के अधीन दी गयी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

मान्यवर, अध्यक्ष एक होता है और तीन वर्ष का कार्यकाल उसका होता है। जो श्रेणी बनी थी सैकड़ों लोग थे जो अर्हताएं रखते थे वह अध्यक्ष बन सकते थे। केवल सरकार ने अपने किसी एक को समायोजित करने के लिए संशोधन किया है। इसके मानक को घटाया है। इसी तरह से चार सदस्य इसके होते हैं जो अर्हताएं थीं उसमें आप जो संशोधन कर रहे हैं इसमें आपने स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को दस वर्ष की जगह पांच वर्ष कर दिया और स्नातक महाविद्यालय के लिए प्राचार्य को पन्द्रह की जगह दस वर्ष कर दिया है। एक और क्लाज आपने डाल दिया है कि राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो। मान्यवर, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो एक लेक्चरर नियुक्त होता है वह तीस-बत्तीस वर्ष तक पढ़ाता है, तो चयन का स्तर अच्छा होना चाहिए। यह जानबूझकर इस तरह का संशोधन लाये हैं इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करके यह प्रस्ताव लाया हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय। मान्यवर, मेरा स्पष्ट मत है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में चयन समिति के जो लोग हैं उनकी एक अर्हता होनी चाहिए तभी अच्छे लोग चयनित हो सकते हैं इसलिए मैंने यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने गुणवत्ता को कम करने के लिए अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए बिलो स्टैन्डर्ड लोगों का चयन किया है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे तब इसमें निर्णय हो।

प्रो0 शिवाकांत ओझा-

मान्यवर, जो माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ने प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है तो यह शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं। यह किस प्रकार की शिक्षा देने जा रहे हैं। यह किस प्रकार के लेक्चरर और प्राचार्य नियुक्त करने जा रहे हैं। क्या इसी प्रकार के बिलो स्टेन्डर्ड लोग प्राचार्य या लेक्चरर नियुक्त करने में संचालक होंगे। यह आप कैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी तो जो यह चौपट कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं कम से कम उच्च शिक्षा को चौपट होने से बचाएं। मेरा आग्रह है कि अगर शिक्षा को बचाना चाह रहे हैं तो उच्च शिक्षा सेवा भर्ती आयोग का निर्माण आप कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत सब स्टैण्डर्ड लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, इसको रोकें। उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिए दी जाती है अगर शिक्षक गुणवान नहीं होंगे तो किस प्रकार से वह गुणवान छात्र पैदा करेगा किस प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और डा0 गौर साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, यह किसी दल से सम्बन्धित नहीं है, यह पूरे प्रदेश की उच्च शिक्षा की चिन्ता का विषय है। मेरा मत है पूरे सदन का मत है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे जो उसके सदस्य होंगे वह सब स्टैण्डर्ड होंगे, तभी वह अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और मांग करता हूं कि इसको इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है वह निराधार है, निर्मूल है, हमने कहीं पर न तो गुणवत्ता से समझौता किया है न ही हमारी ऐसी मन्शा है, मान्यवर जो पहले से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता है, जो पहले से रखी गयी है, वही है, हमने उसमें कोई कमी नहीं की है हमने केवल उसमें एक क्लाज बढ़ाया है। यह बात सही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, तो योग्यता इसके लिए दी गई है कि न्यायिक सेवा का होना चाहिए, कोई जज होना चाहिए, प्रशासनिक सेवा का होना चाहिए, कोई आई0ए0एस0 होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर या आचार्य होना चाहिए, यह योग्यता पहले से निर्धारित है, हमने इसमें से किसी को नहीं हटाया है हमने केवल इसमें एक क्लाज जोड़ने का काम किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाईकोर्ट के जज नहीं होंगे, बहुत से ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 नहीं हो सकते हैं, बहुत से लोग विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं हुए होंगे, बहुत से योग्य व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या प्राचार्य नहीं होंगे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया हो और ऐसे योग्य लोगों के अनुभवों की भी जरूरत होती है, ऐसे लोगों को अगर आयोग में नियुक्त कर दिया जाए तो हो सकता है कि उससे ज्यादा बेहतर अनुभव वह आयोग को दे सकते हैं, अच्छे शिक्षकों का सेलेक्शन कर सकते हैं।

मान्यवर, हमसे यह न कहलवायें कि माननीय गौर साहब, उच्चतर शिक्षा आयोग की आपने क्या दशा कर दी थी, शिक्षा को आप किस दिशा में ले जा रहे थे, आप ही के नाते शिक्षा की दुर्दशा

हुई, आपके ही कार्यकाल में ऐसे-ऐसे लोग नियुक्त हुए हैं, मान्यवर, अगर हम उस पर चर्चा कर दें तो आपकी कलई खुल जाएगी, चाहे उच्चतर शिक्षा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति हो, कैसे लोगों को आपने नियुक्त करने का काम किया है, अगर एक-एक की जांच कर ली जाए तो पता लग जाएगा कि शिक्षा को आप कितनी गलत दिशा में ले जाना चाहते थे। मान्यवर, शिक्षा को सही दिशा देने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह काम किया गया है, इसलिए मान्यवर, जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता पहले से निर्धारित है उसको हमने हटाया नहीं है, उसमें केवल एक छोटा सा क्लाज जोड़ दिया है। मान्यवर, उसमें है कि ऐसा व्यक्ति जिसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हो और बहुत अनुभव रखता हो और शिक्षा को अच्छी दिशा दे सके। ऐसा व्यक्ति अगर आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में आयेगा तो शिक्षा की गरिमा बढ़ जायेगी। आपने जो शिक्षा का स्तर घटाया था, उस पर रोक लगेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर साहब क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने केवल एक क्लाज इसमें बढ़ाया है, यह गलत कहा है। मान्यवर, आप देखें कि स्नातकोत्तर में जो पहले 10 वर्ष की बात थी उसको इसमें घटाकर 5 वर्ष किया गया है और स्नातक में जो पहले 15 वर्ष की बात रक्खी गयी थी उसको घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तो इस तरह से दो और क्लाज हैं, इन्होंने अर्हता को कम किया है। मान्यवर, पहले जब इनकी सरकार थी तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में इण्टर कालेज के छात्रों को भी सदस्य बनाया गया था। आप देखें डिग्री कालेज के प्राचार्य का चयन इण्टर कालेज का अध्यापक कर रहा था। एक लेक्चरर सदस्य के रूप में नामित किया गया तो जब नीचे स्तर का व्यक्ति हायर व्यक्ति का सेलेक्शन करेगा तो उससे क्या गुणवत्ता बनेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने शिक्षा को प्रतिष्ठित किया। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) हमने शिक्षा में राजनीति नहीं होने दी। इसलिये मेरा कहना है कि शिक्षा से जुड़े हुये जितने लोग हैं उनसे यहां विचार-विमर्श करके कोई निर्णय लिया जाय। अतः मैं अपने संशोधन में बल देता हूं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मा0 गौर जी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं यह जो सदस्य के बारे में कह रहे हैं हमने कोई क्लाज नहीं हटाया है। जहां पी0 जी0 के क्लाज में 10 वर्ष की अवधि थी उसको 5 वर्ष किया है और डिग्री में 15 वर्ष की जो अवधि थी, उसको 10 वर्ष कर दिया है। मान्यवर, जो प्राचार्य हैं वह तो प्राचार्य हैं, चाहें 10 वर्ष की अवधि हो या 15 वर्ष की अवधि हो। आप भी प्रोफेसर रहे हैं। गुणवत्ता का इससे क्या सम्बन्ध है ? बहुत योग्य व्यक्ति हो सकता है। उसमें अच्छी गुणवत्ता हो सकती है लेकिन यह गारण्टी नहीं ली जा सकती कि वह बेईमान नहीं हो सकता है। मान्यवर, बहुत अयोग्य व्यक्ति भी हो सकता है लेकिन वह ईमानदार भी हो सकता है। लेकिन मान्यवर, आपके समय में चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो वहां रेट बंधा हुआ था और इतना

पैसा लेने के बाद वहां नियुक्ति दी जाती थी। (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मैं पूरी सूची निकाल कर दे दूंगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं चुनौती देता हूं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

इतना ज्यादा भ्रष्टाचार यह इनके कार्यकाल में हुआ यह हमसे न कहलवाइये। मान्यवर, अच्छी नीयत के लिये और अच्छे लोगों को आयोग में लाने के लिये यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये आपने जो प्रवर समिति का संशोधन दिया है कृपया इसे वापस ले लें और सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय की कोई बात आप बता दें मैं चुनौती देता हूं। मैं अपने सदस्य पद से त्याग-पत्र दे दूंगा या आप मंत्री पद से त्याग-पत्र दे देंगे।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस सरकार ने इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारण में केवल एक बात कही है कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि मूल अधिनियम में जिस अर्हता की व्यवस्था है क्या उस अर्हता का अकाल उत्तर प्रदेश में पड़ गया होगा ? मुझे इसका विश्वास नहीं होता, न आपको होगा। मान्यवर, हमारे यहां वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र रहे हैं। क्या उसके बाद भी उस अर्हता के व्यक्तियों का अकाल पड़ गया होगा, यह मैं नहीं मानता हूं। मान्यवर, अभी आपने देखा इस सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आये हैं। यह जो रिजल्ट आया है तो प्रतिभा नहीं चली गयी है प्रदेश की, यह इस प्रदेश की प्रतिभाओं का अपमान है। यह विधेयक इस प्रदेश की योग्यताओं की उपलब्धता नहीं है। यह कहना इस प्रदेश में योग्यताओं का अभाव है, उचित नहीं है, इसलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूं। करेंगे तो वही जो आपकी पद्धति में है। यह इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 28 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1980 की धारा 4 में संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में उपधारा (2) तथा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायेंगी, अर्थात् :-

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह,-

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो ; न हो या न रहा हो ; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो ; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो ; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो ; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।

(2-क) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तककि वह,-

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पदधारण किया हो, न हो या न रहा हो; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य, जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो, न हो या न रहा हो ; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो ; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो ; या

(ङ) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो ; या

(च) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य न हो, या न रहा हो ; या

(छ) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

निरसन और अपवाद	3-(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2004
	2-ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बिन्दु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा था तो चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा किया था कि प्रदेश के सभी शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जायेगा। यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2004 में क्या इस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यरत मानदेय शिक्षकों, महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं को नियमित करने की व्यवस्था की है ? चुनाव घोषणा-पत्र में की गयी घोषणा को लागू करने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 में संशोधन करके जो यह विधेयक लाया गया है इसके तहत विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक जो पार्टटाइम के रूप में, अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति जो पिछले दिनों हो गयी थी वह लगातार कार्य भी कर रहे थे, मौलिक नियुक्ति दे दी, ऐसे अध्यापकों को 31 दिसम्बर, 1997 या उसके पूर्व अंशकालिक अध्यापक के रूप में जो नियुक्त किये गये थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

वह तो मूल अधिनियम में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ बताना हो तो बताइये।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

अंशकालिक जो अध्यापक थे, उनको विनियमित करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यह सही है कि आपने एक सवाल उठाया। अंशकालिक वह सभी लोग हैं जो पार्टटाइम विश्वविद्यालयों में नियुक्त हुये हैं, उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। 1997 के पहले के मानदेय शिक्षकों का आपने सवाल उठाया। यह सही है कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में यह है और हमने तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम मानदेय शिक्षकों को भी विनियमितीकरण करायेंगे। इस बारे में हम आपको बता दें कि जो मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति हुयी है, उसमें यह व्यवस्था थी कि जो लोग पढ़ा रहे थे वैसे तो हम उसका परीक्षण करा रहे हैं लेकिन मान्यवर, इन शिक्षकों के बारे में यह स्पष्ट रूप से है कि इनका कोई राइट नहीं बनता था। कान्ट्रेक्ट बेस पर इनकी नियुक्ति थी, एक सत्र में इतने महीने आपको पढ़ाना है, उस समय इनसे एफीडेबिट भी ले लिया गया था कि आप नियमित नियुक्ति के लिये कोई मांग नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं और इसीलिये ऐसे शिक्षकों को विनियमित करने के बारे में विचार किया है। लेकिन मान्यवर, मानदेय शिक्षकों की कई रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में हो चुकी है और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी कई रिट पिटीशन कर दी गयी है तो इस समय सम्पूर्ण प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद ही सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

शाहबानो के प्रकरण में एक निर्णय हुआ था, सरकार ने उस निर्णय को बदलने के लिये कानून बनाया था। यह समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वीकार किया गया है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी प्रतिबद्धता दर्शाई है तो मेरा निवेदन है कि अगर उसकी व्यवस्था कर दी जाय तो माननीय न्यायालय में मामले अपने आप समाप्त हो जायेंगे। सरकार केवल इतना बता दे कि इन मानदेय शिक्षकों को कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, इस पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ज्ञान बढ़ जाय, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का। मारो घुटना फूटे आंख। शाहबानो केस की इससे मिसाल दे दी। राजनीति करने वाले लोग जब भी अपनी मांग रखते हैं तो उस कानून को बदलवाने के लिये कह देते हैं, जैसा शाहबानो केस में हुआ था। शाहबानो केस सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों का, मात्र एक मामले पर एक तलाक के मामले में महिला को क्या दिया जायेगा, अदालत इसको तय करेगी या कुरान तय करेगी, केवल यह मामला था एक धर्म के लोगों का। ताकि उस धर्म के लोगों में कोई विरोध न हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक धर्म के लोगों के बीच इस दिक्कत को खत्म कर दिया और यह मामला समाप्त हो गया। इसमें दूसरा धर्म नहीं था। लेकिन ऐसा मामला, जिसमें समाज के किसी एक वर्ग की बात नहीं है, बल्कि इस तरह का काम करने वाले अनेक धर्म के लोग हों। उनके मामले में यह मिसाल नहीं दी जा सकती। लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सिर्फ यहीं नहीं और भी एक-आध जगह यह

मिसाल दिया करते हैं। लेकिन जब मामला दो धर्मों के बीच का हो जाये तो फिर इस टकराव के फैसले को करने में हमारी संसद सक्षम नहीं है। वह मामला क्योंकि एक धर्म के लोगों का था इसलिये वह वहां पर लागू नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप नहीं चाहेंगे कि शाहबानो के केस को मिसाल पर विधान सभा कानून पास करे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है इसलिये मेरा निवेदन है कि रिट दाखिल होने के बाद भी सरकार कानून बना दे। रिट अपने आप खत्म हो जायेगी और हजारों लोग जो निश्चित मानदेय पर काम कर रहे हैं, उनको राहत मिल जायेगी।

मद सं0-25

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2 का खण्ड (क) 20 मई, 2004 को और खण्ड (ख) 7 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में उपधारा (3) में,-

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिये तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्य परिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्ति किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक,-

(एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक से प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन 31 दिसम्बर, 1997 को पद पर नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हताएं रखता हो,

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनांक को, जैसा कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करें, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।"

(ख) खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हताएं रखता हो ;"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2004 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2004

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 के विचार एवं पारण से सम्बन्धित मद संख्या 27 एवं 28 को स्थगित किये जाने का प्रस्ताव तथा उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, एक दूसरा जो विश्वविद्यालय का विधेयक है उसको भी इसी के साथ ले लें क्योंकि मुझे विधान परिषद् में जाना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नगर विकास मंत्री जी मद सं0-27 ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस पर मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, उसके बाद आप कुछ नहीं कह पायेंगे।

मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबाँ सी लिया मैंने।

जमाने अब तो खुश हो, यह ज़हर पी लिया मैंने।

मैं तो आपकी मर्जी कह रहा हूं, यदि आपको बर्दाश्त नहीं है तो हम वह सारे सितम बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं, हम तो जहर पीने के लिये भी तैयार हैं। गौर साहब से कह रहा हूं आप न आयें जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 06-08-2004 की कार्यसूची की मद सं0-27 और 28 को स्थगित रखा जाए।

(मद संख्या 27 एवं 28 स्थगित हुई)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहिए जिसके लिये आपको स्थगित रखने के लिये प्रस्ताव लाना पड़ा कहीं ऐसा तो नहीं कि [×××] ने आपको निर्देशित किया हो और वह इसकी कुछ धारायें जो रखी हैं और पद सृजन होना है, उससे सहमत न हो इसलिये विवश हो करके आपको इसे सदन में स्थगित कराना पड़ा।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप यहां पर [×××] का नाम न लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कुलाधिपति का नाम तो ले ही सकता हूं। इतनी जानकारी चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुलाधिपति की ओर से कुछ निर्देश सरकार को दिये गये हों क्योंकि कुछ धारायें ऐसी हैं और जो पद भरने का प्रयास किया गया है उससे वह सहमत न हों और उनको विवश हो करके निर्देश देना पड़ा हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1973 मेरे पास है। इसमें मेरे सामने है सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय जो लैंग्वेज का विश्वविद्यालय है और संस्कृत भाषा का है उसका एक्ट और जो एक्ट आज प्रस्तावित था उसमें लफ्ज बा लफ्ज वही है, न एक लफ्ज ज्यादा न कम।

श्री हुकुम सिंह-

जिसका उद्धरण दिया है, उसको राज्य सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की मान्य परम्परा है केवल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा महामहिम राज्यपाल जी के किसी कार्य या आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। माननीय हुकुम सिंह जी ने राज्यपाल जी का जिक्र किया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्वस्थ परम्परा जो है, इसको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें और राज्यपाल शब्द हटा दें।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने खुद संशोधित कर दिया है और कुलाधिपति शब्द कहा है। कुलाधिपति जी के आचरण पर रोजाना चर्चा हुई है और आगे भी होगी।

श्री प्रमोद कुमार-

जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें कुलाधिपति का अर्थ राज्यपाल ही होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, विधेयक स्थगित हो गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सरकार का कार्य होता है कि प्रदेश के हर वर्ग, जाति को न्याय दिलाना शिक्षा ऐसा विषय है जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्टीगरेल यूनिवर्सिटी आया उसमें केवल माइनॉरिटी की बात है।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सरकार केवल अल्पसंख्यक हितों को देख रही है, बहुसंख्यक हितों को भी देखना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, पहले मद संख्या-28-ग ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, बीच में कैसे लेंगे, 28-क से शुरू करिये।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह विधेयक उसी प्रकार का है जैसे उच्चतर शिक्षा सेवा का है। आप देखने की कृपा करें इसमें इन्होंने कहा है "राज्य सरकार की राय में ऐसा विख्यात व्यक्ति जिसमें शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।" फिर आगे उद्देश्य और कारण में कहा है कि "इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने के लिये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) अधिनियम किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की संरचना की व्यवस्था की गई है। उक्त धारा में उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु दी गयी अर्हताओं के रहते हुए उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त संख्या मे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।" मान्यवर, यह जो कथन है कि कोई अभ्यर्थी अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिये उपलब्ध नहीं हो रहा है यह कथन झूठा है, और असत्य है। मान्यवर, यह न कहकर सरकार को खुले दिल से सामने आना चाहिए और यह कहना चाहिए था कि सदस्य और अध्यक्ष के पद पर हमें अपना व्यक्ति तैनात करने की मंशा है, हम जिसको चाहेंगे सदस्य या अध्यक्ष बनायेंगे। लेकिन यह न कहकर सरकार ने कहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। मान्यवर, यह सरकार

की सरासर बेइमानी है और सरकार का यह असत्य भाषण है। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय इसमें कोई जल्दी न की जाय। प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में दे दे। इसके बाद इसको अधिनियमित किया जाय। सरकार ने जो असत्य और भ्रामक बात इस विधेयक में कही है उससे सारे देश में उत्तर प्रदेश का एक चेहरा यह सामने जायेगा कि उत्तर प्रदेश में सदस्य और अध्यक्ष पद हेतु अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं इसलिये मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करता हूं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जिस तरह से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सरकार संशोधन कर रही है उससे निश्चित रूप से गुणवत्ता प्रभावित होगी। सरकार जिसको चाहेगी उसको इसमें नामित कर देगी। गलत तरीके से नियुक्तियां करने के लिये सरकार ये संशोधन ला रही है। इससे गलत संदेश प्रदेश में जायेगा। सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

अध्यक्ष जी, वैसे इसमें जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है लेकिन बाजपेयी जी ने कुछ बातें रखी हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। परम्परा तो आपने बिगाड़ने का काम किया है हमने तो बनाने का काम किया हैं मान्यवर, इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल के शिक्षकों के चयन के लिये माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया था आयोग की सत्यता भी थी। एक पवित्र उद्देश्य के लिये माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया था वहां से शिक्षकों का चयन किया जाता था ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो। अच्छे और योग्य शिक्षक चयनित होकर विद्यालयों में पढ़ाने जाय। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को तोड़ दिया और उसकी जगह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर दिया एक सरकार की इकाई बनी थी।

श्री प्रमोद कुमार-

आप इनको डांट क्यों रहे हैं ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

जो छात्र और शिक्षकों की गरिमा होती थी उनको गिराने का काम किया था आपने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के बारे में कहते थे कि जब तक वहां पैसा न हो मत जाओ। यह भी पाप आपने किया है। हम तो गरिमा को बढ़ाने जा रहे हैं। कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। किसी भी भ्रष्टचार को पनपने नहीं देंगे। योग्य और अच्छे लोगों का चयन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 28 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,--

(क) उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(चार) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

(घ) राज्य सरकार के किसी सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय;

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, जो समिति का संयोजक भी होगा।"

धारा 37 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) में, शब्द "ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनांक के" के स्थान पर शब्द "ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनांक से या 30 जून, 2005 तक, जो भी बाद में हो" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-29 पर संकल्प है। मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के संकल्प हैं वे प्रस्तुत कर दें उस पर चर्चा आगे बाद में समय आयेगा तो हो जायेगी। प्रस्तुत कर देने से वे बने रहेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

ठीक है मान्यवर, प्रस्तुत करा दें ताकि वे जीवित बने रहें।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्याय पालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किये जाने सम्बन्धी संकल्प"

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य सभा, विधान परिषद्, न्याय पालिका एवं निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाय।

मान्यवर, यह जो संकल्प मैं लाया हूं इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के हित में लाया हूं ....

(संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2004-

3-(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में, उपधारा (2) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेंगे, अर्थात् :-- धारा 12 का संशोधन

"(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति ;

"इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी संकल्प"

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी'.....

(संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

"इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिये जाने सम्बन्धी संकल्प"

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्जर पाइप लाइनों को बदल दिया जाय।

मान्यवर, वाराणसी अत्यन्त पुरातन नगरी है। वहां जो पाइप लाइन बिछाई गई है वह बहुत पुरानी है।

(संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

"इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जाने सम्बन्धी संकल्प"

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसके त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय।

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश का विकास.....

(संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

"इस सदन का निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित किये जाने सम्बन्धी संकल्प"

डा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि स्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिये शासन की स्पष्ट नीति निर्धारित की जाय।

मान्यवर, इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं कि.....

(संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई)

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के फलस्वरूप प्रदेश में बड़ी मात्रा में अधोमानक दवायें उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घन्टे की चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर ....

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-30 पर चर्चा जारी रहेगी.....।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 अगस्त, 2004 को नियम-56 की एक सूचना नियम-51 के अन्तर्गत परिवर्तित की गयी। इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत कुल 69 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना, श्री श्याम सिंह अहेरिया की है इन्होंने जनपद मथुरा के विकास खण्ड गोवर्धन की ग्राम पंचायत जटीपुरा में पेयजल टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना, श्री मस्त राम की है इन्होंने जनपद सुल्तानपुर को तहसील गौरीगंज में स्थित ग्राम सभा कटरा लालगंज में सुरक्षित श्रेणी की भूमि को अवैधानिक रूप से बैनामा कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना, श्री श्यामदेव राय चौधरी की है उन्होंने महराजगंज (बलरामपुर) क्षेत्र में नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की है इन्होंने जनपद बाराबंकी के समली नदी सरसवां घाट पर पुल का निर्माण कार्य पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवी सूचना, श्री उदयभान करवरिया की है इन्होंने बालू तथा मोरंग की परिवार नीति विषयक शासनादेश के उल्लंघन के कारण आम आदमी के सामने रोजी रोटी की समस्या के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना, श्री लल्लू सिंह की है इन्होंने जनपद फैजाबाद के कतिपय विद्युत सब स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो जाने के बाद भी चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना, श्री राजीव कुमार सिंह की है। इन्होंने जनपद गोण्डा के थाना कटरा अन्तर्गत ग्राम सभा अहिरनपुरवां अशोकपुर डीहा के अपराधिक किस्म के लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

आठवीं सूचना, श्री राम इकबाल सिंह की है इन्होंने जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत चोगड़ा के सवन होते हुए सिकरिया नहर तक बनी सड़क के मरम्मत कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

नवीं सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की है इन्होंने जनपद मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौर अनुसंस्थान में दो बार अनुत्तीर्ण छात्रों को निष्कासित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दसवीं सूचना, धर्मपाल सिंह की है इन्होंने कोतवाल आवंला जनपद बरेली द्वारा श्री लव शर्मा के विरुद्ध बैंक में तोड़-फोड़ करने व बैंक प्रबन्धक को धमकाने का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

ग्यारहवीं सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है इन्होंने प्रदेश के सिनेमा उद्योग को बचाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बारहवीं सूचना, श्रीमती माया प्रसाद की है इन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्नातक एवं परास्नातक शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय के निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तेरहवीं सूचना, श्री छोटे लाल वर्मा की है इन्होंने बाह्य सहायतित परियोजना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौदहवीं सूचना, श्री सलिल विश्नोई की है इन्होंने कानपुर महानगर में बिजली की कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सात क्रिमिनल एक्ट जैसी गैर जमानती धारा लगाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पन्द्रहवीं सूचना, श्री अक्षयवर लाल गौड़ की है इन्होंने जनपद बहराइच के इकौना क्षेत्रान्तर्गत खुटेहना हुजूरपुर मार्ग पर बने लकड़ी के पुल के मरम्मत कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सोलहवीं सूचना, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की है इन्होंने मेरठ मण्डली के कतिपय जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सत्रहवीं सूचना, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की है इन्होंने सुल्तानपुर शहर के विद्युत सुधार कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं दोषी कार्य एजेन्सी को दण्डित करवाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अट्ठारहवीं सूचना, श्री मुकुट बिहारी वर्मा की है इन्होंने जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज, पैरूबाबा की गोवंश से उत्पन्न समस्या के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उन्नीसवीं सूचना, डा0 रामबाबू हरित की है इन्होंने प्रदेश में आये दिन हो रही गौ हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बीसवीं सूचना, श्रीमती राजरानी रावत की है इन्होंने जनपद बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित पांच गांवों में विद्युतीकरण पूर्ण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

इक्कीसवीं सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की है इन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा को बिजली कटौती से मुक्त कराने एवं बिजली घरों का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बाइसवीं सूचना, श्री राजपाल सिंह वालियान की है इन्होंने आवास (उ0 प्र0 शासन) के विशेष सचिव, श्री रामवृक्ष प्रसाद की सम्पूर्ण सेवायें (समीक्षा अधिकारी से लेकर विशेष सचिव) आवास विभाग में ही होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तेइसवीं सूचना, श्री रमेश चन्द्र विन्द की है इन्होंने मलिन बस्ती सुधार योजना (डूडा) के अन्तर्गत मिर्जापुर को आवंटित किये जाने वाली धनराशि में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौबीसवीं सूचना, श्री शब्बीर की है इन्होंने जिला बहराइच के तहसील केसरगंज के श्री बदरुद्दीन अन्सारी पुत्र अब्दुल गनी अन्सारी की भूमि पर पुलिस द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पच्चीसवीं सूचना, श्री प्रागी लाल अहिरवार की है इन्होंने जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर व तहसील तहरौली में सरकारी जमीन पर कब्जा किये जाने एवं दुकानों के अवैध निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छब्बीसवीं सूचना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है इन्होंने मेरिट के बावजूद श्रीमती विनीता रानी को विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से सहायक अध्यापिका बनाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सत्ताइसवीं सूचना, श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की है। इन्होंने फैक्सपेड विभाग लखनऊ में तैनात प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अट्ठाइसवीं सूचना, श्री राम करन आर्य की है इन्होंने नगर पूरब बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुर पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराये कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उन्तीसवीं सूचना, श्री राम कृपाल की है इन्होंने जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत कोरांव तहसील उपमण्डी लेड़ियारी को मण्डी का दर्जा किए कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसवीं सूचना, डा0 पी0 के0 राय की है इन्होंने गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थान सेवरही में वित्तीय संस्थानों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

इकत्तीसवीं सूचना, डा0 पूर्णमासी देहाती की है। इन्होंने प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची के अनुसार तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बत्तीसवीं सूचना, श्री विश्राम सिंह यादव की है इन्होंने जनपद हरदोई की बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बिलग्राम के राजकीय महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तैंतीसवीं सूचना, श्री मो0 जियाउद्दीन रिजवी की है इन्होंने सोनभद्र के परगना अगौरी के ग्राम पड़रच की आराजी संख्या को वन अधिनियम की धारा-4 की पुनः प्रस्ताव की कार्यवाही रोकने एवं औचित्यहीन घोषित किये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौंतीसवीं सूचना, श्री हीरा लाल की है इन्होंने महिला कल्याण विभाग के निदेशालय में तैनात वरिष्ठ आशुलिपिक द्वारा किये जा रहे अनैतिक कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पैंतीसवीं सूचना, श्री रविन्द्र पुण्डीर की है। इन्होंने प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों के किसानों के ऋणों को माफ करवाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छत्तीसवीं सूचना, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की है इन्होंने जनपद वाराणसी में शहर एवं देहात क्षेत्र में हैण्डलूम और पावरलूम में व्याप्त मन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सैंतीसवीं सूचना, डा0 सुशील चौधरी की है उन्होंने निदेशालय महिला कल्याण के अधीन मुख्य परिवीक्षा अधिकारी लखनऊ मण्डल टिकरा हाउस पर एक कथित फर्जी कर्मचारी यूनियन के नाम से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अड़तीसवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने शाहजहांपुर नगर में स्वीकृत सब स्टेशनों (विद्युत) का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उन्तालिसवीं सूचना, श्री आर0एस0 कुशवाहा की है इन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी की निघासन क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चालीसवीं सूचना, डा0 कौशल किशोर की है इन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक लखीमपुर में अलीगंज मार्ग से गनेशपुर तक जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

इकतालिसवीं सूचना, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की है इन्होंनें जौनपुर जिले के लाइन बाजार थानान्तर्गत देव चन्द्रपुर चौकिया में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बयालिसवीं सूचना, श्री डा0 अजय कुमार की है इन्होंने मेडिकल कालेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु की जा रही काउन्सिलिंग में शासनादेशों के विरुद्ध किये जा रहे आचरण के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तैंतालिसवीं सूचना, श्री मिथलेश कुमार की है इन्होंने जनपद शाहजहांपुर, किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों को वेतन दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौवालिसवीं सूचना, श्री रामपाल वर्मा की है इन्होंने जनपद हरदोई के सण्डीला ब्रान्च के माइनरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाए जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पैंतालिसवीं सूचना, श्री राधेश्याम सिंह की है इन्होंने लखनऊ में पारा रोड, राजाजीपुरम् स्थित शिखर क्लीनिक से शांति शिक्षा मंदिर इण्टर कालेज स्थित मुख्य सड़क पर सीवर लाइन डलवाए जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छियालिसवीं सूचना, श्री कालीचरन राजभर की है। इन्होंने जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत मरदी में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र की जली हुई ट्रालियों को बदलवाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सैंतालिसवीं सूचना, श्री जटाशंकर सिंह की है इन्होंने लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भरोसा स्थित प्राइमरी विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तथा कन्या विद्यालय के शेष भाग में चाहरदीवारी बनाकर मुख्य गेट लगवाए जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अड़तालिसवीं सूचना, डा0 विनोद तिवारी की है। इन्होंने पीलीभीत के तहसील पूरनपुर अन्तर्गत सरस्वरी विद्या मंदिर इण्टर कालेज की इण्टरमीडिएट कक्षा हेतु वाणिज्य वर्ग की मान्यता दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उन्चासवीं सूचना, श्री राम नरेश यादव की है इन्होंने जनपद मऊ, आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न संकट को रोकने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पचासवीं सूचना, श्री देव नारायण की है इन्होंने कटघर से मदनपुरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

इक्यावनवीं सूचना, श्री राजेश कुमार की है इन्होंने जनपद लखीमपुर खीरी के पैलां क्षेत्रान्तर्गत पैला व कैंबा के मध्य मार्ग पर बड़ी पुलिया/रपटा का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बावनवीं सूचना, श्री दद्दू प्रसाद की है। इन्होंने लघु वन उपज को बेचने का अधिकार आदिवासियों को निःशुल्क दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तिरपनवीं सूचना, श्री शरदवीर सिंह की है इन्होंने जनपद हरदोई के थाना बपौली के कतिपय सिपाहियों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौवनवीं सूचना, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना की है इन्होंने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पचपनवीं सूचना, श्री कपिल देव यादव की है इन्होंने जनपद मऊ के मपीदपुर, गाजियापुर मार्ग पर हान्टा नाले पर अधूरे सेतु को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छप्पनवीं सूचना, श्री उमाशंकर कुशवाहा की है इन्होंने जनपद गाजीपुर के ग्राम छावनी लाइन के अधूरे नाले का निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सत्तावनवीं सूचना, श्री भरत सिंह की है इन्होंने बलिया के पी0एन0 इण्टर कालेज के 20 अध्यापकों को वेतन दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अट्ठावनवीं सूचना, श्री बाबूलाल कुशवाहा की है। इन्होंने बांदा नगर में केन नदी ओवर ब्रिज चुंगी चौकी से जरैली काठी के पीछे व झील का पुरवा होते हुए बाईपास बनवाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

उन्सठवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है इन्होंने इलाहाबाद में सहशी नामक स्थान पर मो0 हनीफ पुत्र हबीब के पास पशु विक्रय का लाइसेन्स न होने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

साठवीं सूचना, श्री कौशल किशोर की है इन्होंने थारू जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

इकसठवीं सूचना, श्री बीजू पटनायक की है इन्होंने जनपद प्रतापगढ़ थाना रानीगंज अन्तर्गत ग्राम परसुरामपुर में हुई डकैती के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बासठवीं सूचना, श्रीमती विद्या चौधरी की है। इन्होंने जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत की ग्राम सभा बहादुरपुर (थकनोसारी) के पास शारदा सहायक पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तिरसठवीं सूचना, श्री मुंशी लाल गौतम की है। इन्होंने जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों की आबादी के बीच से गुजरने वाली ग्यारह हजार बोल्ट की लाइन को हटवाये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौंसठवीं सूचना, श्री शिशुपाल सिंह यादव की है इन्होंने जनपद एटा में जवाहर विद्युत तापीय योजना को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

श्री सोमारू राम सरोज, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह", श्री विनय शाक्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगन प्रसाद गर्ग।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

पांच जो अस्वीकृत हुई हैं उनको भी स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको देख लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक नेहरू इण्टर कालेज, रतनपुरा जनपद-मऊ को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवशेष पेमेन्ट न मिलने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री रवीन्द्र सिंह की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर .....

एक सदस्य-

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

(श्री मोहम्मद आजम खां)-

[नेहरू इण्टर कालेज रतनपुरा मऊ में श्री धनेश्वर यादव सहायक अध्यापक के प्रवक्ता पद पर तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पद पर प्रबन्धक द्वारा किया गया और करके प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त कराया। चूंकि नियुक्ति नियमों के विपरीत और प्रतिबन्धित अवधि में की गई थी इसलिए वेतन भुगतान नहीं किया गया है इससे क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने मा0 न्यायालय में याचिका संख्या 3433/99 योजित की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 4-8-99 में सुनवाई करके दिनांक 22-1-2001 को प्रकरण निस्तारित करते हुए प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर पुनः श्री सिंह ने मा0 न्यायालय में याचिका संख्या 12890/2001 योजित की जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 27-7-2001 को पुर्नविचार का आदेश पारित किया गया। पुनः इनके प्रत्यावेदन को अमान्य कर दिया गया। पुनः श्री सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या-4143/2002 योजित किया जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 5-4-2002 को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश दिनांक 13-12-2002 को निरस्त करते हुए यह निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया कि प्रबन्धक एवं याची की सुनवाई कर तीन माह के अन्दर नियमों के परिधि में आदेश पारित करें। वाद याची की नियुक्ति विधिक पाई जाय तो वेतन भुगतान की कार्यवाही करें। उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने आदेश दिनांक 30-11-2002 द्वारा श्री सिंह के वेतन भुगतान का आदेश पारित किया।

उक्त निर्णय के आधार पर श्री सिंह का नियमित वेतन भुगतान दिसम्बर, 2002 से किया जा रहा है। श्री सिंह द्वारा अपने अवशेष वेतन सितम्बर, 98 से नवम्बर, 2002 तक के भुगतान के निहित मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-37039/2003 योजित की जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26-8-2003 को जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश पारित किया। मा0 न्यायालय के आदेश के समादर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री सिंह के वेतन अवशेष निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।]

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, श्री रवीन्द्र सिंह की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर नेहरू इण्टर कालेज रतनपुरा मऊ में हुई। लेकिन 1998 से 2002 तक का चार वर्ष का पेमेन्ट रुका हुआ है डी0आई0ओ0एस0 इसको रोके हैं आगे का पेमेन्ट मिल रहा है वह कहते हैं आधा-आधा करो, तब इसका निस्तारण करेंगे। एक साल से इस मामले के निस्तारण के आदेश हैं लेकिन साल भर से निस्तारण नहीं हुआ है मैं चाहता हूं इसको समयबद्ध कर दें कितने समय में निस्तारित हो जाएगा। चार साल की अध्यापक की तनख्वाह नहीं बनी है मैंने अध्यापक से कहा है तुम रिश्वत मत देना मामले का निस्तारण हो जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जो उत्तर दिया गया है उसको देखें इसमें है-'चूंकि नियुक्ति नियमों के विपरीत और प्रतिबन्धित अवधि में की गई थी इसलिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया' इसमें लिखा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, वक्तव्य में नीचे का पैरा पढ़ लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त निर्णय के आधार पर श्री सिंह का नियमित भुगतान दिसम्बर, 2002 से किया जा रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, वह निस्तारण करने के लिए आधा-आधा चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्हें निर्देश कर दें जिससे जल्दी से जल्दी हो जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

परीक्षण करा लेते हैं।

जनपद सोनभद्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बालू खनन का पट्टा वन विभाग के पक्ष में गलत ढंग से करने विषयक श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद सोनभद्र में नदी तल वर्ष 1993 तक राजस्व खतौनी के श्रेणी-6 जलमग्न भूमि .....

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के रूप में अंकित होने के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि तत्समय जनपद में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मामले में पारित निर्णय के फलस्वरूप आरम्भ किये गये सर्वेक्षण में राज्य सरकार की भूमि खतौनी में अलग-अलग अंकित थी। नदी तल की श्रेणी-6 जलमग्न भूमि राज्य सरकार के मालिकाना हक में ही होती है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपनी किसी भी भूमि अथवा कोई भी भूमि जिस पर उसे मालिकाना हक प्राप्त है, को आरक्षित वन घोषित कर सकती है। इसी अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के शासनादेश संख्या-4768/xiv 695/1953, दिनांक 10/16 नवम्बर, 1953 के तहत प्रबन्धन के लिये प्राप्त भूमि को आरक्षित वन बनाने की मंशा होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 में विज्ञापित की गयी। वर्ष 1980 के पूर्व धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं थे। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1061/1982 में एन0टी0पी0सी0 के मामले में पारित निर्णय दिनांक 08-2-1989 में यह मत व्यक्त किया गया है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 में विज्ञापित भूमि पर भी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे। ज्ञातव्य है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों को प्रतिबन्धित करता है।

रिट याचिका सं0-202 टी0एन0 गोडाबर्मन थिरूमुल्कपाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के द्वारा वन भूमि को परिभाषित करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि वन भूमि का शब्दकोषीय अर्थ ही न लेते हुए वन भूमि में ऐसी समस्त भूमियां, जिन पर स्वामित्व चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, यदि वह भूमि किसी सरकारी अभिलेख

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में वन भूमि के रूप में दर्ज है, तब वन भूमि मानी जायेगी। आगे यह भी निर्देश दिये हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी वन भूमि पर भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, गैरवानिकी कार्य, जिसमें खनन कार्य भी सम्मिलित है, नहीं किया जायेगा और यदि हो रहा है तब उसे तत्काल बन्द कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

जहां तक अभिवहन शुल्क वसूलने का प्रश्न है, यह अवगत कराना है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज अभिवहन नियमावली 1978 तथा विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत ही अभिवहन शुल्क लिया जा रहा है।

जनपद सोनभद्र में नदी तलों में स्थित कई भूखण्डों एवं अन्य भूमियों को, रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-1061 वर्ष 1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20-11-1986 पारित कर ऐसी भूमियों पर काबिज व्यक्तियों के दावों का निस्तारण करने के निर्देश दिये थे। जिसके अनुपालन में प्रदेश शासन द्वारा गठित कैमूर सर्वे एजेन्सी के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के विभिन्न आदेशों से जनपद सोनभद्र में बहने वाली नदियों का अधिकांश भाग न्यायिक प्रक्रिया के तहत वन भूमि घोषित कर दिया गया है।

जनपद सोनभद्र के गुरदह, ग्राम पटवध, ग्राम पडरच, ग्राम पीपरडीह, ग्राम जपला बधाऊ व जपलारन्नु, ग्राम बीडर में सम्मिलित 281 एकड़ नदी भूमि को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 3-6-2002 से वन विभाग के संरक्षण में दे दिया गया है। फलस्वरूप उक्त भूमि में पूर्व में स्वीकृत 11 खनन पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। अपर जनपद न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 3-6-2002 के उपरान्त जनपद सोनभद्र में नदी तल में स्थित ऐसी भूमि के पट्टे जो वन भूमि की श्रेणी में राजस्व अभिलेख में अंकित है अथवा कैमूर वन्य जीव सैक्चयुरी में पड़ने वाले क्षेत्रों के खनन पट्टे, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में स्वीकृत/नवीनीकृत नहीं किये गये हैं तथा पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों को समय से पूर्व निरस्त किया गया है। विषयगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष अनुलम्बित है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को निर्णीत कर दिये जाने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।]

जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद, थानान्तर्गत राजीवनगर कालोनी में कांवडियों की सेवा के लिये लगाये गये पंडाल में गुण्डों द्वारा की गयी फायरिंग से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 14-7-04 को रात्रि 9.00 बजे संजू निवासी राजीवनगर थाना-साहिबाबाद .....

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[एवं एक अन्य कांवड़िया गली नं0-6 राजीवनगर कालोनी में होकर जा रहे थे। उनके साथ इस गली में स्थित मुस्लिम होटल के मालिक आशिक अली एवं एक अन्य के द्वारा छीटाकशी कर दी गई, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। इस पर आशिक अली निवासी राजीवनगर, गली नं0-4 एवं अकरम पासा एवं अन्य मुस्लिम व्यक्तियों (मुस्लिम समुदाय) द्वारा संजू एवं उसके साथी की पिटायी कर दी गई, जिस पर संजू एवं उसके साथी द्वारा राजीवनगर सुधार समिति के तत्वावधान में राजीवनगर में स्थित कांवर सेवा शिविर पर सूचना दी गई। इस पर हिन्दू समुदाय के लगभग 5 व्यक्ति एकत्रित होकर मुस्लिम होटल पर पहुंचे, वहां पर उनकी आशिक अली एवं अकरम पासा से कहासुनी हुई। इसी दौरान मोहल्ला राजीवनगर के हिन्दू समुदाय के अन्य व्यक्ति भी पहुंच गए और उनसे मारपीट करने लगे। इसी दौरान परवेज पासा (भाई अकरम पासा) अपनी कार से जाने लगा तो उक्त मोहल्ले के व्यक्तियों ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसके द्वारा भीड़ पर फायरिंग की गई, जिसमें हिन्दू समुदाय के लगभग 10-11 व्यक्ति घायल हो गए। तत्पश्चात् परवेज पासा अपने आवास संख्या-पी-1/52, स्वेता अपार्टमेन्ट, डीएलएफ कालोनी पहुंच गया। वहीं पर उसके भाई का आवास स्थित है। उत्तेजित भीड़ वहां भी पहुंच गयी और उनके द्वारा उनके मकानों पर पथराव कर दिया गया, जिस पर उनके द्वारा भी उत्तेजित भीड़ पर फायरिंग की गई। उत्तेजित भीड़ द्वारा परवेज पासा की कार में आग लगा दी गई। इसके अतिरिक्त उत्तेजित भीड़ द्वारा आशिक अली के होटल, परवेज पासा के प्रापर्टी कार्यालय एवं नवनिर्माणाधीन सर्विस स्टेशन में आग लगा दी गई। घटना की सूचना पर तत्काल जिले की पुलिस/प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटनाक्रम में कुल 10 व्यक्ति हिन्दू समुदाय के घायल हुए हैं, जिन्हें गुरू तेगबहादुर चिकित्सालय, दिल्ली में भर्ती कराया गया है, जिसमें 5 व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती किए गए। घायलों में 13 वर्षीय राजू पुत्र रामपाल की दिनांक 17 जुलाई, 2004 को मृत्यु हो गयी। दिनांक 15-7-04 को प्रातः 6.00 बजे राजीवनगर भोपुरा एवं कांवड़ियों द्वारा उक्त घटनाक्रम को लेकर मथुरा मोड़ पर रास्ता जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भीड़ पर फायरिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके लाइसेन्स निरस्त किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर भीड़ वापस चली गयी। इस संबंध में परवेज पासा, जावेद पासा व अकरम पासा के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में मु0अ0सं0 534/04 धारा 147/148/323/302/504/295क/296 आई0पी0सी0 तथा 7 सी0एल0ए0 एक्ट दर्ज किया गया है। अकरम पासा की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा इस घटना में एक रिवाल्वर तथा एक रायफल बरामद किया गया है। इस संबंध में चौकी इन्चार्ज सहित कुल 12 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।]

जनपद आजमगढ़ के थाना तहबरपुर की पुलिस द्वारा जन विरोधी रवैया अपनाये जाने विषयक श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नोटिस में आजमगढ़ जनपद में पुलिस प्रशासन ....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[की भूमिका पर आक्षेप करते हुए अपराध वृद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। साथ ही दिनांक 19/20 जुलाई, 2004 की रात्रि में ग्राम महुआर, थाना-तहबरपुर स्थित प्राचीन रामजानकी मंदिर की 7 अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी एवं इस सम्बन्ध में मंदिर की स्थापना करने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख करते हुए थानाध्यक्ष तहबरपुर को उनकी भूमिका के लिए निलम्बित करने, जिले से स्थानान्तरण करने एवं प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने की मांग की गई है।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम महुआर स्थित रामजनकी मंदिर से दिनांक 19/20 जुलाई, 2004 की रात्रि में हुई अष्टधातु मूर्तियों की चोरी के संबंध में महन्त श्री चन्द्रभूषण दास ने दिनांक 22-7-04 को थाना तहबरपुर में यह लिखित सूचना दी कि वह उक्त मंदिर का पुजारी है और दिनांक 20/21 जुलाई, 2004 की रात में अज्ञात चोरों ने मंदिर की अष्टधातु की 7 मूर्तियां चोरी कर ली। इस सूचना पर थाना तहबरपुर में मु0अ0सं0-335/2004 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया, विवेचना थानाध्यक्ष तहबरपुर द्वारा प्रारम्भ की जा रही है। मूर्ति बरामदगी व अपराधियों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त मन्दिर के वर्तमान पुजारी बाबा श्री चन्द्र भूषण दास ने इस तथ्य से इनकार किया है कि रामजानकी मन्दिर के ट्रस्ट का निर्माण आशिष कुमार राय के पूर्वजों ने कराया था एवं श्री झूरी राय ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। श्री आशिष कुमार राय के पूर्वजों द्वारा 16/17 बीघा जमीन इस कथित ट्रस्ट को दिये जाने के तथ्य से भी मन्दिर के पुजारी ने इनकार किया है।

जहां तक रामजानकी मन्दिर के महन्त से सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराये जाने के आरोप का सम्बन्ध है, इस विषय में महन्त श्री चन्द्रभूषण ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-7-04, जिसे पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के समक्ष दिनांक 29-7-04 को प्रस्तुत किया गया, में कहा है कि महुआर गांव के श्रीनाथ यादव उर्फ वकील यादव व अन्य दो ने उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवा लिये एवं उन्हें धमकी भी दी गई। श्री दास के इन आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जा रही है।

विवेचना के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री आशीष कुमार राय को थाने लाकर पूंछतांछ की गई और कोई विशेष लाभप्रद सूचना प्राप्त न होने पर उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया। उनसे सोने की अंगूठी एवं रुपया छीनने संबंधी कोई शिकायत जनपदीय पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है फिर भी इन आरोपों की जांच अलग से कराई जा रही है। श्री तीर्थराज त्रिपाठी की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी नोटिस में किये गये उल्लेख के दृष्टिगत अलग से जांच कराई जा रही है।]

प्रदेश के अनेक जनपदों में मकानों, दुकानों एवं घनी आबादी के ऊपर से गुजरती विद्युत की हाईटेंशन लाइनों को हटाये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 01 अगस्त, 2004 को जनपद उन्नाव के फतेहपुरा चौरासी के मो0 सुभाषनगर में .....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[श्री जितेन्द्र दीक्षित के मकान की छत पर गेंद खेल रहे दो बालकों श्री वीरदत्त दीक्षित तथा श्री सीताराम लोधी की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गई।

दिनांक 01 अगस्त, 2004 को जिला उन्नाव के फतेहपुरा चौरासी के मो0 सुभाषनगर में श्री जितेन्द्र दीक्षित के मकान पर दोनों बालक (वीरदत्त दीक्षित व सीताराम लोधी) खेल रहे थे। श्री दीक्षित ने अवैध रूप से बार्जा सड़क/गली में निकाल लिया है, जो 11 के0वी0 तारों से लगभग सटा हुआ है।

गेंद लुढ़क कर बार्जे के पास चली गई। गेंद लेने के चक्कर में दोनों बच्चे 11000 वोल्ट की लाईन के सम्पर्क में आ गये, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

पूरे प्रकरण की जांच हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा को निदेशित किया गया है। वे जांच में श्री दीक्षित मकान मालिक द्वारा अवैध निर्मित छज्जा, जो 11000 वोल्ट की लाईन के पास तक था, के प्रकरण की जांच, विद्युत विभाग के कर्मियों के विरुद्ध भी, जांच आख्या देंगे तथा सुझाव देंगे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना टालने के लिये क्या कदम उठाया जाय।

महाप्रबन्धक लखनऊ क्षेत्र को निदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक पीड़ित परिवार के अभिभावकों को नियमानुसार 20,000/-20,000/- की अहेतुक सहायता राशि जिलाधिकारी, उन्नाव के माध्यम से अविलम्ब बंटवा दें।

महाप्रबंधकों को निदेश अलग से दिए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति विद्युत अधिनियम, 1910 का उल्लंघन करते हुए विद्युत लाइनों से सटकर या उनके नीचे मकान बना लिए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु नोटिस जारी करें।]

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, 20-20 साल पुरानी विद्युत लाइनें हो गयी हैं, वह लाइनें हटवा दी जायें। मान्यवर, वहां पर गरीब लोग रहते हैं, वहां कोई गाड़ी-बंगले वाले नहीं रहते हैं। मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह धनी आबादी के ऊपर से गुजती विद्युत की हाईटेंशन लाइनों को हटाने के निर्देश दें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी कार्यालय में व्याप्त घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार विषयक श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद लखीमपुर खीरी को वर्ष 2003-04 में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के बीमारी के इलाज हेतु ...

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वक्तव्य पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अनुदान योजना में कुल रुपये 76.55 लाख का आवंटन किया गया था। अनुदान प्राप्त करने हेतु कुल 976 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें जांचोपरान्त 709 आवेदन-पत्र अनुदान हेतु उपयुक्त पाये गये जिसमें 694 शादी के लिये तथा 15 आवेदन-पत्र बीमारी के इलाज हेतु अनुदान से संबंधित है। उक्त सभी आवेदन-पत्रों पर अनुदान की स्वीकृति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी। शादी हेतु अनुदान में 10 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 69.40 लाख तथा बीमारी के लिये इलाज हेतु दो हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 30,000.00 रुपये इस प्रकार कुल रुपये 69.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी एवं समस्त पात्र पाये गये लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत कर दिया गया। अवशेष बची रु0 6.85 लाख की धनराशि पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण जनपद स्तर से समर्पित कर दी गयी। जहां तक कुछ लाभार्थी जिन्हें शादी अनुदान की चेकें वित्तीय वर्ष 2002-03 में माह मार्च, 03 में 20 से 30 मार्च के बीच दी गयी, उनकी तारीखें न बढ़ाये जाने का उल्लेख है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि इस संबंध में निर्धारित वित्तीय नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में निर्गत चेकों की देयता अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक ही भुगतान हेतु अनुमन्य होती है तथा एक वित्तीय वर्ष में निर्गत चेकों का पुर्ननवीनीकरण अगले वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सकता है।

कक्षा 1 से 5 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु जनपद खीरी में कुल विद्यालयों की संख्या 2048 जिसमें 1915 विद्यालयों को रु0 440.06 लाख की धनराशि प्रेषित की गयी। शेष 133 विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी की रिपोर्ट के अनुसार 49 विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र नहीं हैं, 01 विद्यालय बन्द हैं तथा 83 मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने छात्रवृत्ति की मांग नहीं की है।

कक्षा 6 से 8 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु कुल विद्यालयों की संख्या 474 है जिसमें से 393 विद्यालयों को रु0 126.72 लाख की धनराशि प्रेषित की गयी है शेष 81 विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी की रिपोर्ट के अनुसार 01 विद्यालय में छात्र नहीं हैं, 01 विद्यालय बन्द हैं तथा 79 मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने छात्रवृत्ति की मांग नहीं की।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कक्षा 9 से 10 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु जनपद में 78 विद्यालयों के सापेक्ष समस्त विद्यालयों में छात्रवृत्ति रु0 44.74 लाख प्रेषित कर दी गयी है। दशमोत्तर कक्षाओं के 55 समस्त विद्यालयों में रु0 48.88 लाख की धनराशि प्रेषित कर दी गयी है। 02 महाविद्यालयों हेतु धनराशि कम होने के कारण रु0 9.62 लाख की अतिरिक्त मांग की गयी है।

इस प्रकार जनपद में पूर्व दशम् कक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के मद में 672.11 लाख रुपये की धनराशि प्रेषित की गयी थी जिसके सापेक्ष रु0 611.52 लाख की धनराशि व्यय की गयी। विद्यालयों द्वारा मांग-पत्र के अभाव में रु0 60.59 लाख की धनराशि समर्पित की गयी। दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु रु0 50.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका सम्पूर्ण व्यय कर लिया गया। 02 महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति की धनराशि कम पड़ने के कारण जो रु0 9.62 लाख की अतिरिक्त मांग की गयी थी इसे चालू वर्ष के बजट से भुगतान करने की अनुमति दे दी गयी है।

जनपद में जनहित में नये जिला समाज कल्याण अधिकारी की तैनाती कर दी गयी है।]

आजमगढ़ सदर के मझारी बाजार में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराने विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मंझारी बाजार, सदर, ब्लाक-तहबरपुर, जिला आजमगढ़ को 33/11 के0वी0 सोफीपुर उपकेन्द्र, जनपद आजमगढ़.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... से विद्युत ग्रामीण शिड्यूल तथा उपलब्धता के अनुसार की जा रही है। तकनीकी खराबी के कारण आये विद्युत व्यवधान को ठीक करा कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाती है। मंझारी बाजार तथा आस-पास के क्षेत्र में इतना लोड नहीं है कि नये विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता पड़े। इस क्षेत्र के लिये 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र सोफीपुर में लोड लेने की पर्याप्त क्षमता है। वर्णित स्थिति में मंझारी बाजार में विद्युत उपकेन्द्र की अभी आवश्यकता नहीं है।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत बरौलिया से नोनखारा जाने वाली रोड का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम-अल्लागंज मुख्य जिला मार्ग के कि0मी0 15.20 पर स्थित.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[.... बरौलिया से नोनखारा ग्रामीण मार्ग की कुल लम्बाई 09.60 कि0मी0 है। इस मार्ग का प्रथम 600 मीटर भाग जिला योजना 1990-91 में रु0 02.50 लाख की स्वीकृत लागत पर द्वितीय सतह लेपन तक निर्मित हैं। अवशेष 09.00 कि0मी0 भाग खड़न्जा स्तर तक निर्मित है किन्तु इसका अधिकांश भाग ध्वस्त हो गया है। नोनखारा ग्राम जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 2668 हैं, समग्र ग्राम विकास योजना 2003-04 के अन्तर्गत चयनित ग्राम है तथा इस मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत हरि बांध पोखरे पर बन रहे तहसील के निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि देने विषयक श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद आजमगढ़.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[.... की तहसील मेंहनगर में तहसील भवन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन इस समय कुछ दिनों से धन के अभाव में निमार्ण कार्य की गति धीमी हो रही है। तहसील निर्माण जिस जगह पर हो रहा है वह एक ऐतिहासिक जगह है, उसका नाम हरिबांध पोखरा है। तहसील निर्माण के साथ-साथ हरिबांध पोखरे के सौन्दर्यीकरण हेतु धन स्वीकृति नितान्त आवश्यक है।

2-इस संबंध में यह अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील मेंहनगर के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु तहसीलों के मानकीकृत आगणन रु0 184.14 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रु0 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को एजेन्सी नामित किया गया है। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रु0 32.15 लाख तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 50.00 लाख अर्थात् अभी तक रु0 87.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

3-तहसील निर्माण का कार्य जनवरी, 2003 में एजेन्सी द्वारा प्रारम्भ कर, तहसील भवन के मुख्य भवन का उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यालय कक्ष की छत डाल दी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है, साथ ही तहसील भवन के पूरब की तरफ बाउण्ड्रीवाल का कार्य एवं बोरिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य में मई, 2004 तक रु0 46.57 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है।

4-इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु एजेन्सी के पास अभी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अवशेष धनराशि किस्तों में स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5-हरिबांध पोखरे के सौन्दर्यीकरण का संबंध राजस्व विभाग से नहीं है, अपितु यह सम्भवतः पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है। धीमी गति से निर्माण कार्य करने हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी को निर्देशित करने की कार्यवाही की जा रही है कि वे कार्य गति से करें।]

जनपद औरैया के विधूना क्षेत्रान्तर्गत रानी अहिल्याबाई होल्कर राजकीय विद्यालय की समस्याओं का निस्तारण कराने विषयक श्री विनय शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य के सम्बन्ध में.....

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[.... बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :-

1-रानी अहिल्याबाई होल्कर राजकीय महाविद्यालय विधूना औरैया के कला संकाय के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा तैयार किये गये रुपये 70.73 लाख के आगणन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश सं0-150/15-17-1995-40 (12)/94, दिनांक 17 जनवरी, 1995 द्वारा रु0 73.70 लाख का स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें से रुपया 50.00 लाख मार्च, 1995 में प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराया गया। निर्माण माह मार्च, 1995 में प्रारम्भ कर दिया गया है तदोपरान्त माह मार्च, 1996 में शेष धनराशि रुपया 23.70 लाख द्वितीय किस्त के रूप में निर्माण एजेन्सी को प्राप्त करा दिया गया। कार्यदायी संस्था का कथन है कि महाविद्यालय के निर्माण का आगणन वर्ष 1994-95 की दरों पर आधारित था जबकि कार्य वर्ष 1995-96 में संपादित कराया गया। आगणन में चाहरदीवारी का अनुमान 500 मीटर किया गया था जबकि कार्य स्थल पर चाहरदीवारी 850 मीटर आंकी गयी। इस कारण महाविद्यालय का कार्य अधूरा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। निर्माण निगम द्वारा पुनरीक्षित आगणन के रूप में रु0 31.88 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। निर्माण एजेन्सी ने अवगत कराया कि वांछित धनराशि प्राप्त होने के बाद 06 माह में निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त धनराशि रु0 31.88 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

2-खिड़कियों तथा दरवाजों में पेंटिंग पुताई, ग्लास फिटिंग का कार्य अतिरिक्त धनराशि के अभाव में रुका हुआ है।

3-महाविद्यालय मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन का सम्पर्क मार्ग अनुदान के अभाव में अपूर्ण है।

4-महाविद्यालय में शौचालय निर्मित है परन्तु अतिरिक्त धनराशि के अभाव में फर्श, सैनेटरी, पुताई का कार्य शेष है महाविद्यालय में निर्मित कमरों में विद्युत फिटिंग का कार्य किया गया है लेकिन महाविद्यालय का हस्तान्तरण न होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं है।

5-महाविद्यालय में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1336/सत्तर-5-2004 दिनांक 09 जुलाई, 2004 द्वारा डा0 आर0 एन0 माथुर प्रवक्ता अर्थशास्त्र तथा डा0 सामन्त सिंह प्रवक्ता-मनोविज्ञान की स्थानान्तरण द्वारा तैनाती की जा चुकी है। शेष रिक्त प्रवक्ता पदों पर तथा पुस्ताकालयाध्यक्ष के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर तैनाती कर दी जायेगी।

6-उक्त महाविद्यालय में चौकीदार का पद सृजित नहीं है। किसी अन्य महाविद्यालय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सम्बद्ध करने के निर्देश निदेशक उच्च शिक्षा को दे दिये जायेंगे।]

जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर के ग्राम धौरूपुर व भरूहना की भूमि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[.... की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मिर्जापुर जनपद के ग्राम धौरूपुर व भरूहना तहसील सदर में प्रस्तावित आवासीय कालोनी हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने की मांग करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रस्तावित आवासीय कालोनी से सम्पन्न वर्ग को लाभ मिलेगा एवं गरीब छोटी जात के किसान भूमिहीन हो जायेंगे एवं उनका परम्परागत व्यवसाय छिनने से उनकी जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर का शहरीकरण तेजी से हो रहा है तथा वहां मण्डल कार्यालय, उपमहानिरीक्षक कार्यालय आदि स्थापित है। अनियोजित शहरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के सुनियोजित विकास हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लगभग 120 एकड़ की आवासीय योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें ग्राम धौरूपुर, भरूहना, लहौली मिश्र तथा राजपुर की भूमि समाविष्ट है। धौरूपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मिर्जापुर का स्थल निरीक्षण चयन समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त प्राप्त चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने अपनी 188 वीं बैठक दिनांक 12-3-2004 के मद संख्या-188/4-14 द्वारा धारा-28 का प्रस्ताव अनुमोदित किया। तदोपरान्त उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10-7-2004, 17-7-2004 व 24-7-2004 तथा इन्हीं तिथियों में स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के समस्त भू-स्वामियों को सूचित किया गया है कि वे भूमि अर्जन के सम्बन्ध में आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त, भूमि अर्जन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन एवं विकास परिषद्, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता, अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् आफिस-कम-शापिंग काम्प्लेक्स जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में ली जायेगी। उक्त सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां भी प्राप्त हो रही हैं।

3-उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद मिर्जापुर में डोमरौली योजना विकसित कर पूर्ण की जा चुकी है। चूंकि जनपद मिर्जापुर के विकास का रुझान मिर्जापुर चुनार रोड पर ही है जिस पर यह योजना प्रस्तावित की गई है और यहां पर वर्तमान में भवन/भूखण्ड की अच्छी मांग है। यदि यह योजना नहीं चलायी जाता है तो प्रस्तावित योजना स्थल पर अनियोजित निर्माण होते रहेंगे तथा उक्त क्षेत्र कालान्तर में स्लम एरिया में परिवर्तित हो जायेगा। जहां तक गरीब किसानों की भूमि अर्जन का प्रश्न है भूमि का अर्जन परिषद् द्वारा उचित मुआवजा देकर ही किया जाता है।]

उत्तर प्रदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) इलाहाबाद द्वारा कांस्टेबिल (एम) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आरक्षित वर्ग के बैकलाग.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... को भरने हेतु शासनादेश संख्या-4010/6पु-1-2003-116/02 टीसी II दिनांक 24 मई, 2003 द्वारा अन्य संवर्गों के साथ कांस्टेबिल (एम) संवर्ग के 165 अधिसंख्य पद वित्तीय वर्ष की फरवरी माह की अन्तिम तिथि या सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप या अन्य कारणों से नियमति पद उपलब्ध होने तक अथवा इसके पूर्व पदों को समाप्त किये जाने की तिथि तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिये स्वीकृत किये गये थे। इन कांस्टेबिल (एम) के स्वीकृत 165 अधिसंख्य पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलित थी।

2-इसी बीच कार्मिक विभाग के फैक्स संख्या-1670/का-2-2003/20/1/97, दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही भर्ती को छोड़कर शेष सभी प्रकार की भर्तियों को अग्रेतर आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। बाद में कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 7 जनवरी, 2004 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि विभागीय चयन समितियों द्वारा किये जाने वाले चयनों में समीक्षा के उपरान्त चयन कार्यवाही की जाय। यह समीक्षा पदों को भरे जाने की अपरिहार्यता/औचित्य के सम्बन्ध में की जानी थी। तदुपरान्त कार्मिक अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2004 द्वारा शासनादेश दिनांक 29-8-2003 में स्थगित सभी प्रकार की भर्तियों को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

3-पुलिस मुख्यालय संवर्ग मे कांस्टेबिल (एम) के 6 पद तथा जिला पुलिस संवर्ग में 128 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं। वर्तमान में उक्त पदों के विरुद्ध मृतक आश्रितों सहित 606 कांस्टेबिल (एम) नियुक्त हैं। प्रश्नगत नवसृजित अधिसंख्य पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 7-1-2004 के अनुसार समीक्षा की गई और शासनादेश संख्या-1619/6-पु-1-04/116/2002 टीसी II, दिनांक 6-5-2004 द्वारा वर्तमान में स्वीकृत नियतन से अधिक संख्या में कांस्टेबिल (एम) नियुक्त होने तथा अधिसंख्य पदों की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रश्नगत कांस्टेबिल (एम) के 165 नवसृजित पदों पर नियुक्ति किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तदनुसार इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई।]

जनपद आजमगढ़ के थाना बरदह के ग्राम जिवली में आई बारात से एक बालक का अपहरण हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नोटिस में सूचित किया गया है कि.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... दिनांक 3 जून, 2004 को ग्राम जिबली, थाना-बरदह, जनपद-आजमगढ़ में एक प्रजापति की बारात के जलसे में भीड़ से शिवानन्द यादव उर्फ शुभम यादव का अपहरण हो गया। शुभम के पिता एवं परिवार वालों के यहां फोन भी आ रहा है कि 5 लाख रुपया भिजवा दो, लड़का जिन्दा है। जनता में काफी आक्रोश है, पुलिस की निष्क्रियता से स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री लालजी यादव पुत्र श्री रामबली यादव, ग्राम जिबली बाजार, थाना बरदह ने दिनांक 4-6-2004 को थाना बरदह पर शिवानन्द यादव उम्र लगभग 7 वर्ष के गुमशुदगी की लिखित सूचना दिया कि दिनांक 3-6-2004 को उसके घर के सामने आयी बारात में उसका लड़का शिवानन्द यादव बारात देखने गया था किन्तु 9.00 बजे रात तक घर वापस न लौटने पर उसकी काफी तलाश की गई परन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। श्री लालजी यादव की उक्त सूचना पर थाना बरदह में रो0 आम रपट सं0 12 समय 7.15 दिनांक 4-6-2004 को गुमशुदगी अंकित हुई।

बाद में श्री लालजी यादव ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-6-2004 पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को दिया कि उसके पी0 सी0 ओ0 पर दिनांक 20-6-2004 को सायंकाल टेलीफोन आया, जिसमें उससे 05 लाख रुपये फिरौती के रूप में मांग की गई। दिनांक 28-6-2004 को उसके पी0 सी0 ओ0 के टेलीफोन पर पुनः रुपये की मांग की गई।

श्री लालजी यादव के उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-6-2004 के आधार पर दिनांक 13-7-04 को मु0अ0सं0 284/2004 धारा 364ए, 506 भादवि थाना बरदह में अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थाना बरदह द्वारा की जा रही हैं अपहरणकर्ताओं के सम्बन्ध में पतारसी-सुरागरसी की जा रही है, जिसके क्रम में अनेक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। विलम्ब से अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

मुस्लिम एवं ईसाई सम्प्रदाय की कतिपय उप जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... के अन्तर्गत यह अवगत कराते हुए कि भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। वर्ष 1935 से 1950 तक सभी धर्मों के दलितों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त थी। वर्ष 1950 में कतिपय कारणों से मुस्लिम एवं अन्य ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति की सूची से हटा दिया गया। मा0 विधायक ने हिन्दू बाल्मीकि, धोबी, सोनकर आदि के समान कार्य करने वाले मुस्लिम मेहतर, कुजड़ा, धोबी, नट, कंकाली, पसिया, फकीर आदि को प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने तथा इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा उक्त सूचना को उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए इस विषय पर वक्तव्य दिये जाने हेतु दि0 06-08-04 की तिथि निर्धारित की गयी है।

3-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जैसा कि मा0 सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1935 से 1950 तक देश में सभी धर्मों के दलितों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य था, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के उपरान्त यह कथन अप्रासंगिक है और मान्य नहीं है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता के दृष्टिगत समान कार्य करने के आधार पर भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

4-इस सम्बन्ध में "संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950" के पैरा-3 में यह प्राविधान है कि अन्य बातों के रहते हुए भी हिन्दू अथवा सिख धर्म से भिन्न धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं होंगे।]

जनपद बस्ती में बी0 एड0/एल0 टी0 डिग्री धारकों की नियुक्तियों को बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री राम करन आर्य, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा माने लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... जनपद बस्ती मे बी0एड0/एल0टी0 डिग्रीधारी युवकों की सुश्री मायावती के शासन काल में नियुक्ति की गयी। इस नियुक्ति के लिये बाकायदा मा0 मुख्य मंत्री और मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री के लिखित आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती ने नियुक्त किया था । यह नियुक्ति एकल विद्यालय में की गयी थी यहां तक नियुक्ति के बाद लगभग तीन माह तक अध्यापकों ने अध्यापन कार्य भी किया मगर इसके बाद इन अध्यापकों को निकाल दिया और जबकि यह नियुक्ति अनियमित ढंग से की गयी है। बस्ती जनपद की तरह गोरखपुर, बुलन्दशहर में 81 बहराइच में 264 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी और सभी को निकाल दिया गया था यह सभी दर-दर भटक रहे हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 10-4-04 को आधार लेते हुए तथा उक्त शासनादेश का गलत अर्थ लगाते हुए जनपद बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, बहराइच व बुलन्दशहर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनियमित ढंग से शिक्षकों की भर्ती कर ली गयी थी, जांचोपरान्त यह पाया गया कि जो नियुक्तियां की गयी हैं वह अनियमित व नियमावली के प्राविधानों के विपरीत जाकर की गयी हैं। इस कारण दिनांक 7-8-2003 को शासन द्वारा इन नियुक्तियों को प्रारम्भ

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से ही शून्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकायें योजित की गयीं। याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश प्रदान की गयी है कि इन अध्यापकों द्वारा जितने दिन काम किया गया है। उक्त अवधि का वेतन भुगतान किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में पुनर्विचार याचिका (विशेष अपील) शासन द्वारा योजित की गयी है। वर्तमान में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।]

लखनऊ में विशिष्ट बी0 टी0 सी0 में चयनित महिलाओं व विकलांगों को प्रशिक्षण हेतु लखनऊ से बाहर न भेजे जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 4-08-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि लखनऊ.....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... के विशिष्ट बी0टी0सी0 में चयनित अध्यापकों व अध्यापिकाओं (पिछड़ी व सामान्य जाति) को क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु लखनऊ के बाहर अन्य जनपदों में भेजा जा रहा है। महिलाओं व विकलांगों को घोर असुविधाओं, कष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-159/79-5-2004-127/97 टी0सी0 दिनांक 14 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या-533/79-5-2004-127/97 टी0 सी0 दिनांक 20 फरवरी, 2004 के अनुसार 46, 189 पदों हेतु विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 की व्यवस्था की गयी। निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 हेतु 46, 189 पदों के सापेक्ष 41, 450 प्रशिक्षणार्थियों की विचाराधीन सूची जारी की गयी थी। मण्डलीय जांच समिति द्वारा जांचोपरान्त सही पाये गये। 32,272 अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु जारी की गयी। शासनादेश संख्या-2166/79-5-2004-127/97 टी0सी0 दिनांक 2 जुलाई, 2004 में उल्लिखित के अनुसार प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु अनन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में श्रेष्ठता क्रम से 100-100 के दो फेरों में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया तथा शेष अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध हेतु सम्बद्ध करने के निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पत्रांक : रा0शै0/3900-4048/2004-05 दिनांक 11-7-2004 के अनुसार प्रेषित किया गया।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ जनपद में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 हेतु चयनित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1139 में 100-100 में दो फेरे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में एवं 100-100 के दो फेरे कालेज आफ टीचर एजूकेशन, लखनऊ में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित किये गये अभ्यर्थियों की सूची प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में सम्बद्ध करने हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को प्रेषित की गयी तथा संदर्भित शासनादेश दिनांक 2-7-2004 के अनुक्रम में बन्द विद्यालयों, एकल अध्यापिकीय विद्यालयों तथा अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में सम्बद्ध करने के निर्देश भी दिये गये। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2004 द्वारा जनपदों में बन्द, एकल तथा अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची जनपदवार प्रेषित की गयी थी, जिसमें लखनऊ जनपद में 36 बन्द, 170 एकल एवं 182 अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की संख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार न्यूनतम 388 प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती थी।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने तथा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के प्रति रिक्त पदों के कमी के कारण लखनऊ जनपद के सभी अभ्यर्थियों का सम्बद्धीकरण लखनऊ में नहीं किया जा सका है। मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र दिनांक 3-8-2004 के अनुसार कुल 140 अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धीकरण की कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य की भावनाओं का सम्मादर करते हुए शासन स्तर पर सम्प्रति विचार किया जा रहा है।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील कोराव के ग्राम बड़ोखर में ग्राम-समाज की भूमि को बिना प्रस्ताव पास किये परगनाधिकारी द्वारा आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का अनुरोध प्राप्त हो गया है, इसे स्थगित किया गया।

जनपद जालौन की कालपी तहसील परिसर में स्थित नलकूप संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कालपी जनपद जालौन में तहसील परिसर के पेयजल आपूर्ति....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा माने लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... हेतु स्थापित नलकूप के विद्युत संयोजन के संबंध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा अवगत कराया गया है कि नलकूप के उर्जीकरण हेतु सामग्री की व्यवस्था की जा रही है एवं लगभग दो माह में नलकूप को उर्जीकरण कर दिया जायेगा।]

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री विश्राम सिंह यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद हरदोई...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[की तहसील बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु जिला योजना के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन/परिव्यय स्वीकृत किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम के निर्माण हेतु वर्ष 2003-2004 में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन किया गया परन्तु परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त वर्ष में इस भवन के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं हो सका। पुनः वित्तीय वर्ष 2004-05 में उक्त भवन के निर्माण हेतु जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं परिव्यय उपलब्ध हो गया है तथा आवश्यक धनराशि की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद गोण्डा स्थित बन्द पड़ी मैजापुर चीनी मिल को प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत कर चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद गोण्डा स्थित मैजापुर चीनी मिल, जिला प्रशासन द्वारा....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... अधिग्रहीत कर चलाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैजापुर चीनी मिल, पेराई सत्र 2002-2003 से बन्द है। गन्ना मूल्य मद में रु0 1538.14 लाख बकाया है। चीनी मिल के

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विरुद्ध दिनांक 12-8-2002 को इस धनराशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया गया। जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा चीनी मिल की सम्पत्ति की कुर्की करके वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इसके विरुद्ध इलाहाबाद बैंक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को चीनी की बिक्री करके धनराशि मा0 उच्च न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह तय किया जायेगा कि किस पक्ष को कितनी धनराशि देनी है। चीनी मिल के पास कुल 148239 कुन्टल चीनी का स्टाक था जिसमें से 1,10,000 कुन्टल चीनी की नीलामी की जा चुकी है जिसमें से 70,000 कुन्टल चीनी क्रेताओं ने धनराशि जमा करके उठा ली है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये निजी क्षेत्र की इस चीनी मिल को न तो पैकेज के रूप में 15.38 करोड़ की धनराशि दिया जाना और न अधिग्रहीत कर पुर्नसंचालन किया जाना सम्भव है।]

जनपद सीतापुर के ग्राम रतौली एवं अन्य ग्रामों के घाघरा नदी की कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को स्थगित किया जाता है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम रिठुआखोर निवासिनी सुमन पुत्री श्री लाल जी के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नोटिस में सूचित किया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र ..

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[.... सहजनवा, जिला गोरखपुर के ग्राम रिठुआखोर की निवासिनी सुमन पुत्री श्री लालजी के घर दिनांक 11-7-04 को आधी रात में चौकी प्रभारी घघसरा श्री राजेश कुमार अकारण घुस आये और उनकी मां को गाली देकर पिटाई करने लगे और सुमन के गुप्तांग में लाठी डाल दी। निर्दोष पड़ोसी शंकर को चौकी से छोड़ने के लिये चौकी प्रभारी द्वारा रु0 2,000/- लिये गये। इस घटना से जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर की आख्या के अनुसार वासुदेव दाढ़ी पुत्र श्री अकालू निवासी रिठुआखोर, क्षेत्रान्तर्गत चौकी घघसरा के विरुद्ध न्यायालय संख्या-13, जनपद गोरखपुर द्वारा एक आपराधिक वाद संख्या एस0 टी0-2002 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम में गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इस वारंट की तामीली हेतु चौकी प्रभारी घघसरा ने अभियुक्त के घर पर दबिश दी किन्तु वह मौजूद नहीं मिला। पुनः अभियुक्त के लालजी के घर पर छिपे होने की सूचना पर दबिश दी गई किन्तु वहां वासुदेव नहीं मिला अतः प्रभारी चौकी वापस आ गये। उल्लेखनीय है कि वासुदेव, थाना सहजनवा का मजारिया दुराचारी है।

जहां तक नोटिस में लालजी की पुत्री सुमन तथा उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, गोरखपुर द्वारा उक्त सुमन और उसके पिता लालजी तथा उनके बड़े पिता मुन्नी लाल का बयान दर्ज किया गया और घटना के सम्बन्ध में पूछतांछ की गई। सुमन व सुमन के पिता तथा सुमन के बड़े पिता द्वारा कथित घटना के घटित होने और पुलिस द्वारा कोई अभद्र व्यवहार किये जाने से इन्कार किया गया है।]

प्रदेश के छोटे किसानों को एक से पांच हार्स पावर के निजी नलकूपों के लिये विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की विद्युत आपूर्ति संगिता-2002 के अनुसार ..

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... सिंचाई एवं कृषि कार्य हेतु तीन फेज पर विद्युत आपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है एवं ऐसे उपभोक्ता विद्युत दर सूची श्रेणी एल0 एम0 वी0 5 (निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये लागू) से आच्छादित होते हैं। इस दर सूची के अन्तर्गत बिना मीटर आपूर्ति हेतु फिक्स रेट के आधार पर प्रति अश्वशक्ति प्रति माह विद्युत प्रभार लिये जाने का प्राविधान है।

यदि कृषि कार्य के लिये कृषक एक फेज पर विद्युत आपूर्ति लेते हैं तो वे अघरेलू (वाणिज्यिक) उपभोक्ताओं के लिये लागू दर सूची एल0 एम0 वी0-2 से आच्छादित होंगे। इस दर सूची (एल0 एम0 वी0-2) की दरें एल0 एम0 वी0-5 की दरों से अधिक हैं।

उपरोक्त प्राविधान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अन्तर्गत लागू है जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यदि पांच अश्व शक्ति तक के कृषक सिंचाई कार्य हेतु तीन फेज पर संयोजन लेते हैं तो उनकी विलिंग उपरोक्तानुसार दर सूची श्रेणी एल0 एम0 वी-5 के अनुसार ही होगी]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को भी स्थगित किया गया है।

जनपद लखीमपुर के ग्राम घोसियाना लखीमपुर देहात स्थित उल नदी के कटान से क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को भी स्थगित किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ की जिला समिति द्वारा विद्यालयों के निर्माण हेतु चयनित स्थलों पर विद्यालयों का निर्माण न कराये जाने से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी ...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उन्होंने नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्थल का प्रस्ताव जिला समिति को दिया गया जो कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कर दिया गया। कुछ स्थानों पर भूमि का विवाद उत्पन्न होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को मा0 सदस्य के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तथा स्वयं भी लिखा गया, किन्तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा स्थल परिवर्तन हेतु लिखित अथवा मौखिक रूप से रोक लगायी गयी। कदाचित जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ न तो अध्यक्ष हैं और न ही सचिव। ऐसी स्थिति में उनका हस्तक्षेप निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध माना जायेगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि नवीन प्रा0 विद्यालय पतरा विकास खण्ड आसपुर देवसरा में भूमि विवाद के कारण प्रस्तावित स्थल परिवर्तन अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य विधान सभा क्षेत्रों में जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया।

इस संबंध में अवगत कराना है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2003-04 में कुल 56 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुये थे, जिसकी स्थापना हेतु अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा समिति/अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 21-11-2003 को जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 विधायक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

"मोती सिंह" की संस्तुति पर ग्राम पतरा, विकास क्षेत्र आसपुर देवसरा में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुआ।

उक्त विद्यालय की स्थापना हेतु धनराशि भी निर्गत की गयी, परन्तु विद्यालय निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। तत्पश्चात् मा0 विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा पत्र दिनांक 8-7-2004 द्वारा ग्राम पतरा में भूमि न होने के कारण प्राथमिक विद्यालय ग्राम विक्रम पट्टी में बनवाने के संशोधन हेतु अनुरोध किया गया। मा0 विधायक के प्रतिनिधि के पत्र पर अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा आख्या मांगी गयी, जिसके अनुक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28-7-2004 को प्राथमिक विद्यालय पतरा के स्थल परिवर्तन हेतु पत्रावली अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा समिति अध्यक्ष, जिला पंचायत को आख्या सहित प्रस्तुत की गयी। अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा दिनांक 4-8-2004 को यह आदेश दिये गये है कि "क्योंकि यह विद्यालय की स्वीकृति पुरानी हो चुकी है और विवादित भी हो चुका है। मेरे संज्ञान में यह आया है कि कुछ नये स्कूल खोलने हैं ऐसी स्थिति में इसे भी जिला बेसिक शिक्षा समिति में विचारार्थ रखा जाय।"

नवीन विद्यालय हेतु ग्राम का चयन तथा परिवर्तन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा समिति को है। जिलाधिकारी द्वारा परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगायी गयी है।]

मेरठ शहर के पटेल नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा सहायता तथा पुनर्वास विभाग की भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को भी स्थगित किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ स्थित प्रसिद्ध कल्हौरा आजम के पास टोंस नदी पर लकड़ी का पुल तथा निजामपुर के पास मुझई नदी पर लकड़ी का पुल तथा शेरजहांपुर में कुंवर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद आजमगढ़ (ब्लाक फूलपुर) में बेलारपुर खजहांपुर मार्ग पर कुंवर नदी पर ...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... 30.00 मीटर लम्बे सेतु एवं दोनों ओर 200-200 मीटर पहुंच मार्ग सहित प्रस्ताव लागत रु0 83.33 लाख परीक्षणाधीन तथा इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

आजमगढ़ में अहरौला के ब्लाक कल्हौर आश्रम के समीप टोन्स नदी पर 79.4 मीटर लम्बे सेतु एवं 200-200 पहुंच मार्ग निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु0 280.00 लाख का आंगणन परीक्षणाधीन है तथा इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ में निजामपुर घाट पर मझुई नदी पर 58.4 मीटर लम्बे पक्के सेतु एवं 200-200 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लागत लगभग रु0 140.00 लाख का आंगणन परीक्षणाधीन है तथा इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जून 2001 से 2003 के मध्य सेवा निवृत्त प्राइमरी शिक्षिकाओं/शिक्षकों को पेंशन अनुमन्य न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत प्रेषित सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जून, 2004 ...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन अनुमन्य है लेकिन जून, 2001 से जून, 2003 के मध्य सेवानिवृत्ति शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन अनुमन्य नहीं है। यह एक विसंगति है।

मा0 सदस्य की सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन की सुविधा शासनादेश दिनांक 28-1-2004 के द्वारा अनुमन्य की गयी है। इस शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि यह लाभ आदेश निर्गमन की तिथि से अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को ही अनुमन्य होंगे तथा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा वही मानी जाएगी जिस अवधि के लिए सी0पी0एफ/जी0पी0एफ अंशदान कटा हो। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 28-1-2004 की व्यवस्थानुसार शासनादेश निर्गमन की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को यह लाभ दिया जाना संभव नहीं है।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, सदन को सूचना देनी थी, जून, 2001 से जून, 2003 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेन्शन अनुमन्य नहीं की गयी है, इन बीच के तीन वर्षों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा।

जनपद पीलीभीत स्थित अवंतीबाई जिला पंचायत इण्टर कालेज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत स्थित अवंतीबाई जिला पंचायत इण्टर कालेज को वित्तीय सहायता देने पर विचार करेंगे ?

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 ...

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा वर्ष 1999 से संचालित अवन्तीबाई जिला पंचायत, इण्टर कालेज, पीलीभीत की शिक्षिकाओं को मानदेय भुगतान किये जाने के लिये जिला पंचायत, पीलीभीत वित्त विहीन होने के कारण अपने को सक्षम नहीं पा रही है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि वीरांगना अवन्तीबाई बालिका इन्टर कालेज, पीलीभीत की प्रधानाचार्या को प्रतिमाह रु0 4000/- तथा शिक्षिकाओं को रु0 3000/- निर्धारित मानदेय का भुगतान विद्यालय को प्राप्त होने वाले शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त जिला पंचायत से अंश मिला कर जिलानिधि से किया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि जिला पंचायत, पीलीभीत द्वारा प्रधानाचार्या, शिक्षिकाओं व अन्य कर्मचारियों के पदों का सृजन कराये बिना ही मानदेय पर अनाधिकृत रूप से नियुक्तियां की गई है। शासन के पत्र संख्या-07 वीएम/33-2-2003-48 बी(2)/94 दिनांक 10 जून, 2003 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत, पीलीभीत को यह परामर्श दिया गया है कि वे उक्त विद्यालय की शिक्षिकाओं को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों/शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार जिला पंचायत के निजी स्रोतों से अर्जित आय से वेतनादि का भुगतान किया जाय।]

कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा सु0श्री मनमोहन कुमारी मल्होत्रा विकलांग व वृद्ध महिला के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूर्व घोषित विभिन्न निर्माण कार्य पेयजल एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 9 जून, 2001 को मा0 श्री राजनाथ सिंह, तत्कालीन ...

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा माना जाता हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मा0 मुख्य मंत्री जी ने जनपद प्रतापगढ़ का भ्रमण किया था और उक्त भ्रमण के अवसर पर उनके द्वारा कतिपय घोषणायें की गई थी। तद्नुसार मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं को ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, न्याय, राजस्व तथा अभाव, लोक निर्माण, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, राजनैतिक पेंशन, संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास तथा मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 आदि विभागों को पत्र भेज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध घोषणा प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव से किया गया था। प्रश्नगत घोषणाओं में निहित कार्यों के क्रियान्वयन एवं धनराशि की स्वीकृति के संबंध में अद्यावधिक स्थिति की जानकारी संबंधित विभागों के द्वारा दी जा सकती है।

2-मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" ने अपने पत्र दिनांक 5-11-2001 द्वारा कतिपय घोषणाओं को शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी से किया था। उक्त घोषणाओं पर तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी का यथा अपेक्षित अनुमोदन तत्समय पत्रावली पर प्राप्त नहीं हुआ था। इस विषय में मा0 सदस्य को पत्र संख्या मुमस/476/अधि0/घोषणा/आर.एन.-70/2001 दिनांक 30-12-2002 द्वारा अवगत भी कराया जा चुका है।]

जनपद हरदोई के ढकपुरा गांव के पास कुण्डा नाले पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर की तहसील ...

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... सवायज में अम्बेडकर ग्राम ढकपुरा के निकट कुण्डा नाला पर 150 मीटर लम्बाई के सबमर्सिबल सेतु एवं 5.00 कि0मी0 अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1989ई/23-11-2003-25ई/2003, दिनांक 31-05-03 द्वारा रु0 248.52 लाख की लागत

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रु0 62.13 लाख की धनराशि वर्ष 2003-04 में आवंटित की गई थी। स्वीकृत सेतु का तकनीकी परीक्षण कराने पर यह पाया गया कि यह सेतु सबमर्सिबल सेतु होने के कारण तथा अधिक बाढ़ के समय डूब जाने के कारण इस सेतु से वर्ष भर यातायात उपलब्ध नहीं हो सकेगा। यह भी पाया गया कि सेतु स्थल पर वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय पानी सूख जाता है एवं यातायात बिना किसी कटिनाई के नाले पर चालू रहता है। प्रस्तावित सेतु से लाभान्वित होने वाली आबादी भी अत्यन्त सीमित है।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि सेतु निर्माण के पश्चात् भी पूरे वर्ष अवाध रूप से आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लाभान्वित होने वाली सीमित आबादी एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस सेतु की स्वीकृति के औचित्य पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अतः पुल निर्माण के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से गांवों को बचाने हेतु बांध बनाए जाने विषयक श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना तथा जनपद फतेहपुर को सूखा ग्रस्त घोषित करने एवं सरकारी देयों की वसूली माफ किये जाने विषयक श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद संख्या-65 एवं 66 स्थगित है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अप्रेन्टिस शुदा नौजवानों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... अप्रेन्टिस शुदा नौजवानों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-01-1995 के अनुपालन में सफलतापूर्वक अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के अवसर पर अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा वरीयता दिये जाने का निर्णय शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-1070/का-1/1996, दिनांक 12-9-96 में लिया गया था, जिसमें यह आदेश दिये गये थे कि सम्बन्धित संस्थानों द्वारा अपने अधीन प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की एक सूची तैयार की जाय तथा पूर्व प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं मे वरिष्ठ माना जाय अर्थात प्रशिक्षुओं में उस व्यक्ति को वरीयता दी जाय जिसने पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 12-1-1995 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12-9-1996 के अनुपालन में सम्बन्धित अनुभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही थी कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-24009/98-अरुण कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-7-1998 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 12-9-1996 तथा श्रम अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2818/36-6-97-131(बी)/97, दिनांक 3-1-1998 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के अनुपालन में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-3281/का-3-98-13/90/98, दिनांक 10-8-1998 निर्गत किया गया।

3-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने रिट याचिका संख्या-24009/98-अरुण कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (1999) (2) (ई0एस0सी01394) में दिनांक 27-5-1999 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया है, जो सभी विभागों एवं निगमों पर लागू होता है, जिसके अनुसार सम्बन्धित प्रशिक्षुगणों को भी सम्बन्धित सेवायोजकों के नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या टेस्ट में सम्मिलित होना अपेक्षित है एवं सलेक्शन टेस्ट के उपरान्त जब उनमें से कोई प्रशिक्षु अभ्यर्थी किसी गैर अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों के समान पाया जाय सिर्फ तभी उस अप्रेन्टिस प्रशिक्षु को वरीयता दी जायेगी।

4-उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-66/का-3-2000-13-90/98, दिनांक 24-3-2000 को जारी किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अप्रेन्टिसशुदा नौजवानों को सीधी भर्ती/नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से विस्थापित गांवों को आवासीय भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

कानपुर रोड, इलाहाबाद शहर के मोहल्ला कहार गल्ला के लिए नये विद्युत ट्रान्सफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसमें कहना है कि इलाहाबाद में मोहल्ला कहारगल्ला, कानपुर रोड का पूरा एरिया आजादी के 56 साल बाद भी आज बिजली से महरूम है। वहां बिजली नहीं हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय गौर साहब आप भी तो पिछले 5 सालों में वहां बिजली नहीं पहुंचा सके। हम उसमें बिजली पहुंचा देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मोहल्ला कहारगल्ला, कानपुर रोड इलाहाबाद.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... का पूर्ण क्षेत्र कैन्टोनमेन्ट एरिया के अन्तर्गत आता है, वहां जो भी विद्युत लाईन स्थित है, वह मिलेट्री कैन्टोनमेन्ट एरिया, इलाहाबाद से संबंधित है।

इस संबंध में मिलेट्री के कैन्टोनमेन्ट इलाहाबाद से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु अनेकों बार पूर्व में अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

अतएव उपरोक्त मोहल्ले में विद्युत का विस्तार करना निगम स्तर पर सम्भव नहीं हो पा रहा है।]

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में गंगा किनारे शवदाह स्थल के सुधार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

प्रदेश की कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य श्री राम कृपाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह अवगत कराते हुए....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[... कि उ0 प्र0 में निवास करने वाली कोल जाति को जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है जबकि प्रदेश की सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश के अन्दर निवास करने वाले कोल जाति के लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उ0 प्र0, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ रीवा जनपद के निवासी कोलों की इलाहाबाद जनपद के कोलों से शादी होती है। जब उ0 प्र0 की लड़की की शादी मध्य प्रदेश के कोलों से होती है तो वह जनजाति की दर्जा प्राप्त करती है और जब मध्य प्रदेश, जहां पर कोलों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है, की लड़की इलाहाबाद के कोलों से शादी करती है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुरूप बराबरी का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए इस मामले पर विचार कर उ0 प्र0 के कोलों को जनजाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने तथा इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग मा0 विधायक द्वारा की गयी।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत मा0 विधायक द्वारा दी गयी उक्त सूचना को स्वीकार करते हुए इस विषय पर वक्तव्य दिये जाने हेतु दिनांक 6-8-04 की तिथि निर्धारित की गयी है।

3-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में निवासरत कोल जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के बिन्दु पर निदेशक, अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ से सर्वेक्षण कराया गया। उक्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण आख्या के माध्यम से प्रस्तुत किये गये तथ्यों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा कोल जाति को प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति दिनांक 05 मार्च, 2004 को केन्द्र सरकार को भेजी गयी है। किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।]

जनपद लखीमपुर खीरी में चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद इलाहाबाद के मेसर्स त्रिवेणी ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0 इरादतगंज के प्रबन्ध तंत्र द्वारा मजदूरों के निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद इलाहाबाद में स्थित मे0 त्रिवेणी ग्लास वर्क्स.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... प्रा0 लि0, इरादतगंज, इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए 376 मजदूरों को समझौता के उपरान्त निकाले जाने एवं गैर लाइसेंसी ठेकेदारों/दैनिक मजदूरों से स्थायी प्रकृति के कार्यों को 35-40 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन किये जाने की सूचना देते हुए ध्यान आकर्षित कराया गया है।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि जनपद इलाहाबाद स्थित मे0 त्रिवेणी ग्लास लि0, कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं शीशे का निर्माण करने वाली निजी क्षेत्र की लगभग 750 कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठान है। प्रबन्धकों द्वारा दी गयी सूचना के

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसार कारखाने के प्लांट नं0-5 की भट्टी (फ्लोट ग्लास) दिनांक 22-2-2004 को रात्रि 10.00 बजे अचानक टूट जाने के फलस्वरूप प्लांट में सम्बन्धित यूनिट से उत्पादन कार्य बन्द होने पर 160 श्रमिकों को बैठकी हेतु नोटिस दिनांक 5-3-2004 को कारखाने में लगाते हुए सूचित किया गया कि प्लांट में मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर श्रमिकों को पुनः ड्यूटी पर वापस लिया जायेगा तथा बैठकी की अवधि में श्रमिकों को नियमानुसार बैठकी भत्ते का भुगतान किया जायेगा। उक्त नोटिस का श्रमिक संगठनों द्वारा विरोध किया गया। विवाद के समाधान हेतु दिनांक 18 एवं 23 जून, 2004 को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष उभय पक्षों की वार्ता करायी गयी। प्रतिष्ठान की इकाई संख्या-5 को छोड़ कर शेष इकाइयों में उत्पादन कार्य जारी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा आज दिनांक 06-08-2004 को श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य वार्ता करायी जा रही है।]

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत पुरवा मजरा गंगा बेहड़ निवासी अमीन का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने विषयक श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक खीरी.....

परिहवन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[.... से प्राप्त आख्या के अनुसार थाना निघासन से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 20-7-04 को समय 20.30 बजे एक उप निरीक्षक एवं दो आरक्षी थाना निघासन से वास्ते रोड गश्त तथा वांछित अभियुक्त की तलाश में रवाना हुए थे। दिनांक 21-7-04 को थाना वापस आते समय ग्राम लोधपुरवा की ओर से एक व्यक्ति बोरी में सामान लेकर आते दिखाई दिया। पुलिस को देखकर पीछे की तरफ मुड़कर तेजी से जाने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आशंका पर रोकने का प्रयास करने पर तथा रुकने पर दौड़ाकर घेर कर लोधपुरवा मोड़ ग्राम खैरहना के पास समय 5.45 बजे प्रातः पकड़ा गया । नाम पूछने पर अमीम पुत्र जलालुद्दीन निवासी द्वारिका पुरवा थाना निघासन बताया। नियमानुसार अमीम की जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से बोरी में 5 किलोग्राम गांजा (मादक वस्तु) बरामद हुई। अमीम का उक्त कार्य एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट की धारा 8/18 अन्तर्गत अपराध पाकर अमीम को हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त अमीम के विरुद्ध मु0अ0सं0 331/04 धारा 8/18 नारकोटिक्स अधिनियम, दिनांक 21-7-04 समय 7.45 बजे प्रातः पंजीकृत कर उसे जेल भेजा गया। अभियुक्त अमीम के सम्बन्ध में थाना निघासन पुलिस पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार हैं।

उल्लेखनीय है कि यह अभियुक्त अपराधिक प्रवृत्ति का है जिसके विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग पूर्व में भी पंजीकृत हुए हैं :--

1-मु0अ0सं0-2-01 धारा 307 भा0द0वि0 थाना तिकुनिया, जनपद खीरी।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मु0अ0सं0-26/01 धारा 308/325 भा0द0वि0 थाना निघासन, जनपद खीरी।
3-मु0अ0सं0-92/01 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 थाना निघासन, जनपद खीरी।
4-मु0अ0सं0/334/01 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना निघासन, जनपद खीरी।
इस प्रकार उपरोक्त व्यक्ति को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप सही नहीं है।]

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पिथौरा का भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 3-08-04 को नियम-51.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद सुल्तानपुर के वि0 खं0 दुबेपुर, कुड़वार एवं नगर में स्थित सरकारी प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन की स्थिति अत्यधिक खराब है। इनकी छतें टपकती हैं, किसी भी समय छत गिर सकती है। ऐसे ही विकास खण्ड दुबेपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय पिकौरा का भवन फरवरी, 2004 में गिर गया, संयोग ही था कि रविवार का दिन था अन्यथा पढ़ने वाले बहुत से मासूम बच्चों की जानें जाती। नया शिक्षा सत्र 2004-05 प्रारम्भ हो गया है। जनहित में प्राथमिक विद्यालय पिकौरा का भवन निर्माण नितान्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2004 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर, कुड़वार एवं नगर क्षेत्र में स्थित परिषदीय प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की स्थिति खराब नहीं है और न ही सबकी छत टपकती है, अतएव ऐसी स्थिति में छत गिरने की सम्भवना नहीं है। जनपद में संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को उनके लघु मरम्मत एवं रंगाई-पुताई हेतु रु0 5,000/- प्रति वर्ष ग्राम शिक्षा निधि के खाते में भेजा जाता है जिससे विद्यालय की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य होता है। जहां तक विकास खण्ड दुबेपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय पिकौरा का संदर्भ है, विद्यालय भवन अति जीर्ण-शीर्ण होने एवं अतिवृष्टि होने के कारण माह अगस्त, 2003 में गिर गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। विद्यालय भवन का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व का है, अतएव यथाशीघ्र इसका जर्जर भवनों में चयन कराकर निर्माण करा दिया जायेगा।]

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कांठ के ग्राम पडरीलाल के प्राथमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री अवशेध कुमार वर्मा.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिह राणा)-

मान्यवर, इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद शाहजहांपुर की उनकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पडरीलाल, विकास क्षेत्र कांठ का प्राथमिक विद्यालय जर्जर एवं गिराऊ हालत में है कभी भी दुर्घटना हो सकती है जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ घटना घट सकती है। जर्जर विद्यालय के स्थान पर नया भवन बनाने हेतु धन स्वीकृत है। नया भवन न बनाये जाने के कारण जनता में आक्रोश है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय पडरीलाल विकास खण्ड कांठ जनपद शाहजहांपुर के भवन का स्थलीय निरीक्षण श्री देवेन्द्र प्रकाश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर एवं एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया गया। संदर्भगत विद्यालय वर्ष 1966-67 में निर्मित हुआ था, जर्जर अवस्था में है, विद्यालय के बड़े कमरे की छत चटकी हुई है। दीवारे जीर्ण-शीर्ण हैं वर्तमान में विद्यालय में 01 प्रधानाध्यापक, 01 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तथा छात्र संख्या लगभग 88 है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार भवन निर्माण की कार्यवाही करायी जायेगी, सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों को आस-पास के विद्यालय में फिलहाल स्थानान्तरित करने की कार्यवाही भी की जायेगी।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में गृह विभाग के स्थानान्तरित अनुसचिव को गृह विभाग द्वारा कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में 07 वर्ष.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

इसको पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... से अधिक की अवधि से तैनात उ0 प्र0 सचिवालय के गृह विभाग में कार्यरत एक अनु सचिव के विरुद्ध तत्कालीन परिवहन मंत्री एवं मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त शिकायतों पर समुचित जांच न करने तथा गृह विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करते हुए उक्त अधिकारी को गृह विभाग से कार्य मुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया गया है।

2-इस परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग में कार्यरत उक्त अनु सचिव के विरुद्ध मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तत्कालीन परिवहन मंत्री एवं राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा के शिकायती पत्रों पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, गृह विभाग को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे। मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में गृह विभाग द्वारा प्रश्नगत शिकायती-पत्रों में उल्लिखित आरोपों पर उक्त अनु सचिव का स्पष्टीकरण प्राप्त कर एवं समुचित स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त सक्षम स्तर द्वारा उक्त अनु सचिव के विरुद्ध जांच समाप्त करने के साथ-साथ यह भी आदेश दिये गये कि यदि उक्त अनु सचिव का कार्यकाल गृह विभाग में पूर्ण हो गया हो तो अन्यत्र स्थानान्तण करने पर विचार कर लिया जाय। फलस्वरूप उक्त आदेशों के संगत उद्धरण सचिवालय प्रशासन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजे गये। इस प्रकार उक्त अनु सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में पारित मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन गृह विभाग द्वारा किया गया है।

3-उक्त अनु सचिव ने अनुभाग अधिकारी के पद पर दिनांक 08-10-1997 को गृह विभाग में अपना योगदान दिया था और दिनांक 21-2-1998 को अनु सचिव के पद पर प्रोन्नत हुए थे। इस प्रकार स्थानान्तरण नीति में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में उक्त अनु सचिव का कार्यकाल गृह विभाग में दिनांक 07-10-2004 को पूर्ण होता है। अतः उक्त अनु सचिव का कार्यकाल गृह विभाग में 07 वर्ष का पूरा नहीं हुआ है।

4-गृह विभाग के उक्त अनु सचिव का स्थानान्तरण सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10-6-2004 द्वारा सतर्कता विभाग में किया गया है और इनके प्रतिस्थानी अनु सचिव को अन्य विभाग से गृह विभाग में तैनात करने के आदेश सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं किन्तु सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश के क्रम में उक्त प्रतिस्थानी द्वारा गृह विभाग में अभी तक योगदान नहीं दिया गया है। अतः गृह विभाग के कार्यों की प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय कार्यों के हित में उक्त अनु सचिव को कार्यमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो सका है और इसकी सूचना प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को गृह विभाग द्वारा दी जा चुकी है तथा उक्त अनु सचिव के प्रतिस्थानी को गृह विभाग में योगदान हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध भी उनसे किया गया है । इस प्रकार उक्त अनु सचिव को गृह विभाग द्वारा संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।]

प्रदेश के स्थानीय निकायों व नगर निगमों में शासन द्वारा निर्धारित नियमावली का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 विधान सभा सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी.....

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... ने नियम-51 के अन्तर्गत उ0 प्र0 के स्थानीय निकायों व नगर निगमों के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नियमावली (उ0 प्र0 नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली-2000 यथा संशोधित-2002) की प्रक्रिया के अनुसार स्वकर प्रणाली लागू न करने का तथ्य इंगित करते हुए इस आशय का उल्लेख किया है कि नगर आयुक्त द्वारा सर्किल रेट के आधार पर न्यूनतम किराया निर्धारण कर जनता के शोषण की कुचेष्टा की जा रही है।

इस सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ से स्थिति स्पष्ट करायी गयी उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :--

नगर निगम, मेरठ में दिनांक 01-04-03 से स्वकर निर्धारण प्रणाली को जनहित में सरलीकरण करते हुए मोहल्लेवार विकसित, अर्द्ध विकसित एवं अविकसित में विभाजित करते हुए लागू किया गया था। मेरठ नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन स्तर पर इस प्रणाली के नियम विरुद्ध होने की शिकायत की गई थी, जिस पर शासन के पत्र संख्या-112/नौ-9-2004, दिनांक 09-2-2004 द्वारा नियमानुसार उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 तथा उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002 के अनुरूप स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू करने को आदेशित किया गया।

शासन के उपर्युक्त निर्देश पर उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2002 की धारा-4(क)(एक) व (दो) के अनुसार कलेक्टर, मेरठ द्वारा न्यूनतम मासिक किराया दर के आधार पर दिनांक 25 मार्च, 2004 को स्वकर निर्धारण की दरें प्रकाशित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्राप्त आपत्तियों की दिनांक 12 अप्रैल, 2004 को सुनवाई की गयी और उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त स्वकर निर्धारण की दरें आगामी दो वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2006 तक के लिये [नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174(1)(ख)] के अनुसार दिनांक 01 व 02 मई, 2004 को क्रमशः "दैनिक जागरण" व "दैनिक प्रभात" नामक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 174(1)(ख) के अनुसार व उ0 प्र0 नगर निगम, सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 तथा उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002 की धारा 4(क) में स्वकर निर्धारण की दरें निर्धारित करने हेतु नगर आयुक्त को ही अधिकृत किया गया है।]

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत है।

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरठ नगर निगम में धांधली की जा रही है, मेरठ नगर निगम में शासन द्वारा निर्धारित नियमावली (उ0 प्र0 नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 यथासंशोधित 2002) का पालन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, एक अप्रैल को नियमों के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी हुई कि जो पहले की नियमावली की दरों को लागू न करके उन्होंने सर्किल रेट की दरें लागू की हैं। मैं चाहता हूं कि नगर आयुक्त को निर्देश दें कि वह निर्धारित दरों को लागू करा दें, सर्किल रेट पर दरें लागू करने से काम हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं मैं इसको दिखवा लूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि न्यूनतम किराया सर्कुलर रेट के आधार पर नहीं होगा कृपा करके इसका संरक्षण दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इससे असहमति नहीं जता रहा हूं।

जनपद गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर में माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको स्थगित रखा जाता है।

जनपद गाजियाबाद की गन्ना सहकारी समिति थौलाना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्राप्त सूचनानुसार जनपद गाजियाबाद की सहकारी.....

एक सदस्य-

इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[गन्ना समिति थौलाना में वर्ष 2003 में किसी कर्मचारी द्वारा गबन नहीं किया गया है। वर्ष 2001 में रु0 बीस हजार की अनियमितता का मामला प्रकाश में आने पर समिति के आरोपित दो सामयिक कर्मचारी श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री विरेन्द्र सिंह को फरवरी, 2002 से निलम्बित करते हुए

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रतिस्थापित कर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सिम्भावली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

उ0प्र0 सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के नियम-27, जिसमें सामयिक कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिस्थापित अनुशासनिक कार्यवाही पेराई सत्र समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर पदारूढ़ किये जाने अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाने का प्राविधान है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित प्रकरण में आरोपी कर्मचारियों को पेन्डिंग डिसीजन/लम्बित पदारूढ़ किया गया। जांच अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाने पर ही प्रश्नगत धनराशि की वसूली आदि की कार्यवाही की जायेगी। गन्ना विकास समितियां स्वायतशासी संस्थायें हैं। अतः इनके कर्मचारियों को एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरण का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।]

पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

शासनादेश संख्या-742/15-13-94-1499.....

एक सदस्य-

इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... शासनादेश संख्या-742/15-13-94-1499(8)/1977, दिनांक 6-9-94 में उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं का बी0टी0सी0 प्रशिक्षण से छूट दिये जाने अथवा उनके सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई-

I-जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की अनवरत सेवा दिनांक 01-9-94 को 10 वर्ष हो गई हो किन्तु उनकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष रह गए हों उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की जायगी। ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं के संबंध में प्रशिक्षण से मुक्ति के आदेश संबंधित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

II-कार्यरत एल0टी0/बी0एड0 परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बीस-बीस दिन के दो फेरा में कार्यरत प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रशिक्षण अवधि को उनकी कार्य अवधि माना जायगा। प्रशिक्षण अवधि में उन्हें वही वेतन अनुमन्य होगा जो

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशिक्षण से पूर्व प्राप्त कर रहे थे। सेवारत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जायेगी तथा परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी।

III-शेष अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को दो वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान अनुमन्य किया जायेगा। पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तथा परीक्षा की व्यवस्था रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी।

2-शासनादेश संख्या-507/15-13-96-1499(8)/77, दिनांक 18 मार्च, 1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पत्राचार द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही दी जाये। अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के केवल उन अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण को सुविधा दी जाये जो शासन अथवा विभाग के आदेश के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अप्रशिक्षित रूप से नियुक्त किये गये हों, अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमानुसार प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाते हैं।

3-शासनादेश संख्या-563/15-5-95-19/93, दिनांक 13 जून, 1995 द्वारा पत्राचार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी बी0टी0सी0 (संस्थागत प्रशिक्षण सामान्य) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की भांति परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह माना गया। इसके उपरान्त शासनादेश संख्या-591/15-11-1300(5)/97, दिनांक 27 मार्च, 1998 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अब भविष्य में बी0टी0सी0 पत्राचार की व्यवस्था न रखी जाये। साथ ही शासनादेश दिनांक 13-6-95 में की गई व्यवस्था बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर अर्ह माना जाये, को भी समाप्त कर दिया गया।

4-बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षण व्यवस्था समाप्त होने से पूर्व उक्त दिनांक तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कर लिये गये थे अथवा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके परीक्षा दे दी है किन्तु उक्त दिनांक तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया,उनकी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई। कुछ रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कराने तथा परीक्षाफल घोषित करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे।

5-मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में दिये गये आदेश के अनुपालन में शासन ने नीतिगत निर्णय लेते हुये शासनादेश संख्या-1002/15-11-99-1499(67)/98, दिनांक 3 जुलाई, 1999 में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि दिनांक 27 मार्च, 1998 तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत कर लिये गये थे उनका पत्राचार प्रशिक्षण पूरा करा दिया जाये तथा जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा करके परीक्षा दे चुके हैं उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। इस संबंध में शासन को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई कि जो अभ्यर्थी पत्राचार प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत किये गये हैं उनमें से कुछ अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार पात्र नहीं है अथवा उनके द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र फर्जी है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में निम्न प्रकार से एक कमेटी का गठन करके उक्त तिथि तक पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है अथवा परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, को बुलाकर उनके प्रमाण-पत्र देख

लिये जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत पात्र हैं। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार पात्र नहीं थे अथवा उनके द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र फर्जी है तो उनके मामले में कारण बताते हुये आदेश पारित कर अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाये। कमेटी का प्रारूप निम्नलिखित होगा-

(1) संबंधित प्राचार्य, डायट	अध्यक्ष
(2) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(3) प्राचार्य डायट द्वारा नामित अधिकारी (जो प्रवक्ता स्तर से कम न हो)	सदस्य

6-उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में परिषदीय तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 12192 अभ्यर्थी पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत किये गये थे। शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1999 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 27 मार्च, 1998 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों का बुलाकर उनके प्रमाण-पत्र तथा अभ्यर्थन की जांच की गई। जांच आख्या के आधार पर परीक्षाफल समिति द्वारा विचारोपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया तथा अनर्ह अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करके परीक्षा रद्द कर दी गई। रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान को सूचना भेजी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में शासनादेशों का अनुपालन करके नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

7-प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर गठित समिति की प्राप्त संस्तुति का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या-1002/15-11-99-1499(67)/98, दिनांक 3 जुलाई, 1999 में गठित समिति द्वारा अनर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण या परीक्षा कराकर परीक्षाफल घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। भविष्य में इस प्रकार के बी0 टी0 सी0 पत्राचार प्रशिक्षण न कराये जाने का भी निर्णय लिया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या-2615/15-11-2001-1499(67)/98, दिनांक 16 फरवरी, 2002 में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।]

आगरा कैनाल के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि में से राजबाह, फरह, बरारी मथुरा लैफ्ट इत्यादि पर समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको स्थगित रखा जाता है।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत सरधना के चन्द्रपाल पुत्र श्री धर्मपाल की हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं मृतक परिवार को सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 18-6-04.....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... को रात्रि में करीब 10.15 बजे सरधना कस्बे में एक 22 वर्षीय युवक श्री चन्द्रपाल उर्फ बाबी पुत्र धर्मपाल की हत्या मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा सरधना थाने में पंजीकृत करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक बूढ़ा बाबू के मेले में आया हुआ था, जहां उसका सामना उन व्यक्तियों से हुआ जिनसे किसी पुरानी रंजिशवश उसकी दुश्मनी इन व्यक्तियों से थी। मौका मिलने पर इन व्यक्तियों द्वारा बाबी पर जानलेवा हमला किया गया। जिस समय हत्या की वारदात हुई उस समय बूढ़ा बाबू के मेले में संगीत संध्या का आयोजन चल रहा था। घटना के बाद प्रशासन द्वारा संगीत संध्या के आयोजन को बन्द कराकर वहां पर उपस्थित जन समुदाय को अपने-अपने घरों पर वापस जाने की अपील की गई, जिसका पालन लोगों द्वारा किया गया। हत्या की खबर मिलते ही हिन्दू समुदाय के लोगों में गहरी प्रतिक्रिया हुई और वे ईश्वर नर्सिंग होम पर भारी मात्रा में एकत्रित होकर लामबन्द होने लगे और नर्सिंग होम के पास ही अवस्थित बस डिपो में घुसकर उनके द्वारा तीन प्राइवेट बसों में आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा बस स्टैण्ड में स्थित दो-तीन छोटी दुकानों को भी आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना एवं घटना के पश्चात् हुए घटनाक्रम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स सरधना कस्बे में मंगवाया गया एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु यथासम्भव प्रयास किये गये। वारदात के बाद मृतक के परिजनों द्वारा मृतक को कस्बे के ही ईश्वर नर्सिंग होम में ले जाया गया, जाहं पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक के शव का दाह संस्कार कर वापस लौटते समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मृतक के मामा श्री बलजीत के गले पर तलवार का वार किया गया, जिससे बलजीत की मृत्यु हो गयी। प्रशासन द्वारा घटनास्थल के आसपास के समस्त मकानों की सघन तलाशी ली गयी। समस्त कस्बे को दो सेक्टर में विभाजित कर "Cordon and search operation" विस्तृत पैमाने पर सूर्यास्त होने तक चलाया गया। तलाशी के अभियान में 50 लोग गिरफ्तार किये गये, जिनमें से 4 व्यक्तियों को श्री बलजीत की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया एवं शेष 46 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एहतियातन की गई। दिनांक 20 एवं 21 जून, 2004 को कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, केरोसिन आयल, एल0 पी0 जी0 गैस, दूध, चीनी आदि की आपूर्ति कर्फ्यूग्रस्त सभी मोहल्लों में की गई, जिससे नागरिकगणों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस घटना के संबंध में मु0 अ0 सं0 168/04 धारा 302/34 भा0 दं0 वि0 थाना सरधना पर पंजीकृत कर नामित तीन अभियुक्तयों बाबू पुत्र इकबाल को आला कत्ल चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियुक्त खिल्लू पुत्र शफीक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल गया है। तीसरे अभियुक्त मरगूब के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई तथा दिनांक 14-7-2004 को आरोप-पत्र

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। दिनांक 19-6-04 को मृतक के मामा बलजीत की हत्या के संबंध में थाना सरधना पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 171/04 धारा 147/148/149/302/308/336/352 आई0 पी0 सी0 एवं धारा 7 कि0 ला0 एमेण्डमेंट एक्ट में विवेचनोपरान्त 4 की गिरफ्तारी की गई, जिनके विरुद्ध एन0 एस0 ए0 की कार्यवाही की गई तथा एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और अन्य दो के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। श्री बाबी पुत्र धर्मपाल की हत्या के पश्चात आगजनी के संबंध में थाना सरधना पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 169/04 धारा 147/148/336/435/427 आई0 पी0 सी0 एवं धारा 7 कि0 ला0 एमेण्डमेंट एक्ट में विवेचनोपरान्त 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और एक व्यक्ति ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दिनांक 19-6-2004 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जुल्हैडा रोड जंगल ग्राम महरमती गणेशपुर थाना सरधना में अज्ञात पुरुष की हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिनाख्त असलम पुत्र नूर मोहम्मद के नाम से होने पर थाना सरधना में मु0 अ0 सं0 176/04 धारा 302-34 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया, जिसके अनावरण हेतु प्रयास जारी हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा सरधना कस्बे के पास हुई आगजनी के संबंध में पंजीकृत मु0 अ0 सं0 179/04 धारा 147/148/149/435/427 आई0 पी0 सी0 में विवेचनोपरान्त 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है तथा आरोप पत्र न्यायालय में 5-7-04 को दाखिल किया जा चुका है। रा0 सु0 का0 अधिनियम के अन्तर्गत 6 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनमें से अभियुक्त बाबू पुत्र हलीम एवं खिल्लू जो बाबी पुत्र धर्मपाल की हत्या से संबंधित मु0 अ0 सं0 168/04 के नामजद अभियुक्त हैं, के विरुद्ध एन0 एस0 ए0 की कार्यवाही की गई।

जिला प्रशासन द्वारा सरधना कस्बे के दोनों सम्प्रदायों के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुये शान्ति सद्भाव समिति का गठन किया गया है, जिनके द्वारा शान्ति बहाल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी गयी। मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में मृतक बाबी उर्फ चन्दर पाल तथा मृतक बलजीत गूजर व मृतक असलम को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद बहराइच के ग्राम कसेहरी बुजुर्ग स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने विषयक श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा डिपो कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के संबंध में चौधरी मस्तराम एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत श्री मस्तराम माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा मुख्य रूप से ...

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो कर्मचारियों को वेतन न मिलने की समस्या के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1965-66 में शासनादेश संख्या-बी-3-1965-बी, दिनांक 20-3-1965 के अन्तर्गत की गई थी। इस संस्था का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860-का 21) के अन्तर्गत 5 मई, 1965 को हुआ। इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या-98/1965-66 है।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गई थी :-

(1) राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार की दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं डिपो (स्टोर्स) स्थापित कर उनके माध्यम से बाजार भाव से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।

(2) राज्य कर्मचारियों को कार्यालय प्रांगण में भारत सरकार के पैटर्न पर जलपान गृह खोलकर साफ तथा स्वच्छ वातावरण में बाजार के सापेक्ष सस्ती दरों पर खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराना।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय पर वर्ष 1988 से पूर्व सृजित पदों एवं जलपानगृह कर्मचारियों के वेतन भत्तों को शतप्रतिशत धनराशि उ0 प्र0 शासन द्वारा अनुदान देकर वहन की जाती है। वर्ष 1988 के पश्चात् मुख्यालय पर सृजित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों एवं निगम द्वारा संचालित डिपो कर्मचारियों के वेतन भत्तों की धनराशि द्वारा किये गये व्यवसाय पर अर्जित लाभांश से वहन की जाती है।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने अवगत कराया है कि निगम वर्ष 2002-2003 में रु0 665,68 लाख की संचित हानि पर है तथा निगम पर विभिन्न संस्थाओं, फर्मों एवं कर्मचारियों की लगभग रुपये 16.31 करोड़ की देनदारियां हैं।

वर्तमान में निगम द्वारा संचालित लगभग 188 डिपोज द्वारा लगभग रुपये 5,50 करोड़ प्रतिमाह अर्थात् लगभग रुपये 66 करोड़ प्रतिवर्ष का व्यवसाय किया जा रहा है जिस पर औसत 7 प्रतिशत लाभांश अर्जित होता है, जो कि लगभग रुपये 38.50 लाख प्रति माह होता है जबकि डिपोज कर्मचारियों के वेतन भत्तों के मद में प्रतिमाह लगभग 90.00 लाख का व्यय भार आता है। परिणाम यह है कि कर्मचारियों द्वारा पूंजी का उपयोग वेतन भत्तों के मद में किया जाने लगा है। इस समय डिपो संचालन से लगभग रुपये 50.00 लाख प्रतिमाह की हानि निगम को हो रही है। निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु निगम द्वारा अन्य व्यवसाय यथा स्टेशनरी, फर्नीचर, सीमेन्ट, गैस इत्यादि शरू किया गया है एवं डीजल/पेट्रोल, दवाइयां, मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता का कार्य किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में एक से दो वर्ष के मध्य का वेतन बकाया है यह सत्य है कि कर्मचारियों को समय से वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परन्तु ऐसा डिपो में पर्याप्त लाभांश न होने के कारण ही हुआ है। कर्मचारियों की अपरिहार्यता को देखते हुये उनको मुख्यालय से भी कुछ धनराशि की

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मदद मुख्यालय पर धन की उपलब्धता को देखते हुये की जाती है। श्री शरणपाल को भी मुख्यालय से एक माह के वेतन के बराबर रुपये 5,000/- दिनांक 28-7-2004 को दिया गया है।

निगम एक वाणिज्यिक संस्था है और यह अपने कार्यों का विविधीकरण करके निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि लाभप्रद स्थिति में आ सके ताकि कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या न रहे।]

जनपद मेरठ स्थित नई बस्ती लल्लापुरा में चिकित्सा सुविधा एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको स्थगित रखा जाता है।

जनपद लखीमपुर के निघासन विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 एस0 कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, उपरोक्त सूचना के संबंध में .....

एक सदस्य-

इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।]

वाराणसी में साड़ी उद्योग में भयंकर मंदी से बुनकरों को उबारने एवं भुखमरी के कारण मृतक तनवीर के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा वाराणसी में साड़ी उद्योग में भयंकर .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मंदी के चलते बुनकर भुखमरी के कगार पर दवा के अभाव में गरीब बुनकर की मौत की सूचना देते हुये नियम-51 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की गई है।

2-यह प्रकरण मुख्यतः औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित है। भयंकर मंदी के चलते व्यवसाय में लगे बुनकरों की हालत दयनीय होने के संबंध में उन्हीं के द्वारा कार्यवाही की जानी है। जहां तक वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के ओनिया मुहम्मदपुर निवासी बुनकर श्री तनवीर का प्रश्न है उन्हें 31 जुलाई को पीली कोठी स्थिति खैराती अस्पताल में भर्ती होने व चिकित्सक द्वारा लिखी गई मंहगी दवायें बाहर से न खरीद पाने के कारण समुचित चिकित्सा अभाव में उसकी मृत्यु हो जाने का प्रश्न है। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा जांच कराई जा रही है कि वाराणसी में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में दवायें उपलब्ध होने के बावजूद भी श्री तनवीर को क्यों खैराती अस्पताल जाना पड़ा। वह कौन सा अस्पताल है तथा किस चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया एवं लापरवाही बरती गई इसकी जांच होने के बाद दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3-जहां तक मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है। इस पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्यवाही हेतु इस विभाग द्वारा लिखा जा रहा है।]

जनपद रायबरेली, सीतापुर तथा वाराणसी से संबंधित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रीराम हेत तथा श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की नियम-51 की सूचनाओं पर वक्तव्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-89, 90, 91 पर वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ हैं इसको आप देख लें।

जिला चिकित्सालय सदर आजमगढ़ में सरकारी दवाई न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जिला चिकित्सालय सदर, आजमगढ़ में सरकारी दवाई न उपलब्ध होने संबंधी .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि परिधिगत अधिकारियों के स्तर पर औषधि मद का 80% बजट आवंटन किया जाता है। ताकि वे अपने जनपद की आवश्यकतानुसार औषधियों का क्रय सीधे करें। औषधि मद का 20%बजट जीवन रक्षक औषधियों हेतु केन्द्रीय औषधि भण्डार के स्तर पर आवंटित किया जाता है। जिससे चिकित्सालयों की मांग के अनुसार स्टाक में उपलब्ध औषधियों को

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालयों को आवंटित किया जा सके। अब तक उनकी मांग के अनुसार स्टाक में उपलब्ध औषधियों को उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल आजमगढ़ को अलग से यह निर्देश दे दिया गया है कि औषधि सम्बन्धी यदि उनकी कोई भी मांग हो तो पुनः अपना मांग-पत्र केन्द्रीय औषधि भण्डार को भेजें, जिससे केन्द्रीय औषधि भण्डार में उपलब्ध औषधियां उन्हें तत्परता से उपलब्ध कराई जा सकें।]

आगरा शहर में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद को स्थगित किया जाता है।

जौनपुर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था ठीक कराने एवं अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जौनपुर नगर में विद्युत वितरण व्यवस्था के सुधार एवं .....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[.... सुदृढ़ीकरण करने की दृष्टि से विश्व बैंक पोषित विद्युत सुधार योजना वर्ष 2000-2001 में 2 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों की स्वीकृति हुई थी । इस कार्य का ठेका लखनऊ स्थित फर्म पाइनियर, इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को मिला था। ठेकेदार द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य ठेकेदार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उक्त ठेकेदार ने विगत 11 माह से कोई कार्य नहीं किया है। अधूरा कार्य पूरा कराने के लिये फर्म से लिखित व मौखिक प्रयास जारी है। जौनपुर नगर में विद्युत आपूर्ति प्रणाली नियंत्रण के निर्देशानुसार सुचारु रूप से हो रही है। चूंकि यह कार्य विद्युत सुधार योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में सुधार से संबंधित है, इसलिये इसके कारण सामान्य विद्युत आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत सिल्ट की सफाई न होने से नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में श्रीमती राजरानी रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको स्थगित किया जाता है।

(मद संख्या-96 पुकारे जाने पर कोई माननीय सदस्य चर्चा के लिये नहीं खड़े हुए)

[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत में श्रीमती धर्मवती की पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु की घटना विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री द्वारा सदन को दी गयी जानकारी

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हुआ था कि पांच बजे तक पीलीभीत में जो दलित महिला की हत्या हुई है उसके संबंध में बता दें। मान्यवर, 30 जून को श्री छोटे लाल जाटव, निवासी-नवाबगंज-जनपद बरेली की बेटी राजो देवी, उम्र 15 साल को महेन्द्र पाल भगाकर ले गया। राजो देवी महेन्द्र पाल के बड़े भाई की साली हैं। महेन्द्र पाल उसे अपनी बहन के पास लेकर गया लेकिन उसने मना कर दिया। यह ग्राम-समरा, पीलीभीत का मामला है। महेन्द्र पाल की बहन का नाम धर्मवती था। धर्मवती के पति का नाम रामेश्वर प्रसाद है। वैसे तो लड़की 3 जून से गायब है लेकिन खबर दी गयी 3 अगस्त को। उसके बाद से पुलिस ने दबिश की। पुलिस ने दबिश की तो पता चला कि वहां पर महेन्द्र पाल सिंह की बहन ने मना कर दिया था तो वह कहीं ले गया। चार तारीख की सुबह उसकी बहन की मृत्यु हो गयी। दो डाक्टर्स से पोस्टमार्टम कराया गया। बिसरा सुरक्षित है। सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दे दिये गये हैं और एफ0 आई0 आर0 लिख दी गयी है। वैसे तो पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है लेकिन फिर भी जब उनके पति रामेश्वर प्रसाद ने रिपोर्ट दी कि हमारी पत्नी की हत्या हुई है तो पुलिस ने दो डाक्टरों को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। इस मामले में एक दरोगा और दो सिपाहियों को लाईन हाजिर कर दिया गया है और सी0 आई0 डी0 को जांच के आदेश दे दिये गये हैं और रपट भी दर्ज करने के आदेश दे दिये गये हैं।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्थगित किया जाए ?

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)-

किसी का मूड नहीं है, हम तो तैयार हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता विरोधी दल थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, अगर आप स्थगित कर देंगे तो नेता विरोधी दल भी अब नहीं बोलेंगे।

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अब सदन उठ रहा है अनिश्चित काल के लिये और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे, जनपदों में जायेंगे और अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जायेंगे, हमारी उनके लिये शुभकामनायें हैं लेकिन मुझे खुशी है अध्यक्ष महोदय आपके सफल संचालन के लिये, आज यह चर्चा है कि बहुत दिनों के बाद विधान सभा सुचारु रूप से चली। माननीय नेता विरोधी दल ने भी रचनात्मक सहयोग

दिया और सभी माननीय नेताओं ने सहयोग दिया, कांग्रेस के नेता माननीय प्रमोद कुमार जी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया, टण्डन जी की कुछ परेशानी हो सकती है, मुझे खुशी है कि कभी-कभी नेता विरोधी दल और प्रमोद कुमार जी की टिप्पणी होती है, जिससे माहौल बदल जाता है अगर सदन के अन्दर तनाव भी है तो वह तनाव खत्म हो जाता है और हमारे सभी माननीय सदस्यों ने लोकतांत्रिक परम्पराओं को कायम रखा जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा की महान परम्पराएं थी जो आशा की जाती थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारी बहस में गिरावट आई थी और अब बहस धीरे-धीरे ऊंचाइयों तक जा रही है, मुझे आशा है कि अगले सत्र में जो हम वायदा कर चुके हैं, तो आश्वासन दिया है कि विधान सभा तीन बार चलेगी तो तीसरी बार नवम्बर के महीने में विधानसभा को चलायेंगे और कोशिश है कि एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे 90 दिन विधान सभा चले, क्योंकि जब हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भी मांग की थी कि विधान सभा 90 दिन चले। विगत वर्षों में धीरे-धीरे विधान सभा का महत्व घटा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि विधान सभा का महत्व घटे। पता नहीं क्यों सत्ता चलाने वाले लोग हमेशा विधान सभा का मुकाबला करने से डरते रहते हैं। हम नहीं डरते हैं, हमने विपक्ष की भूमिका निभायी है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हमने जो वादा किया था जो हमने मांगे रखी थी, उसका हम पालन करेंगे। अगले सत्र के लिए अपील जरूर करेंगे विपक्ष के साथियों से कि इधर यह देखने में आ रहा है कि प्रश्नकाल बहुत छोटा होता है। सवाल किये ही नहीं गये, सवाल करने की आदत डालें। पढ़-लिखकर और जितने अच्छे सवाल करेंगे उससे विपक्ष को उतना ही सरकार को घेरने का अवसर मिलता है और हम खुद घिरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां यह परम्परा भी रही है कि हमेशा सरकार बचती रही है सवालों से और अधिकारियों को बचाती रही है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जितने सवाल होंगे उनसे सरकार में जो कमजोरियां हैं उसको जब दूर किया जायेगा तो उससे जनता को लाभ होगा। उससे बहुत सी शिकायतें दूर हो जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन हम इस बात को अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं कि इसी तरह से वातावरण बना रहे सदन का, राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं हो सकते हैं। यह सबसे बड़ी सफलता है लोकतंत्र की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह सफल हो रहा है। एक प्रक्रिया है जो कभी-कभी चर्चा होती है, अल्पमत की, बहुमत की, स्थायी और अस्थायी सरकारों की। तो यह तो एक प्रक्रिया है हमारे देश का लोकतंत्र ज्यादा सफल होगा और इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रमुख सचिव साहब को धन्यवाद देता हूं और आपके जितने भी सहयोगी अधिकारी कर्मचारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मै सभी माननीय नेताओं, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सभी नेताओं को भी मैं धन्यवाद मैं देता हूं। मान्यवर इसी तरह का वातावरण जो आज विधान सभा में बना है, उससे समाज में बनाने की आवश्यकता है, आज क्षेत्रों में दूरियां बढ़ी हैं, साम्प्रदायिकता के नाम पर अति कट्टरवादी जाति-प्रथा के नाम पर समाज में वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है मुझे विश्वास है कि हमारा जो विधान सभा में आचरण रहा है वह हम अपने क्षेत्रों में इसी तरह का सद्भाव और प्यार-मोहब्बत का वातावरण तैयार करेंगे।

मान्यवर, इस प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से माननीय सदस्यों ने सदन में भूमिका निभायी है, बिजली के सवाल पर अच्छी बहस हुई है, बिजली की चर्चा के समय बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सभी माननीय नेताओं ने रखे हैं, आलोचना नहीं की। हम उन सुझावों पर अमल जरूर करेंगे। जितने

भी सवाल उठाये गये हैं मैं अपने अधिकारियों को आदेश दूंगा कि कार्यवाहियों को पढ़ें और यह परम्परा भी थी, कार्यवाहियों को पढ़ने की, विधान सभा की कार्यवाही पर अमल किया जाता रहा है। लेकिन बहुत वर्षों से यह परम्परा खत्म हो रही थी, हम इस परम्परा को पुनः पुनर्जीवित करेंगे कि जो यहां सुझाव रखे गये हैं उन कार्यवाहियों को पढ़ना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपने माननीय नेताओं का और अपने सदस्यों का आभार व्यक्त करूंगा कि हम लोग अगले सत्र में स्वस्थ होकर आयेंगे और फिर मिलेंगे।

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी योग्यता पर, आपकी क्षमता पर, आपके मिलनसार स्वभाव पर कि आपने इस सदन को बहुत अच्छी तरह से चलाया।

मैं पत्रकार मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार लाबी में बैठकर विधानसभा की कार्यवाही को पूरे देश में उजागर किया है और उन्होंने प्रशंसा भी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से विधान सभा चली। एक बार पुनः मैं प्रमुख सचिव, विधान सभा और आपके सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, माननीय नेता सदन के विचार से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं आपके प्रति इस पीठ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, इन्हें साधुवाद देता हूं और माननीय सभी सदस्य और दलीय नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सदन को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बार काफी विषयों पर चर्चाएं हुई और अंतिम समय जो मुख्यमंत्री ने अभी सदन को आश्वासन दिया था उसकी जो घोषणा की, मै समझता हूं कि सदन में यह परम्परा जीवित रहनी चाहिए कि अगर कहीं से विपक्ष या सत्तापक्ष की तरफ से कोई बात ऐसी आ रही है जो जनहित से संबंधित है और उसे करना ही है, सरकार का पक्ष अगर उस बारे में कह दिया जाय तो बहुत अच्छा है। आपने जितना समय लिया था उतने में जितना हम चाहते थे उतना कर दिया। यह परम्परा बनी रहे यह अपेक्षा आपसे है। मान्यवर, मैं सबके प्रति विनम्र, सब के प्रति अपनी शुभकामनाओं के साथ, विशेष रूप से प्रमोद कुमार जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह कभी-कभी ऐसी भूमिका भी कर लेते हैं जो न इधर की होती है न उधर की, यह पार्लियामेन्ट्री कुशलता है और ऐसा मैं समझता हूं कि इनको अपनाना भी चाहिए कि अपनी कड़वी बात भी एक हास परिहास के बीच में कह दिया तो उससे सदन की गरिमा बढ़ती है, सदन का महत्व बढ़ता है। मान्यवर, मैं यहां के प्रमुख सचिव, सचिव और जो यहां के कर्मचारी हैं, रक्षक हैं सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस सदन को चलाने में जो इन्हें इतना श्रम करना पड़ता है, हर बात के लिए वह सचेत रहते हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामना है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में विधान सभा रिपोर्टर्स की संख्या बहुत है, हमारे यहां सबसे बड़ी विधानसभा है और इनको पूरे समय तक सदन व बैठकों की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इससे इनके काम में बाधा आती है अगर कुछ पद इनके स्वीकृत हो जायेंगे वह अध्यक्ष जी भी देख लेंगे, आपसे कहेंगे, मैं भी आपसे सिफारिश करता हूं कि इन लोगों का प्रमोशन का प्रकरण वित्त विभाग में है, उसके बारे में आपका जल्दी निर्णय हो जाय ताकि अगले सेशन में इनके द्वारा ज्यादा मनोबल से कार्य हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं सभी को और नेता सदन को और सभी दलीय नेताओं को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं माननीय सभी सदस्यों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही साथ मान्यवर, आपके कुशल निर्देशन में विधान सभा का जो सफलतम कार्य संचालन रहा है यह आपके योग्यतम अध्यक्ष होने का परिचायक रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आपने जब कभी आवश्यकता पड़ी विपक्ष को पूरा का पूरा संरक्षण प्रदान किया और सत्तापक्ष और विपक्ष में किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके कृत्यों से कहीं लक्षित नहीं हुआ। इसके लिए विशेष रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं और साथ ही साथ इस सत्र के दौरान प्रदेश की जो भी ज्वलन्त समयाएं रही हैं उस पर आपने भरपूर चर्चा कराने का अवसर प्रदान किया, जिसके माध्यम से प्रदेश की उन सारी ज्वलन्त समस्याओं पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करने में कामयाब रहे और सरकार ने भी उसको गम्भीरता से लिया। सही मायने में सदन जिस लिये होता है, उसका भरपूर सदुपयोग आपके नेतृत्व में किया गया। इसके साथ ही साथ मान्यवर, जो आपका सचिवालय रहा, प्रमुख सचिव पाण्डेय जी एवं उनके सभी सहयोगी सचिव, अनुसचिव एवं सहकर्मी तथा सदन के सफल संचालन में तमाम उपेक्षा को भी सहते हुये जिस गम्भीरता से सहयोग किया। हमारे मार्शल ने, मार्शल के सहयोगी साथियों, सचिवालय सुरक्षाकर्मियों ने, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, विशेष रूप से हम आपके दूसरे प्रमुख सहयोगी, जो आपके कभी कभार न रहने पर पीठ को सुशोभित करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने भी बिल्कुल आपके पदचिन्हों पर चलते हुये स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करते हुये, सदन के संचालन में अहम भूमिका निभाने का काम किया, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ मान्यवर, समय-समय पर पीठ पर विराजमान आपके सहयोग करने वाले हमारे अन्य सम्मानित अधिष्ठातागण, जो समय-समय पर सदन में आपकी अनुपस्थिति को कभी महसूस नहीं होने दिया, अपने सफल संचालन से उन्होंने भी आपके पदचिन्हों पर चलते हुये कार्य किया, उसके लिये उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे ध्वनि प्रसारक कर्मी और साथ ही साथ हमारे सभी पत्रकार बन्धु, वह भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सदन में जो भी बहस और चर्चायें होती रही हैं, उनको भरपूर तरीके से, उनके प्रस्तुतिकरण का काम उन्होंने किया। आपके माध्यम से आज के इस सुअवसर पर माननीय नेता सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो रिर्पोर्टस बन्धु हैं, यह हमेशा बहुत ही दिल से काम करते हैं और इनकी पदोन्नति के दो पद वित्त विभाग में लम्बित हैं, स्वीकृत होने के लिये अनुरोध करता हूं कि उस पर भी कृपापूर्वक ध्यान देकर इस कार्य को भी करने का काम करेंगे और साथ ही साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपनी मीठी बात को तीखे तरीके से और तीखी बात को मीठे तरीके से रखते हुए और बीच-बीच में हंसाते हुए शेरो-शायरी के माध्यम से सदन को खुशनुमा बनाते हुए सारे प्रजातान्त्रिक कार्यों का निर्वहन किया। आपके उस संसदीय अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम सत्तापक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने सभी दलीय नेताओं को और विशेष रूप से प्रमोद कुमार जी को जो हमारे बड़े भाई भी हैं। इत्तफाक से वह भी प्रतापगढ़ के हैं और मैं भी प्रतापगढ़ का हूं, उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने कल्पना की थी पहले ही दिन, जब मैं यहां पर आया था और यह सत्र शुरू हुआ था, भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ था, मेरे मन में एक इच्छा थी कि शुरुआत बुरी हुई है तो कम से कम समापन तो अच्छा हो। मैं सभी के सामने हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, सत्र का समापन बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसा कि संसदीय जीवन में होना चाहिए। एक अजीब इत्तफाक होता है, यहां पर जितने भी लोग आये हैं, जितने भी दल हैं सब एक दूसरे के बीच चुनाव लड़कर आये हैं और सभी में वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मतभेद होते हैं। कुछ दिन साथ रहते हैं तो नया परिवार सा बस जाता है, आपस में आत्मीयता बन जाती है, एक व्यवहार बन जाता है। मैं जब सदन में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह अपना परिवार है और इस परिवार का आपस में भाई चारा हमेशा बना रहे, इसकी मैं सदैव कल्पना करता हूं। यह सदन पूरी तरह से पूर्ण है और इसने इस दस दिन के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। अध्यक्ष के पद पर आप विराजे और मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्वस्थ परम्परा डाली, उपाध्यक्ष का पद रिक्त होते ही विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देकर नयी परम्परा की शुरूआत की। आप भी हैं, अगर आपकी प्रशंसा में कुछ नहीं कहूंगा तो मेरा भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। मान्यवर, आप योग्य हैं, विद्वान हैं। वैसे भी इस सदन में दो ही लोग योग्य हैं, एक आप और दूसरा तो आप समझते ही हैं। बस दिक्कत कभी-कभी यह आती है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसे आप पहले ही बोल देते हैं। मैं समझता हूं कि ठीक ही है, अगली बार हम ज्यादा बोलेंगे तो आप हमें बोलने दीजिएगा। आपकी ईमानदारी पर हमें नाज़ है, फक्र है, आपकी कर्मठता, संसदीय ज्ञान पर हम कह सकते हैं कि आप सचमुच इस कुर्सी के हकदार थे। जो हममें से श्रेष्ठ थे वह उस जगह पर बैठे हुए हैं, इस समय हमारे भाई उपाध्यक्ष जी नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी कम समय में अपनी विद्वता का परिचय दिया है, उनको भी मैं टण्डन जी के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

उपाध्यक्ष जी अब किसी दल के नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

नरेश जी अब वह जमाना नहीं रहा जब आपने दल-बदल का फायदा उठा लिया था अब कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने दल से अलग नहीं हो सकता।

मान्यवर, इस सदन में कई समस्यायें हैं और कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। मैं इस संबंध में आदरणीय नेता सदन का हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूं कि इन्होंने जितना समय नेता सदन के रूप में बैठ करके दिया, उतना 10-15 वर्षों में किसी मुख्य मंत्री ने नहीं दिया था, अगर कोई देता था तो मैं आपकी तुलना श्री नारायण दत्त तिवारी जी से कर सकता हूं। वह और आप दोनों सदन में बराबर बैठे। जहां कोई व्यक्तिगत बात आयी या किसी माननीय सदस्य ने कोई व्यक्तिगत समस्या रखी तो माननीय नेता सदन ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको पूरा किया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय टण्डन जी के बारे में अगर कहूं तो वह स्नेह, आदर और श्रद्धा के प्रतिमूर्ति हैं। एक आदर्श नेता विरोधी दल कैसा होना चाहिए। अगर मैं टण्डन जी का नाम लूं तो वह बिल्कुल सटीक बैठता है। टण्डन जी पुरानी परम्पराओं का पालन करने वाले हैं और

जैसे एक अच्छे संरक्षक और अभिभावक होते हैं, उम्र पर न जाईये तो अगर मुख्य मंत्री जी की कहें कि सदन के पिता हैं तो आप माता से कम नहीं रहे।

(सम्पूर्ण सदन ने जोरदार हंसी व ठहाके लगाये।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

वैसे माननीय अध्यक्ष जी, मैं इधर तो कम देख सका क्योंकि मेरी आंखें सामने हैं। प्रमोद कुमार जी की इस बात से पूरा सदन खुश हुआ यह मैंने सुना, देखने में तो हुकुम सिंह जितना खुश हुये उतना कोई नहीं हुआ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे अन्यथा न लिया जाये। हम लोगों की जो संस्कृति है, मां की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं होती। मैंने आदर के साथ सम्मान दे करके और कोई परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की है। मैं आपकी व्यक्तिगत चिन्ता समझता हूं। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अगल-बगल जो बैठे हैं श्री हुकुम सिंह जी और डा0 बाजपेयी जी, इनसे बचे रहिये। आज इनके यहां से एक फोन आया उन्होंने कहा कि मैं मिसेज बाजपेयी बोल रही हूं, बड़े वाले बाजपेयी जी के मिसेज हैं ही नहीं तो मैं समझ गया कि मेरठ से फोन था, उन्होंने कहा कि आप सबकी बातें सदन में कहते हैं, मेरी भी एक बात कह दीजिए अध्यक्ष जी से कि सदन का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाये। क्योंकि यह वहीं बकवास नहीं करते, घर में आ जाते हैं तो बहुत बकवास करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा और आदरणीय टण्डन जी से कहूंगा कि कोई ऐसी समिति हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लखनऊ रह सकें उसमें नामित कर दें, जिससे श्रीमती बाजपेयी की इच्छाओं का सम्मान हो जाए, वहां जाकर भी यह उठक-बैठक करते रहते हैं। अगर वह कहेंगी कि रोटी बेलो तो यह कहेंगे कि नियम-51 का मामला है, वह कहेंगी सो जाओ तो कहेंगे कि सारे नियम शिथिल करके कार्य-स्थगन का प्रस्ताव ले आओ। वैसे मान्यवर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे आप कार्य-स्थगन का प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं वह भी कर देती हैं।

मान्यवर, दो बातें कह दूं उसके बाद दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय टण्डन जी ने विधान सभा के रिपोर्ट्स के बारे में कहा मौर्या जी ने भी कहा मैं उससे अपने को समयबद्ध करते हुये यह कहना चाहता हूं कि वित्त विभाग में जो इनके दो प्रमोशन के पद सृजन की पत्रावली लम्बित पड़ी है उसे आप कृपा पूर्वक सृजित कर देंगे तो मैं आभारी होऊंगा, मान्यवर, आप जो कहते हैं वह करते हैं।

आपने 12 फरवरी, 2004 को कहा था कि सचिवालय के सुरक्षाकर्मी हैं उनके नाम परिवर्तन की बात थी। लोक सभा में जो नाम हैं वही नाम रख दिया जाये तो इसमें कोई व्यय भी नहीं आयेगा। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह से लोक सभा में इनका सबका नाम है वैसा कर दें। मान्यवर, इनका काम कुछ पुलिस से कम नहीं है। पुलिस वाले तो पीलीभीत जैसा काण्ड कर देते हैं लेकिन ये बेचारे बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। इनका वेतन बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम बाहर से लौटकर घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि क्या ले आये। हम अपने घर लौटकर जायेंगे तो वहां क्या बतायेंगे। क्या हम अपने क्षेत्र में यह कहेंगे कि नियम-56 लाये, नियम-51 लायें, कुछ हैण्डपम्प वगैरह की बात करें तो बात समझ में आती है। मैं

आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी इज्जत रहेगी तो आपकी भी रहेगी। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री बहुत अच्छे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 100 हैण्डपम्प की जगह 150 हैण्डपम्प कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

100 जो हैं पहले उनको सुनिश्चित करा लें।

श्री प्रमोद कुमार-

आजम साहब, लगवायेंगे तो अच्छी क्वालिटी के ही लगेंगे, जैसे उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, जैसे उनका पानी नहीं सूखता है, वह जो हैण्डपम्प लगवायेंगे वह हैण्डपम्प कैसे सूखेंगे। मेरा कहना है कि 100 हैण्डपम्प से बढ़ाकर 150 कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। गौर साहब ने अपने मुहल्ले का नाम लिया था तो मुख्य मंत्री जी ने उनके यहां बिजली की व्यवस्था करा दी। बिजली के सम्बन्ध में यह मेरा निवेदन है कि 10-5 गांव आप और बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसको बढ़ा देंगे, आपको सूचना मिल जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

बहुत-बहुत धन्यवाद (मेजों की थपथपाने की आवाजें।) मान्यवर, अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। भाई शिवपाल यादव जी की तरफ इशारा कर रहा हूं। मान्यवर, यह सौभाग्य है कि इसके पहले जितने भी पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर हुए हैं वह सब महिलाएं थीं, आप पहली बार पुरुष मंत्री हुए हैं। आप सदन में काफी समय बैठते हैं और हमेशा हंसते-मुस्कराते रहते हैं। जब महिलाएं मिनिस्टर थीं तो हो सकता है उनको समय नहीं मिलता हो लेकिन आप मर्दानगी दिखायें और कहिए कि 10-10 किमी0 सड़क मैं हर विधायक को देता हूं तो आप मुलायम सिंह के भाई कहलाने के अधिकारी होंगे। इस पर कृपापूर्वक विचार करें और 10-10 किमी0 सड़क हर विधायक को दें। अन्त में मैं एक शख्स की तारीफ नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। भाई आजम साहब, बाहर से देखने में थोड़ा कोटेड लगते हैं, लोहा बांधे रहते हैं लेकिन अन्दर से बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने 3-4 जगहों पर जिस तरह से अपनी विद्वता का परिचय दिया उससे आपके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ी है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। यहां तो ना-ना करते हैं लेकिन रामपुर जाकर आप किसी बात पर हां कह दीजिएगा। अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं। मौर्य जी के बारे में इतना कहूंगा कि जब सदन खुला था तो नरेश जी ने कहा था कि आप बड़े हैं या मौर्य जी तो मैं कहूंगा कि यह खिजाब का कमाल है। मैं सुखदेव राजभर से कह रहा था कि जरा पता करना कि इनका चाल चलन कैसा है। यहां पर तो यह खिजाब लगाकर आते हैं यह पता लगाना पड़ेगा कि यहां के बाद यह किस सदन में जाते हैं। मुख्य मंत्री जी एक साइकिल का विज्ञापन आता है उसमें दो मोटे लोग बैठे रहते हैं। जिससे उसकी मजबूती का पता चलता है। यहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं उसमें फुल वाल्यूम कर दिया जाय और मौर्य जी की आवाज सुन लें तो इनकी आवाज धीमी नहीं निकलेगी। जो इनकी आवाज झेल जायगा वह कितनी जोर से आवाज झेल जायगा। इनकी आवाज काफी बुलन्द होती है। अन्त में यह कहते हुए कि मैं कभी-कभी ज्यादा बोल जाता हूं इसके लिये क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप सिंह-

जो नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात कही है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष जी और उनके सारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही एक आग्रह करता हूं नेता सदन से कि यहां पर 11 बजे से लेकर 6-7 बजे तक सदन चलता है उसके पहले तीन-तीन घण्टे पहले यहां पर जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं वह आ जाते हैं उनको दैनिक मजदूरी पर रखा गया है और उससे जानवरों की तरह काम लिया जाता है उनका वेतन बढ़ाने पर विचार करें। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, इस सदन में हम सभी लोग विभिन्न पार्टियों से आते हैं लेकिन यहां पर सदन में एक परिवार की तरह से काम करते हैं। अतः जब आज सदन अनिश्चित काल के लिये उठ रहा है तो अफसोस होता है। मुलाकातें बन्द हो जाती हैं और यहां पर जो बातें, श्री प्रमोद जी ने कहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहीं यह सब बातें याद रहती हैं। मान्यवर, आपने जिस तरह से अपने ढंग से सदन चलाया और नेता सदन बाकायदा सदन में रहे। यह अच्छी परम्परा है आज हम अच्छे माहौल में जा रहे हैं 6 महीने के अन्दर फिर सदन चलेगा और हमारी मुलाकात होगी। मैं विधान सभा सचिवालय में कार्यरत रिपोटर्स कैडर के बारे में एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रिपोर्टस कैडर की प्रमोशन के दो पद बढ़ाने से सम्बन्धित फाइल वित्त विभाग में विचाराधीन है उसे कृपया आप स्वीकृत कराने का कष्ट करें जिससे इनका मनोबल बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस माननीय प्रमोद कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, भारतीय लोकदल के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं सर्वप्रथम मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं उन्होंने सदन में समय देकर सदन में उठाये गये बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त करके सदन को सुव्यवस्थित करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया।

मैं नेता विरोधी दल के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जब कभी यहां समस्याएं उत्पन्न हुई उन्होंने हमको और यहां बैठे नेताओं को भी संयमित करने में अपना सहयोग प्रदान करने में अपना योगदान दिया। माननीय मौर्या जी, जब हम लोग वहां बैठा करते थे तो उनकी जो चचंचलता थी और उनके कार्य करने की जो शैली थी उससे मुझे यह लगता था कि जब मैं इस सदन को संचालित करूंगा तो उसमें बहुत बड़ी बाधा सदन में डालेंगे। मुझे प्रसन्नता है और मैं मौर्या जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सदन को संचालित करने में बहुत ही मर्यादा में अपने को बांधा और सदन को संचालित करने में हमको अपना सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ मैं नेता कांग्रेस, प्रमोद कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब कभी इस सदन में गम्भीरता आता थी, कटुता आ जाती थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण लगता था कि बिगड़ने वाला है, ऐसे समय में वे अपने विचारों को इस तरह से रखते थे कि सारी कटुता और विद्वेष अपने आप निकल जाती थी। मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष के प्रति आकृष्ट होकर इस तरह से अपनी बात कहते थे कि सदन में एक ऐसा माहौल बन

जाता था कि जो एक दूसरे के प्रति दुर्भाव की स्थिति पैदा हो जाती थी वह समाप्त हो जाती थी। मैं नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता लोक दल के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी सदन की कार्यवाही के संचालन में अपना सहयोग दिया। ऐसे अवसर पर अगर मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट न करूं तो यह न्यायोचित नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री का इस सदन के संचालन में बहुत बड़ा योगदन है। जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें संसदीय कार्य मंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। विषय को गम्भीरता से लेते हुए उस पर सरकार की तरफ से सही ढंग से बात करें तो सदन व्यवस्थित हो जाता हैं संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी तरह से बात रखकर, यह सदन जितने दिनों भी चला उसके संचालन में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कि उन्होंने विधान सभा के संचालन में सहयोग दिया। माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस सदन के संचालन में अपना सहयोग दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि यह सदन जितने भी दिन चला उसमें नियम-51 के 472 मामले आये जिसमें सरकार की तरफ से वक्तव्य मांगे गये। सरकार के मंत्रियों ने भी इतनी त्वरित गति से उस क्षेत्र से रिपोर्ट मंगाकर सदन में प्रस्तुत की। सिर्फ प्रस्तुत ही नहीं किया बल्कि उनका क्रियान्वयन भी हुआ। बहुत से विधायक मेरे पास आये और कहा कि बहुत अच्छी तरह से कार्य हो रहा है हमने नियम-51 में सूचना दी और जिस तरह से कहा गया उसके अनुसार तुरन्त ही हमारे क्षेत्र में काम शुरू हो गया। इस सबके लिये मैं सरकार के मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन की चर्चाओं में हिस्सा लिया और सदन को संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ साथ मैं अपने पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अखबारों में इस वातावरण को विषाक्त होने से बचाया। अब सब को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रस्ताव तो आ चुका है।

श्री अध्यक्ष-

आ चुका है लेकिन फिर कार्यवाही चलने लगी थी इसलिये फिर प्रस्तुत कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रीय-गान

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिये खड़े होंगे।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा।
द्राविड़-उत्कल-बंग।।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 50 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 6 अगस्त, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 246 विधान सभा (454)-2005-813 (कम्प्यूटर)